फरवरी, 2020 में
उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई
सांप्रदायिक हिंसा
से संबंधित रिपोर्ट

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), दिल्ली का प्रकाशन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा फरवरी 2021 में प्रकाशित

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
दिल्ली राज्य कमेटी
14, वी पी हाउस, रफ़ी मार्ग
नई दिल्ली 11001

इस प्रकाशन में प्रयुक्त किये गए फोटोग्राफ प्रभावित परिवारों, सर्वे वालंटियर तथा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा फिल्माए गए वीडियो से लिए गए हैं।

इस पुस्तिका को क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्युशन-शेयर एलाइक 2.5 इंडिया (CC BY-SA 2.5 IN) लाइसेंस के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, शाहदरा से मुद्रित

मूल्य : रुपये 20

विषय सूची

प्रस्तावना : रिपोर्ट का मकसद **5**

खंड एक : पृष्ठभूमि **8**

उत्तर पूर्व दिल्ली 8 / राजनीतिक प्रोफाइल 9 / हिंसा की पृष्ठभूमि 10 / दिल्ली चुनाव प्रचार अभियान 13

खंड दो : सांप्रदायिक हिंसा का भयानक चेहरा **15**

महिलाओं पर दोषारोपण 17 / हिंसा की शुरुआत 17 / चाँद बाग का उदाहरण 20 / चाँद बाग के आस पास का इलाका 24 / अन्य क्षेत्रों में हिंसा का फैलाव 26 / हिंसा की हद 39 / गृह मंत्रालय की भूमिका 42

खंड तीन : उपसंहार **48**

षडयंत्र के पीछे का षडयंत्र 48 / अमित शाह ने किस प्रकार एक निष्पक्ष जांच में टंगड़ी फंसाई 49 / सी.ए.ए. / एन.आर.सी. विरोधी आन्दोलन षडयंत्र का हिस्सा 51 / उत्तर पूर्व दिल्ली में दर्ज की गई एफआईआर 52 / वो 'साजिश' 52 / किस प्रकार 'साक्ष्य' को गढ़ा गया 55 / हिन्दू कट्टरपंथी गैंग ने तो केवल 'प्रतिकार' किया था 60 / हिंसा में पुलिस की भूमिका 60 / छांट छांट कर फुटेज का इस्तेमाल 61 / गिरफ्तारियां 62 / पक्षपात पूर्ण अभियोजन 62 / मुआवजा 63 / निष्कर्ष 63 / न्याय के लिए आवश्यक रूप से किये जाने वाले कार्य 65

अनुलग्नक 1 : मृतकों की सूची **66**

अनुलग्नक 2 : सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा का विश्लेषण **69**

अनुलग्नक 3 : एकजुटता तथा राहत कार्य **76**

उत्तर पूर्व दिल्ली
के हिंसा प्रभावित क्षेत्र

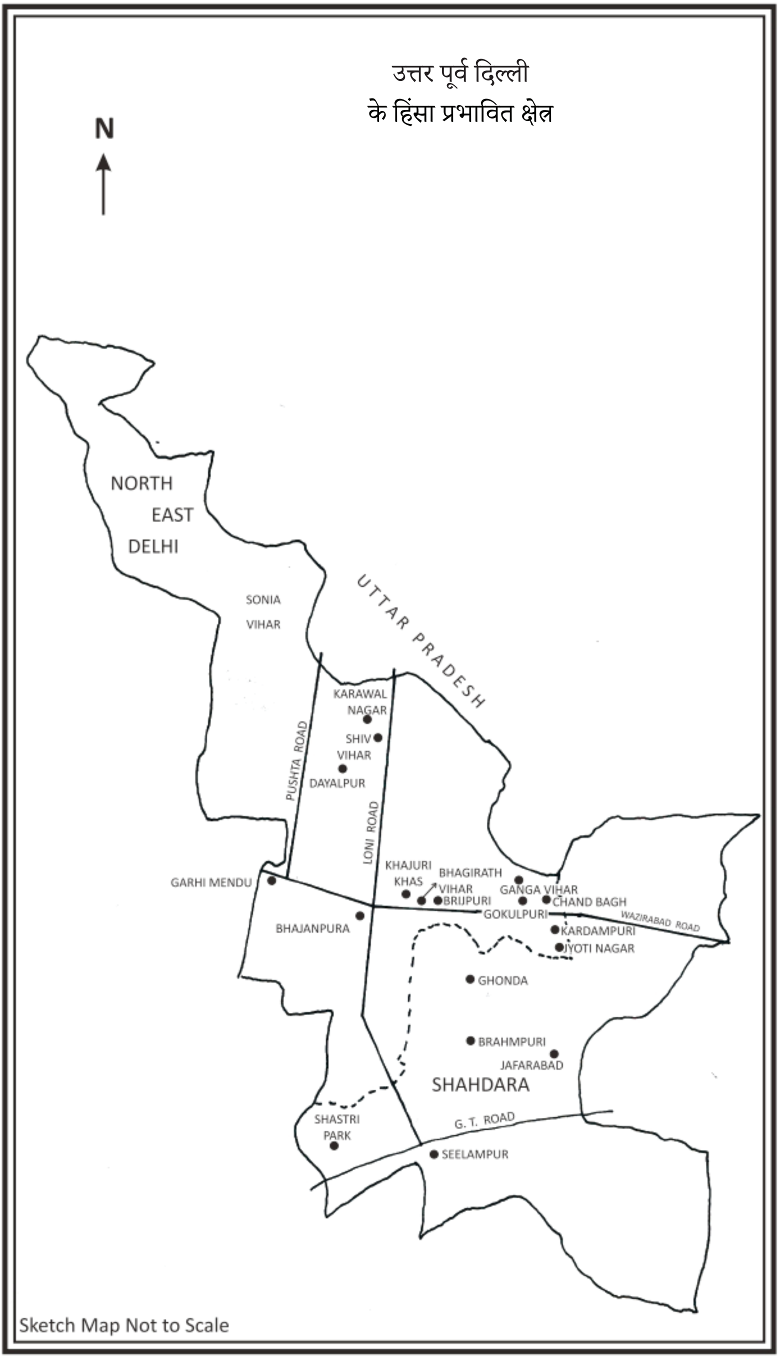

प्रस्तावना

रिपोर्ट का मकसद

उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में हुई साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़ी यह रिपोर्ट, सीपीआई(एम) द्वारा पीड़ितों एवं विभिन्न समुदायों से जुड़े स्थानीय लोगों के साथ की गयी विस्तृत बातचीत तथा क्षेत्र में किये गए राहत कार्यों पर आधारित है।

सीपीआई(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी की पहल पर जनता के विभिन्न तबकों के साथ मिलकर 28 फरवरी, 2020 को एक राहत एवं पुनर्वास एकजुटता समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा कोविड-19 से संबंधित तालाबंदी की घोषणा होने तक, अर्थात 24 मार्च तक अपने काम को अंजाम दिया जा सका था। एकजुटता समिति के 250 से अधिक वालंटियरों ने सर्वे का काम करने, विभिन्न स्तरों पर राहत कार्य करने, मुआवजा तथा कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने आदि में कड़ी मेहनत की थी। एकजुटता समिति के संयोजक की हैसियत से मैं वजाहत हबीबुल्लाह एवं हर्ष मंदर का समिति के काम में उनके मार्गदर्शन के लिए ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

हस्तक्षेप एवं संपर्कों के कई सारे स्तर थे, जिनसे इस रिपोर्ट के लिए सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं। एक प्रश्नावली के माध्यम से लगभग चार सौ परिवारों के साक्षात्कार इकठ्ठा किये गए थे। हिंसा के तुरंत बाद के दिनों में लोग दहशत तथा शक के साए में जी रहे थे। ऐसे में सर्वे टीमों के लिए सभी प्रभावित इलाकों में जा पाना आसान काम नहीं था। एक अन्य टीम ने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां दुकानों तथा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था, जिनमें पूजा स्थल शामिल थे। वहां प्रभावित लोगों से मुलाक़ात की गयी थी। कुछ ने घर-घर जाकर राहत सामग्री का वितरण किया था। इन सभी ने क्षेत्र में हुई वास्तविक हिंसक घटनाओं के विवरण इकठ्ठा किये थे, जिनका हवाला इस रिपोर्ट में दिया गया है।

कुछ अन्य वालंटियरों ने मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकातें की थीं। हमारी टीम एक को छोड़कर बाकी सभी पीड़ितों के परिवारों से मुलाक़ात / संपर्क करने में सफल रही थी। उनके वक्तव्य बड़े ही हृदयविदारक हैं। इस पुस्तिका में हमने ऐसे पांच साक्षात्कार शामिल किए हैं। हमने उन परिवारों के साथ आज भी संपर्क जारी रखा हुआ है। अगस्त महीने में उन परिवारों की जरूरतों, खासकर बच्चों की जरूरतों को चिन्हित करने के लिए एक दूसरा सर्वे किया। इस पुस्तिका के एक अनुलग्नक में राहत कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

वालंटियरों की हर टीम का अनुभव एक जैसा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों

में रह रहे लोग, औचक एवं भारी हिंसा से सकते में आ गए थे। मृतकों के परिवार-जन तथा दोनों समुदायों के हिंसा पीड़ितों का कहना है कि उनके क्षेत्र में साम्प्रदायिक प्रकृति की हिंसा पहले कभी नहीं हुई थी, तथा वे अपने पड़ोसियों के साथ शांति के साथ रहते आए थे। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ बदल गया है? इस पुस्तिका में तथ्यों के मद्देनजर ऐसे कुछ सवालों के जबाव खोजने के प्रयास किये गए हैं।

ऐसे भी कुछ उदाहरण सामने आए हैं जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की जान बचाई है। उत्तर पूर्व दिल्ली के सामान्य नागरिकों का तथा दिल्ली के लोगों का हम अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को अन्य क्षेत्रों में फ़ैलने से रोकने में सफलता हासिल की है।

इस रिपोर्ट को तमाम स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया गया है। सुरक्षा कारणों से बहुत से चश्मदीद गवाहों के नाम यहाँ जाहिर नहीं किये गए हैं, जिनसे सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो सूचनाएं उन्होंने हमें प्रदान की हैं, उनकी सच्चाई पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अन्य रिपोर्ट, विडियो तथा फोटोग्राफ से जाहिर हो जाती है।

हमारी टीम के लोगों ने जिन महिलाओं के साक्षात्कार किये हैं, उनके वक्तव्यों से यह जाहिर होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को लक्ष्य करके गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने में उनको झिझक महसूस हो रही थी। चाँदबाग इलाके से ऐसे एक अनुभव का उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है।

इस रिपोर्ट में साम्प्रदायिक हिंसा के घटनाक्रम, उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके परिणामों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठकों को केंद्र सरकार द्वारा परोसे जा रहे झूठ से मुक्त होने में मदद मिल सकेगी। हिंसा के लिए तो मुख्यतः केंद्र सरकार एवं संघ परिवार ही जिम्मेदार रहे हैं।

मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से प्रकाशन का यह कार्य संभव हो पाया है। मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात का, जिन्होंने इस रिपोर्ट को संकलित किया है, सुबोध वर्मा का, जो इसके प्रकाशन में हर स्तर पर शरीक रहे, अमन सैनी का, जिन्होंने अपनी वालंटियर टीम के साथ मिलकर तथ्यों की पुनर्जांच की है, अनियन पी. वी. और उनके साथियों का, जिन्होंने सर्वेक्षण के निष्कर्षों का मिलान किया है, सहबा हुसैन का, जिन्होंने अदालती मामलों के आंकड़ों का मिलान किया है, शेहला हाशमी ग्रेवाल का मानचित्र तैयार करने के लिए, सुधन्वा देशपांडे का जिन्होंने इस प्रकाशन का सम्पादन तथा उसे पुस्तिका रूप प्रदान किया है, अशोक गर्ग एवं राजीव कुंवर का जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया और आखिर में उन वालंटियरों का जिन्होंने पीड़ितों के साथ, चाहे वे किसी भी समुदाय के रहे हों, एकजुटता एवं राहत पहुँचाने के काम को बड़ी मेहनत से अंजाम दिया है।

इस प्रकाशन के निष्कर्ष एवं इसकी संस्तुतियों में यह मांग शामिल है कि दिल्ली सरकार

प्रस्तावना

सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की देखरेख में एक स्वतंत्र जांच कमेटी स्थापित करे, जो वर्ष 2020 की दिल्ली की साम्प्रदायिक हिंसा के सभी पहलुओं की जांच करे। हम आशा करते हैं कि यह प्रकाशन न्याय के पक्ष में हमारी मुहिम को मजबूती प्रदान करेगा।

के.एम. तिवारी
सचिव, दिल्ली स्टेट कमेटी
सीपीआई (एम)

खंड एक
पृष्ठभूमि

23 फरवरी से 29 फरवरी, 2020 के बीच उत्तर पूर्व दिल्ली जिले के 28 में से 17 शहरी क्षेत्र तथा एक गांव सांप्रदायिक हिंसा से तबाह हो गए थे और जिसमें 54 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल आदि को नुकसान पहुंचा था, तथा धार्मिक स्थलों पर हमले हुए थे। सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

हिंसा के बाद का मंजर भी उतना ही दर्दनाक रहा। हालांकि दिल्ली सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी थी, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलवाने तथा हिंसा भड़काने के दोषियों को सजा दिलवाने की प्रक्रिया पुलिस की पक्षपात पूर्ण जांच के कारण बाधित हुई है। दिल्ली पुलिस असल में चुनी हुई दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह न होकर, उप राज्यपाल के मार्फ़त केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के मातहत काम करती है। भारत की राजधानी के पुलिस बल का यह गैर लोकतांत्रिक ढांचा लगभग एक हफ्ते तक हिंसा पर काबू न कर पाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसी वजह से पीड़ितों को न्याय तथा हिंसा के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया भी बाधित हुई है।

इस पुस्तिका में हिंसा की घटनाओं तथा बाद के घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया गया है। जिन सर्वेक्षण आंकड़ों तथा साक्षात्कारों का उपयोग किया गया है, उनको 'दिल्ली एकजुटता, राहत तथा पुनर्वास समिति' द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्थापना 28 फरवरी, 2020 को की गई थी। बड़े पैमाने पर एकजुटता के प्रयासों के लिए तमाम लोग, जिनमें छात्र, अध्यापक, अधिवक्ता, ट्रेड यूनियनों – महिला – युवा संगठनों के कार्यकर्ता तथा सीपीआई (एम) के सदस्य शामिल थे, आगे आए, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, शोकाकुल परिवारों से बातचीत की, तथा जरूरत के अनुसार राहत सामग्री पहुंचाई। यह क्रम 24 मार्च तक चला जब प्रधान मंत्री ने तालाबंदी की घोषणा की थी। तब से लॉक डाउन एवं महामारी के बावजूद राहत कार्य जारी रहा है।

उत्तर पूर्व दिल्ली

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की आबादी 22.4 लाख थी।

उनमें से 29 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या मुसलामानों की है, जो कि दिल्ली के सभी नौ जिलों में अल्पसंख्यकों की सबसे अधिक संख्या है। दलित आबादी 16.7 प्रतिशत है। यह दिल्ली का सबसे अधिक पिछड़ा इलाका है, जहां 174 अनाधिकृत बस्तियां हैं। इनमें से आधी बस्तियों को हालांकि वर्ष 2019 में नियमित कर दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर वहां कोई परिवर्तन नहीं आया है।

उत्तर पूर्व दिल्ली जिले का इलाका मूलभूत नागरिक सुविधाओं से पूरी तरह वंचित रहा है। उदाहरण के लिए यहां के 73 प्रतिशत घरों का गंदा पानी खुले नालों में बहता है, जबकि दिल्ली के दूसरे इलाकों में यह प्रतिशत 36 है। इस इलाके में जनसंख्या का घनत्व भी सबसे अधिक है – लगभग 37 हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह पूरी दिल्ली के औसत से तीन गुना अधिक है। परिवारों को यहां तंग गलियों में छोटे छोटे कमरों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहना पड़ता है। इस जिले में लगभग आधी आबादी(43%) युवा है, जिनकी आयु 20 से 40 वर्ष के बीच है। जनसंख्या के इस आयु वर्ग का सरकार द्वारा खूब ढोल पीटा जाता है, इस इलाक़े में इस आयु वर्ग का मायने यही है कि उनमें केवल 7% युवा ही स्नातक हैं। बड़ी संख्या में यहां युवा वर्ग बिना किसी रोजगार के हैं।

यहां की जनसंख्या मुख्यतः गैर संगठित क्षेत्र अथवा स्वतः रोजगार क्षेत्र से संबद्ध है – वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, स्क्रैप डीलर, स्ट्रीट वेंडर, मैन्युअल वर्कर, कारीगर आदि। छोटे उद्यमों से संबंधित कारखानों में लोग काम करते हैं – प्लास्टिक की बोतल, बाल्टियां बनाने के कारखाने हैं, जीन्स और अन्य कपड़े बनाने वाले छोटे कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त सिलाई, कटाई आदि से जुड़े होम बेस्ड कामों में महिलाएं काम करती हैं। उनकी कमाई मामूली होती है, जो परिवार चलाने के लिए निर्णायक होती है। कई परिवारों की महिला मुखिया होती हैं, खासकर विधवाएं। खाने के तथा जरूरत के सामानों की छोटी छोटी दुकाने हैं, जिन पर बहुत से परिवार आश्रित हैं। जनगणना के अनुसार लगभग एक तिहाई लोग प्रवासी मजदूर हैं (हिंदुस्तान टाइम्स, 28 जुलाई, 2019) ।

राहत कार्य के दौरान यह पाया गया कि बहुत से परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे। उन लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का मुद्दा निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा था।

ऐसे दीन-हीन एवं अविकसित क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा फूट पड़ी थी, जिसने तमाम जिंदगी को तथा जीविकोपार्जन को नष्ट कर दिया था।

राजनीतिक प्रोफाइल

उत्तर पूर्व दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, जहां हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के आस पास रहते हैं। दिल्ली के इस हिस्से में पहले कभी भी कोई गंभीर किस्म के सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए हैं। वास्तव में तो, जैसा कि प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के दौरान जाहिर हुआ है, इस सांप्रदायिक हिंसा से लोग अचरज में थे, तथा उनको धक्का लगा था। लेकिन पिछले सात आठ वर्षों के दौरान आरएसएस की शाखाओं द्वारा त्योहारों के अवसर पर आक्रामक

नारेबाजी तथा भड़काने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से तनाव की कुछ घटनाएँ हुई हैं। 2016 के बाद खासकर आरएसएस की शाखाओं की संख्या में यहाँ बढ़ोत्तरी हुई है।

इस लोक सभा क्षेत्र में विधान सभा की 10 सीट हैं, जिनमें से 8 में हिंसा प्रभावित क्षेत्र पड़ता है। मनोज तिवारी, जो दिल्ली भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष थे, 2019 के लोक सभा चुनाव में 53.9 प्रतिशत वोट पाकर इस बार भी सफल हुए थे। 2015 में आप पार्टी ने सभी 8 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन 2020 के विधान सभा चुनाव में भाजपा ने 8 में से 3 सीटों पर – करावल नगर, घोंडा तथा रोहतास नगर – कब्ज़ा जमा लिया। ये ही क्षेत्र हिंसा के मुख्य केंद्र बने।

हिंसा की पृष्ठभूमि

हिंसा की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें कुछ महीनों पहले के समय में जाना होगा। 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लेते हुए जोरदार तरीके से हिंदुत्व एजेंडे को अपनाया गया। सबसे पहले तो तीन तलाक के खिलाफ एक कानून पास किया गया, जिसका असल मकसद मुस्लिम महिलाओं की मदद न होकर नागरिक कानूनों के दायरे का अपराधीकरण करना था। इसके बाद संविधान की धारा 370 को निरस्त किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दर्जा घटाकर, उसको दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस पूरी कार्यवाही में वहां के प्रतिनिधियों तथा वहां की जनता के साथ कोई चर्चा नहीं की गयी। इस कार्यवाही से न केवल देश के अकेले मुस्लिम बहुल राज्य को समाप्त कर दिया गया, वरन इसके जरिये संघीय व्यवस्था, जनतंत्र एवं संविधान पर सबसे बड़ा हमला किया गया। इसके बाद अत्यधिक भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक को पास किया गया। इस विधेयक को पास करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में शासक दल ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए बहुत शातिर तथा जहरीला अभियान चलाया था – सी.ए.ए. के बाद नेशनल पापुलेशन रजिस्टर और उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजंस को चलाया जाना था। इस मुहिम को अप्रैल, 2020 से शुरू किया जाना था। इस अभियान को अवैध अप्रवासियों की पहचान पर आधारित होना था, जिनको शाह ने दीमक की संज्ञा दी थी, जिनको निकाल बाहर करना था (दी हिन्दू 11 अप्रैल, 2019) । आसाम के अनुभव ने, जहां 19 लाख लोगों को वर्षों से वहां निवास करने के बावजूद जरूरी कागजात न होने की वजह से चिन्हित किया गया था, पूरे भारत में गरीब तबकों के बीच इस कानून की व्यवस्था ने डर को पैदा कर दिया था कि बिना कागजातों के उन्हें चिन्हित तथा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि सभी समुदायों के गरीब तबके अधिकांशतः जरूरी कागजातों के बगैर पाए जाते हैं – जैसा कि हाल ही में प्रवासी मजदूरों के अनुभव से साबित हुआ है – यह एक प्रकार से उन गरीब तबकों के खिलाफ बात थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक यह तथ्य था कि सी.ए.ए. ने नागरिकता को धर्म से जोड़ दिया था,

जहां मुसलामानों को अवैध करार दिया जा सकता था, जबकि अन्य समुदायों को नई प्रक्रिया के तहत वैध करार दिया जा सकता था। इस प्रकार यह साफ तौर पर केवल मुसलामानों पर ही हमला नहीं था, बल्कि भारत की नागरिकता की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को समाप्त करने की ओर पहला कदम था।

11 और 12 दिसम्बर, 2019 को संसद में बहुमत से सी.ए.ए. को पास कर दिया गया, और तब वह देश का कानून बन गया। तदुपरांत, पूरे देश में विरोध कार्यवाहियों की झड़ी लग गयी, जिनमें यूनिवर्सिटी छात्र सबसे आगे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो यूनिवर्सिटी दक्षिण दिल्ली में स्थित है, और जिसको अब रैंकिंग के हिसाब से भारत की नंबर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, छात्रों ने 15 दिसम्बर को संसद की ओर मार्च करने की योजना बनायी थी। उनको यूनिवर्सिटी के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया था, जहां टकराव की घटनाएं भी हुई थीं। भीड़ में से कुछ शरारती तत्त्वों ने कई कार पर हमले किए तथा बसों को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि इस निंदनीय आगजनी में छात्र शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जामिया यूनिवर्सिटी पर अमानवीय हमला करने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने निर्ममता से छात्रों की पिटाई की, लाइब्रेरी में घुसकर तोड़फोड़ की, और छात्रों को सर पर हाथ बांधकर लाइब्रेरी से बाहर जाने के लिए विवश किया – जैसे कि वे कोई युद्ध बंदी हों। यूनिवर्सिटी प्रशासन की बिना अनुमति के पुलिस अंदर घुसी थी (इंडिया टुडे, 15 दिसम्बर, 2019) । इसी बीच यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को पुलिस के सख्त दमन का सामना करना पड़ा था। तब पूरे देश की तमाम यूनिवर्सिटी इन दो यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा होती गयी। यूपी सरकार ने सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी कानूनों का सहारा लिया। पुलिस गोलीबारी में बीस लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रदर्शनकारियों पर सरकारी संपत्ति को तथाकथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए भारी भरकम जुर्माने लगाए गए, जबकि उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए।

राजधानी में तथा अन्य स्थानों पर हर तबके के लोगों ने लगभग रोजाना ही प्रदर्शनों में भाग लिया। अमित शाह की क्रोनोलॉजी के खिलाफ तथा छात्रों के समर्थन में हुई इन विरोध कार्यवाहियों में वाम दलों ने सक्रिय हिस्सेदारी की। जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शाहीन बाग़ की महिलाओं ने एक धरने का आयोजन किया। उन महिलाओं में से कइयों की संतानें उन छात्रों में शामिल थीं। यह विरोध प्रदर्शन हाल के दशकों में महिलाओं के नेतृत्व में देखने में आया सबसे अधिक समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन गया (बिज़नेस स्टैण्डर्ड, 1 फरवरी, 2020) । इसने पूरे देश में एक कोहराम मचा दिया था, और जल्दी ही इस प्रकार के सैकड़ों अन्य धरने आयोजित किए जाने लगे थे। 5 जनवरी को जे.एन.यू. के छात्रों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के गुंडों द्वारा हिंसक हमला किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की मिलीभगत से लाठियों और हॉकी बल्लों से लैस गिरोह को कैंपस में खुली छूट दे दी गयी थी। जे.एन.यू. छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष को बुरी

तरह पीटा गया (एन.डी.टी.वी., 6 जनवरी, 2020) । छात्र संघ उनके ख़ास निशाने पर था, जो बढ़ाई गयी फीस के खिलाफ आन्दोलनरत था। तमाम छात्रों को चोटें आयी थीं। हालांकि हमलावर अपना चेहरा छुपाये हुए थे, लेकिन तमाम समाचार संगठनों ने कई हमलावरों की पहचान कर दी है। इसके बावजूद, इस अभूतपूर्व तथा कातिलाना हमले के दस महीनों के बाद भी चिन्हित किये गए हमलावारों में से किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार एवं शासक दल के लिए देश के स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन का आकार प्रकार पूरी तरह अप्रत्याशित था। उनको और भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण तथा धर्म निरपेक्ष थे। पहली बार मुस्लिम महिलाएं काफी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही थी। उनकी प्रेरणा स्रोत शाहीन बाग की महिलाएं थी। इस परिप्रेक्ष्य में सत्ता में बैठे लोगों ने तथा संघ परिवार ने विरोध प्रदर्शनों को बदनाम करने का एक शातिर अभियान छेड़ दिया। यूपी में तो उन महिलाओं के साथ मारपीट की गयी तथा उनको धमकाया गया।

हमारे देश का इतिहास यह दर्शाता है कि एक समुदाय का कट्टरवाद तथा धर्मान्धता दूसरे समुदाय के कट्टरवाद को प्रोत्साहित करते हैं। जिस प्रकार भाजपा-आरएसएस-संघ परिवार के स्वयं की श्रेष्ठता पर आधारित साम्प्रदायिक एजेंडा के जवाब में मुस्लिम कट्टरपन अपने समुदाय में स्वयं की स्थिति को मजबूत करने में सफल होता है, उसी प्रकार पोपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया तथा जमात ए इस्लामी जैसे इस्लामिक संगठनों की विभाजनकारी गतिविधियों से हिन्दुत्ववादी संगठनों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने खेल में मदद मिलती है। इस दौरान तथाकथित 'संप्रदाय' के नेताओं द्वारा भड़काऊ बयान जारी किए गए। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के नांदेड में स्टूडेंट्स इस्लामिक आर्गेनाईजेशन ऑफ़ इंडिया के एक लीडर ने सी.ए.ए. विरोधी आन्दोलन के मंच से आपत्तिजनक बयान जारी कर दिया। उस पर तुरंत कार्यवाही की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया (ईस्ट कोस्ट डेली, 7 फरवरी, 2020) । हिन्दुत्ववादी संगठनों द्वारा इस प्रकार के आपत्तिजनक बयानों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, हालांकि ये बयान सी.ए.ए.–एन.पी.आर.–एन.आर.सी. के विरुद्ध चल रहे विरोध प्रदर्शनों की सम्यक राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

इन प्रदर्शनों का एक आयाम यह भी था कि इनका नेतृत्व कर रही महिलाओं ने मुस्लिम कट्टरता के प्रचार के लिए इन मंचों का उपयोग नहीं करने दिया। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था। सारे देश में ये प्रदर्शन सख्ती के साथ धर्म निरपेक्ष बने रहे, जिनमें जनता के सभी तबकों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से शिरकत की। जनवरी में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर वर्ग द्वारा दो दिनों की अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल सफलता पूर्वक संपन्न हुई। इस हड़ताल की मांगों में एक मांग यह भी थी कि सी.ए.ए.–एन.पी.आर.–एन.आर.सी. योजना को वापस लिया जाए (सी. आई.टी.यू. बयान 8 जनवरी, 2020) । कम से कम बारह राज्य सरकारों ने, जिनमें कुछ

सत्ताधारी एनडीए से संबद्ध थीं, यह घोषणा की कि एनआरसी को उनके प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। केरल की एल.डी.एफ. सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने विधान सभा में इस आशय का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद तमाम दूसरी राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया था (दी हिन्दू, 31 दिसम्बर, 2019) ।

दिल्ली विधान सभा के चुनाव 8 फरवरी, 2020 को संपन्न होने थे, जिनके लिए जनवरी के महीने में चुनाव अभियान चलाया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम इस चुनाव अभियान की पृष्ठभूमि में रहा था। महीने के आखिर में हुई सांप्रदायिक हिंसा का भी वह घटनाक्रम पूर्व संकेतक था।

दिल्ली चुनाव प्रचार अभियान

फरवरी, 2020 में होने वाले दिल्ली विधान सभा चुनावों में भाजपा को अपनी जीत का भरोसा था, क्योंकि मई 2019 में हुए लोक सभा चुनाव में उसे जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल हुई थी। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा ने तूफानी चुनाव प्रचार अभियान छेड़ दिया था। इसके चालीस स्टार चुनाव प्रचारकों में प्रधानमंत्री मोदी, तमाम केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा पार्टी के अन्य लीडरान शामिल थे। चुनाव अभियान के आखिरी हफ्ते में 200 संसद सदस्यों को मलिन बस्तियों में तथा गरीब इलाकों में भेजा गया था। भारी मात्रा में पैसा खर्च किया गया था। 2014 की जीत के बाद भाजपा का सामान्यतः यही तौर तरीका बन गया है।

दिल्ली के इतिहास में सांप्रदायिक घृणा पर आधारित इस तरह का चुनाव प्रचार पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाव प्रचार में भाजपा के सभी नेताओं ने, बल्कि उनमें से प्रत्येक ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की, तथा सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनों को राष्ट्र हित के खिलाफ षडयंत्र करार देने की भरपूर कोशिश की। शाहीन बाग को तथा वहां की बहादुर महिलाओं को दुश्मन करार दिया गया, तथा धर्म निरपेक्ष भारत को भाजपा की घृणा की राजनीति के निशाने पर लिया गया।

खुद गृहमंत्री ने चुनाव प्रचार का जहरीला माहौल निर्मित किया। जैसा कि 26 जनवरी, 2020 के समाचार पत्रों में छपा था – उन्होंने वोटिंग मशीन का बटन इतना जोर से दबाने के लिए कहा कि उसका करंट शाहीन बाग तक जा पहुंचे। इसी प्रकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कहा था कि – उनके पूर्वजों ने तो देश के टुकड़े कर डाले थे, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत से उन्हें शिकायत होती है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से यह नारा लगवाया था – 'देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को'। दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सी.ए.ए. विरोधी आंदोलन के खिलाफ भाजपा का यह मुख्य हथियार बन गया था। भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था – 'लाखों लोग शाहीन बाग में इकठ्ठा हैं ... वे आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे तथा उन्हें मार डालेंगे।' अनुराग ठाकुर तथा परवेश वर्मा को चुनाव आयोग ने चुनाव संहिता

का उल्लंघन करने के लिए क्रमशः 72 तथा 96 घंटों के लिए चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि यह कार्यवाही बहुत हलकी थी, मगर फिर भी इन दोनों नेताओं के खिलाफ घृणा फैलाने के सबूत के तौर पर इसका अपना महत्त्व अवश्य है।

दिल्ली पुलिस ने बहरहाल उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दाखिल करने से मना कर दिया था, और न ही चुनाव आयोग ने ऐसे कोई निर्देश ही जारी किए थे। ठाकुर के उत्तेजक नारों का तुरंत एक परिणाम हुआ। भाषण के दो दिन बाद ही एक हिंदुत्व समर्थक रामभक्त गोपाल ने यूनिवर्सिटी के गेट पर जामिया के प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चला दी। एक हफ्ते बाद एक अन्य व्यक्ति ने, जिसका नाम कपिल गुज्जर था, शाहीन बाग के प्रदर्शन स्थल पर गोली चला दी। अपने को हिन्दू सेना बताने वाले एक संगठन ने 2 फरवरी को शाहीन बाग पर इकठ्ठा होने के लिए अपने समर्थकों का आह्वान किया था। इस तरह उस क्षेत्र में तनाव फ़ैल रहा था।

असल में भाजपा के सत्ता में आ जाने पर मुसलामानों अथवा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुश्मनी को शीर्ष से समर्थन हासिल होता है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का, ख़ास कर भीड़ हिंसा का मजबूती के साथ सामना नहीं किया जाता, बल्कि उसका स्वागत किया जाता है। इसलिए भीड़ द्वारा हमले, लिंचिंग तथा धार्मिक स्थलों पर हमले करने के सिलसिले में कानून का कोई ख़ौफ़ नहीं होता है। इसके साथ-साथ भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी लोगों के बीच अभियान चलाया जाता है। भारत में तथाकथित मिनी पाकिस्तान बनाये जाने का दुष्प्रचार किया जाता है। वे मुसलामानों के खिलाफ सामान्यतः लव-जिहाद, गौ हत्या, बढ़ती जनसंख्या तथा उनकी विदेशी निष्ठा जैसी बेबुनियाद खबरों को फैलाते रहते हैं। शाहीन बाग असल में इस सारे दुष्प्रचार का केंद्र बिंदु जैसा बन गया था, और इस प्रतीक में सारे के सारे मिथक एवं झूठ समाहित हो गए थे।

8 फरवरी को वोट डाले गए, और 11 फरवरी को नतीजे आए। आप पार्टी की भारी जीत हुई। उसने 70 में से 62 सीटें जीतीं, तथा 53.57 प्रतिशत मत प्राप्त किए। भाजपा को 8 सीटें हासिल हुईं तथा उसे 38.51 प्रतिशत वोट मिले।

चुनाव के मैदान में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ज़हर के जो बीज बोए गए थे, उनकी फसल भाजपा को 23 फरवरी को शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में काटने का अवसर प्राप्त हुआ। राजधानी की जनता को उसकी कीमत अभी तक चुकानी पड़ रही है।

खंड दो
सांप्रदायिक हिंसा का भयानक चेहरा

इस भाग में जो विश्लेषण किया गया है, तथा जो तथ्य दिए गए हैं, वे चश्मदीद गवाहों एवं स्थानीय लोगों के साथ की गयी बातचीत पर, 'दिल्ली एकजुटता, राहत तथा पुनर्वास समिति' के वालंटियरों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर, शोकसंतप्त परिवारों के सदस्यों के लिए गए साक्षात्कारों पर, तथा मीडिया रिपोर्टों पर – जिनमें एन.डी.जयप्रकाश द्वारा दी वायर (6,7,8,14,और 15 जुलाई, 2020) में प्रकाशित पांच भागों का विश्लेषण शामिल है, आधारित हैं। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध पुलिस रिकार्ड्स का भी यहाँ उपयोग किया गया है। बृंदा करात तथा अन्य के द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं (संख्या 669/2020 तथा 670/2020) के जवाब में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल हलफ़नामा दिनांक 13 जुलाई, 2020 का भी यहां उपयोग किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक़ 53 लोगों की जान गयी थी, जबकि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक़ मृतकों की संख्या 54 है।

दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा-आरएसएस की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को एक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ – जिसमें सी.ए.ए. विरोधी आंदोलन भी शामिल था। दूसरी ओर, भाजपा-आरएसएस ने यह निष्कर्ष निकाला कि चुनावों में हार के बावजूद वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हुए थे। सांप्रदायिकता का जिन्न प्रकट हो गया था, और स्वयंसेवक लोग खून के प्यासे हो रहे थे।

स्थानीय लोगों के मुताबिक़ हिंसा से कुछ दिन पहले आरएसएस एवं उससे संबद्ध संगठनों ने अपनी बैठकों में इस विषय पर विचार किया था कि सी.ए.ए. विरोधी आन्दोलन को उस क्षेत्र में फ़ैलने से कैसे रोका जाए। भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस से संबद्ध है, से जुड़े कुछ नेताओं ने अपने चुनिन्दा सदस्यों को इन बैठकों की जानकारी प्रदान की थी। चश्मदीद गवाहों ने हमें बताया कि 22 फरवरी को यमुना विहार में आरएसएस के कार्यालय में बैठकें हुई थीं। यह वह क्षेत्र है जहां भाजपा के नेता कपिल मिश्रा रहते हैं।

21 फरवरी को शिवरात्रि थी। त्यौहार के बहाने आरएसएस से जुड़े लोगों एवं संगठनों ने लोगों को लामबंद करना शुरू किया। त्यौहार के जुलूस के दौरान आक्रामक तरह के नारे

लगाए गए। 22 फरवरी की शाम को मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक ऐसी वारदात हुई, जो आगे होने वाली दुखद घटनाओं की ओर इशारा करती थी। दो मुसलमान लड़कों को एक हिंदुत्व गिरोह ने रोका। उनके साथ गाली-गलौज तथा मारपीट की गई। हमारे पास उस डॉक्टर का बयान है, जिसने उनका इलाज किया था। पुलिस उपस्थित थी, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा 23 फरवरी की सुबह मौजपुर चौक के पास मुख्य सड़क पर लोगों की टोलियों द्वारा सी.ए.ए. के समर्थन में नारे लगाए गए। यह सब कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण से कई घंटे पहले का वाकिया था। उनके नारे महिलाओं के धरने को लक्ष्य करते हुए थे।

उत्तर पूर्व दिल्ली के इलाके में आठ स्थानों पर महिलाओं द्वारा शांतिपूर्ण धरने दिए जा रहे थे - जाफ़राबाद, मुस्तफ़ावाद, कर्दमपुरी चौक, चाँद बाग, श्रीराम कॉलोनी, खजुरी खास, नूर-ए-इलाही घोंडा, बब-उल-उलूम सीलमपुर। उन सभी की शुरुआत जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में हुई थी। किसी में भी किसी सड़क को ब्लॉक नहीं किया गया था। हालांकि साउथ दिल्ली में स्थित शाहीन बाग के धरने के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में सड़क की नाकेबंदी के सम्बन्ध में पिटीशन डाली गई थी, लेकिन किसी भी पिटीशन में उत्तर पूर्व दिल्ली का जिक्र नहीं था।

असल में सड़क की नाकेबंदी का कोई मुद्दा नहीं था। सार्वजनिक स्थलों पर जमी हुई सैकड़ों महिलाओं का वह दृश्य, जिनको सुना और देखा जा रहा था, जिसमें कई तो बुर्का ओढ़े हुई थीं, सांप्रदायिक ताकतों को यह नहीं पच पा रहा था। दिल्ली पुलिस में भी यही पूर्वाग्रह छाया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में यह दावा किया है कि महिलाओं द्वारा जगह खाली करने से इंकार करने से क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को धक्का लगा था। अर्थात, मुस्लिम नागरिकों द्वारा यदि कोई शांतिपूर्ण विरोध भी किया जाता है, तो उससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता है!

भाजपा की योजना थी कि विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त कर दिया जाए। पहले वाले हफ्ते के दौरान उन्होंने इसी दिशा में प्रयास किए। कपिल मिश्रा के भाषण से इसकी शुरुआत होनी थी। चूंकि वह करावल नगर सीट से पूर्व में विधायक रहा था, इसलिए उसकी उपस्थिति ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा किया। पुलिस खुले रूप से उसका साथ दे रही थी। यहां यह नोट किया जाना महत्त्वपूर्ण है कि मिश्रा के आग उगलने वाले भाषण के बाद ही हिंसा की शिकायतें आने लगी थी।

कपिल मिश्रा के अलावा हिंसा के लिए भाजपा के दूसरे नेताओं की भूमिका के बारे में चश्मदीद गवाहों ने तथा पीड़ितों ने ख़ास तौर पर उल्लेख किया है। इनमें करावल नगर से नए चुने गए विधायक मोहन सिंह बिष्ट, लोनी (यूपी) के विधायक नन्द किशोर गुज्जर, घोंडा विधायक अजय महेश्वर, बागपत (यूपी) के सांसद सत्यपाल सिंह, मुस्तफ़ावाद के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान, तथा प्रमोद गुप्ता (यमुना विहार) एवं कन्हैया लाल (जौहरीपुर) जैसे दिल्ली के म्युनिसिपल काउंसिलर शामिल हैं। बताया गया है कि उनमें से कुछ लोग

दिल्ली की सीमा के पार से गुंडों को लेकर आए थे, जिन्होंने हमले किए थे। उन्होंने पत्थरों से भरे ट्रकों का भी इंतजाम किया था, जिनको 'जय श्री राम' के उद्घोष के साथ सडकों पर खाली किया गया था। लेकिन पुलिस ने न तो उनके कृत्यों की जांच की है, और न ही एफआईआर में उनके नाम शामिल किये हैं।

महिलाओं पर दोषारोपण

दिल्ली पुलिस को लगता है कि महिलाओं के जिस धरने को छोटी सड़क से जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन पर शिफ्ट किया गया था, उसी से हिंसा भड़की थी। लेकिन यह पूरी तरह झूठ है। विरोध प्रदर्शन हमेशा ही शांतिपूर्ण रहा था। ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस प्रकार हिंसा भड़का सकता था?

चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में भीम आर्मी ने 23 फरवरी, 2020 के दिन आरक्षण से जुड़े सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के खिलाफ विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था। उन्होंने सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनकारियों से राजघाट की ओर उनके मार्च में शामिल होने के लिए निवेदन किया था। विरोध कर रही महिलाओं पर इस आह्वान का कोई असर नहीं हुआ था – आठ में सात स्थलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। केवल चाँद बाग में एक जुलूस निकला था, जहां पुलिस बल भारी संख्या में उपस्थित था। भीम आर्मी के आह्वान के बारे में हर धरना स्थल ने अपना अपना निर्णय लिया था, इससे यह साबित होता है कि षडयंत्र जैसा कुछ नहीं था – जैसा कि पुलिस ने आरोप लगाया है।

हिंसा की शुरुआत

23 फरवरी को दोपहर बाद लगभग डेढ़ बजे भाजपा नेता कपिल मिश्रा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मौजपुर चौक पर जमा हुए, जो जाफ़राबाद धरना स्थल से 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस ने उसे धरना स्थल के इतना नजदीक इकठ्ठा होने से रोका क्यों नहीं? वास्तविकता तो यह है कि पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कपिल मिश्रा के बगल में ही खड़े हुए थे। डीसीपी ने उसकी हेट स्पीच सुनी थी जिसमें उसने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी थी – जैसा कि वायरल हुए तमाम वीडियो में देखा जा सकता है। उसने कहा था – "धरना समाप्त करवाने के लिए हम पुलिस को तीन दिन दे रहे हैं, नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प के जाने के बाद हम सडकों पर उतर आएंगे" (इंडिया टुडे, 23 फरवरी, 2020) । पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। भाजपा समर्थकों द्वारा भीम आर्मी के बारे में ख़ास तौर पर अपमानजनक तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

कपिल मिश्रा के भाषण के संभावित विनाशकारी परिणामों के बारे में पुलिस बख़ूबी वाकिफ़ थी। हाईकोर्ट में दाखिल पुलिस के हलफ़नामे में घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों के 6 वायरलेस संदेशों का हवाला दिया गया है (टाइम्स ऑफ़ इंडिया 27 फरवरी, 2020 भी

नारेबाजी करती भीड़ का नेतृत्व करते भाजपा के नेता कपिल मिश्रा (बांए), तथा डीसीपी की उपस्थिति में भड़काऊ भाषण देते हुए (दांए), मौजपुर 23 फरवरी।

देखें) । ख़ुफ़िया एजेंसी के लोग पुलिस के उच्च अधिकारियों को हिंसा के ख़तरों से आगाह कर रहे थे, तथा हिंसा टालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने की जरूरत पर जोर दे रहे थे। पुलिस के हलफ़नामे में ख़ुफ़िया स्रोतों द्वारा जो सन्देश भेजे गए थे, उनका ख़ास तौर पर ब्यौरा दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, तथा किसी भी हिंसा को फैलने से रोकने के लिए रैपिड एक्शन फ़ोर्स को तैनात करने से रोक दिया।

कपिल मिश्रा द्वारा बखेड़ा खड़ा करने वाली डींग हांके जाने के कुछ देर बाद ही शेरपुर चौक, करावल नगर, घोंडा तथा भजनपुरा में सी.ए.ए. समर्थक जमघट लगने शुरू हो गए थे। मौजपुर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने जाफ़राबाद धरना स्थल की ओर रुख किया तथा पत्थर बरसाने लगे। दूसरी तरफ से भी बदले की कार्यवाही की गई। कई क्षेत्रों में पत्थरबाजी शुरू हो गयी। आगजनी की पहली घटना 23 फरवरी को हिन्दू बहुल इलाके में करावल नगर, दयालपुर तथा खजुरी के संगम पर स्थित शेरपुर चौक पर हुई। गवाहों के अनुसार करावल नगर के भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट वहां उपस्थित ही नहीं था, बल्कि उसने भीड़ को उकसाने वाला और नफरत से भरा भाषण भी दिया था। वास्तव में तो रात आठ बजे के लगभग मुसलमानों की दुकानों को जलाने के साथ ही हिंसा की शुरुआत हो गई थी। गवाहों ने बताया कि भीड़ उस नारे को ही दुहरा रही थी जो बाद में हिन्दुत्ववादी भीड़ का युद्ध घोष बन गया था – 'देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को'।

इस इलाके में मकान मालिक लोग अधिकतर हिन्दू हैं, तथा असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मुस्लिम मजदूर वहां किराएदार हैं। मकान मालिक लोगों ने उनसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उनको उतना वक्त भी नहीं दिया गया कि वे अपना सामान ले जा सकें। ऐसा लगता है कि मकान मालिक लोग इस बात से डरे हुए थे कि मुसलमानों को बसाने के चक्कर में कहीं उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचा दिया जाए। भीड़ ने खजुरी एक्सटेंशन में तथा चंदू नगर में भी मुस्लिम दुकानों में आगजनी की थी।

यहाँ तक, अर्थात 12 दिसम्बर, 2019 से लेकर, जब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ, 23 फरवरी, 2020 तक, जो भी टकराव हुए थे, वे सब सी.ए.ए.

23 फरवरी की रात को शेरपुर चौक पर उकसाने वाली नारेबाजी करती एकत्रित भीड़। ये चित्र एक तमाशबीन के फ़ोन से फिल्माए गए विडियो से लिए गए हैं।

दोनों तरफ के अपराधी तत्त्व। शाहरुख़ को, जिसने 8 राउंड गोलियां फायर की थीं, हिरासत में ले लिया गया था, जाफराबाद में पुलिस पर निशाना साधते हुए (बांए); लेकिन 25 फरवरी को विजय पार्क की मुस्लिम बहुल गली में फायरिंग करते निशानेबाज को पुलिस संरक्षण (दांए)।

विरोधियों एवं पुलिस के बीच हुए थे। यूपी में तो खासकर ऐसा हुआ था, जहां पुलिस ने बल पूर्वक कुछ धरना स्थलों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के प्रयास किये थे। 23 फरवरी से सारा ध्यान दिल्ली पर केन्द्रित हो गया था, जहां भाजपा तथा उसके अन्य संगठन इसको सांप्रदायिक टकराव में तब्दील करने में सफल हो गए थे, और दिल्ली पुलिस हिन्दुत्ववादी ताकतों की तरफ़दारी कर रही थी।

बाद वाले हफ़्तों में हिंसा पर काबू पाने की बजाय उसको और अधिक धधका दिया गया। दोनों तरफ से भीड़ जमा होने लगी। अपराधी तत्त्वों ने एक दूसरे पर हमला करने में बंदूक, देशी बम, पेट्रोल बम, एसिड, पत्थर तथा ईंटों का प्रयोग किया। दंगा भड़काने वालों की भूमिका को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमारी टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों तथा लिए गए साक्षात्कारों से इंगित होता है कि अल्पसंख्यकों की बस्तियों को निशाना बनाया गया था। कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यकों की ओर से जवाबी कार्यवाही भी हुई। पुलिस ने पूरी तरह से हिन्दुत्ववादी ताकतों का साथ दिया। अगर पुलिस ने ऐसा न किया होता तो हिंसा पर काबू पाया जा सकता था।

चाँद बाग का उदाहरण : 23 – 24 फरवरी

चाँद बाग एक ऐसी बस्ती है जहां मुख्यतः मुसलमान लोग रहते हैं। एक चौड़ी सड़क और कंधे तक ऊंचे लोहे के डिवाइडर के पार यमुना विहार है, जिससे जुड़ा हुआ भजनपुरा है – और दोनों ही हिन्दू बहुल इलाके हैं। कपिल मिश्रा ने मौजपुर के अपने भाषण में चाँद बाग को ख़ास तौर पर निशाने पर लिया था। पुलिस के अनुसार चाँद बाग हिंसा के मुख्य केन्द्रों में से एक रहा है। नीचे हम चश्मदीद गवाहों द्वारा दिया गया विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो यह

दिखता है कि किस प्रकार हिंसा को फैलने दिया गया था।

23 फरवरी को जब सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनकारी राजघाट की ओर मार्च कर रहे थे, तब मेन रोड पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया था। पुलिस की इस कार्यवाही ने एक प्रभावी चक्का जाम की स्थिति पैदा कर दी थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां मेन रोड पर धरना देने बैठ गए थे। उनका धरना हालांकि पूरी तरह शान्ति पूर्ण था।

कपिल मिश्रा के भाषण के बाद शाम तक उसके 50 से लेकर 100 समर्थकों की भीड़ रोड पर आगे जाकर इकट्ठा हो गयी थी, जो इस नए धरना स्थल से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित था। प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हुए उन्होंने 8 बजे से शुरू करके कई राउंड पत्थरबाजी की।

सी.ए.ए. विरोधी धरने के संयोजकों ने लाउड स्पीकरों पर अपने समर्थकों से मेन रोड को खाली कर सर्विस रोड पर टेंट में लौट आने के लिए कहा, जहां धरना चल रहा था। मेन रोड को खाली कर दिया गया था, तथा प्रदर्शनकारी लोग वापस टेंट में लौट आए थे।

इसी बीच चाँद बाग की दूसरी ओर स्थित शेरपुर चौक पर हिंसा शुरू हो गयी थी। वहां मुसलमानों की कुछ दुकानों में आग लगा दी गयी थी। रात को साढ़े ग्यारह बजे सशस्त्र पुलिस बटालियन ने फ्लैग मार्च शुरू किया, जो टेंट के पीछे से चाँद बाग पुलिया की ओर दाहिनी तरफ मुड़ गयी थी। पुलिया की ओर मुड़ते ही, शेरपुर चौक जाने की बजाय – जहां मुसलमानों की दुकानों में आगजनी की गयी थी, पुलिस ने देर रात अल्पसंख्यकों की बस्ती में लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें आयीं।

फ्लैग मार्च अब पुलिया के पार रोड पर आगे बढ़ गया था। वहां एक केसरिया झंडा फहराया गया था, और केसरिया पट्टा बांधे तथा 'जय श्री राम' एवं 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए एक समूह ने पुलिस की अगवानी की। पुलिस ने इन नारों का उत्साहपूर्वक जवाब दिया।

एक चश्मदीद के अनुसार उस समूह में से एक ने पुलिस से कहा था – आज एकाध का तो काम कर देना चाहिए। तब एक पुलिस वाले ने जवाब दिया – 'एकाध को आज़ादी दे ही देंगे। बड़ा शौक चल रहा है आज़ादी का।' पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये का यह एक स्पष्ट चिन्ह था।

24 फरवरी को सुबह तड़के उस क्षेत्र में बेचैनी पूर्ण शान्ति पसरी हुई थी। पुलिस गायब हो गयी थी – जो कि रात को वहां जो कुछ हुआ था, उसके हिसाब से थोड़ी अजीब बात थी। लेकिन, जैसा कि कई चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस वहां 11 बजे से पहले पहुंच गई थी, और उसके साथ डंडे और तलवार लिए नकाबपोश लोगों की भीड़ भी आयी थी।

उस सुबह चाँद बाग धरना स्थल से पुलिस ने दो युवा प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर पीट दिया था। जब महिलाओं ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। यह पुलिस का वहां की महिलाओं के ऊपर पहला लाठी चार्ज था। चाँद बाग के निवासी भी बड़ी संख्या में आकर सड़क पर इकठ्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस से उनका टकराव हुआ। कई राउंड

पुलिस की मदद से भजनपुरा की भीड़ चाँद बाग में प्रवेश करती हुई (ऊपर बांए), चाँद बाग की तरफ से जमावड़ा (ऊपर दांए), चाँद बाग के दूसरी ओर मेन रोड पर भीड़ का साथ देती पुलिस (दांए)।

आंसू गैस छोड़ी गई। इस बीच नकाबपोश लोगों की भीड़ बढ़ती गई, जो 'जय श्री राम' के तथा सांप्रदायिक रूप से अपमानजनक नारे लगा रहे थे। पुलिस आंसू गैस छोड़ रही थी और उनके साथ-साथ नकाबपोश भीड़ प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। धरना स्थल के दूसरी तरफ अपरान्ह लगभग एक बजे महिलाओं की ओर अपने गुप्तांगों की ओर इशारा कर कर के पुरुषों का एक समूह चिल्ला रहा था – 'ये ले लो आज़ादी'।

हिंसा और तेज होती जा रही थी, और दिन के दो बजे के लगभग गर्भवती रुबीना बानो पर एक लाठी पड़ी तथा उसके सिर पर एक ईंट टकराई। उस गहरे घाव के लिए उसके सिर में 20 टांके लगे थे। पत्थरबाजी और आंसू गैस के बीच चारों ओर अराजकता थी। दोनों ओर से पत्थरबाजी हो रही थी। अव्यवस्था का माहौल था। महिलाएं चीख रही थी और भीड़ द्वारा अश्लील नारे लगाए जा रहे थे। धरना स्थल के पार मोहन नर्सिंग होम की छत से पत्थरबाजी और गोलीबारी हो रही थी।

चौंकानेवाली बात लेकिन यह थी कि साफ तौर पर बढ़ते तनाव तथा तेज होती हिंसा के बावजूद चाँद बाग क्षेत्र में पुलिस अथवा रैपिड एक्शन फ़ोर्स की अतिरिक्त टुकड़ियां नहीं मंगाई गई। अगर ऐसा किया गया होता तो पुलिसकर्मी रतन लाल की दुखद मृत्यु होने से बचाया जा सकता था। पर्याप्त सुरक्षा बल न होने के कारण सीमित संख्या में उपलब्ध

पत्थरबाजी तथा गोलीबारी के लिए मोहन नर्सिंग होम की छत का प्रयोग करते शरारती तत्त्व (ऊपर बांए), रुबीना बानो (ऊपर दांए)।

पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में घिर गए थे। डीसीपी अमित शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। एसीपी अनुज कुमार भी घायल हुए। हेड कांस्टेबल रतन लाल को, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, पत्थरबाजी से सिर में गंभीर चोट आई। उनको एक गोली भी लगी थी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

गवाहों के मुताबिक़ लगभग उसी समय ऑटो रिक्शा चालक शहीद खान को मोहन नर्सिंग होम की छत से गोली मारी गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

उसी दिन, वेल्डर शाहबान को चाँद बाग से वेल्डिंग मशीन उठानी थी। उसकी मोटर साइकिल को रोक लिया गया, और उसके पैर में गोली मार दी गई। जावेद नामक एक राहगीर ने जब उसको फुटपाथ पर पड़े पाया, तो वह उसको अस्पताल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस भले काम के लिए जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उसको कड़ी यातनाएं दी गई। शाहबान के परिवार वालों ने जावेद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था।

19 वर्षीय अकीब अहमद को भीड़ ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी ब्रेन सर्जरी हुई। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार, लगभग एक ही वक्त पर चार लोगों की मौत हुई, लेकिन न्यूज़ मीडिया एवं सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी रतन लाल की दुखद मौत को जहां पर्याप्त कवरेज प्रदान किया गया, वहीं तीन मुसलमानों की मौत को लगभग बेखबर रखा गया।

यहां ध्यान देने की बात यह है कि चाँद बाग में पुलिस द्वारा अथवा सी.ए.ए. समर्थक भीड़ द्वारा जो भी कार्यवाही की गई थी, वह कॉलोनी के उस हिस्से में की गई थी जो मुस्लिम इलाका है। रोड के पार दूसरी ओर वाला हिस्सा लगभग न के बराबर हिंसा का शिकार हुआ। इसका अपवाद लेकिन 24 फरवरी को अपराह्न भजनपुरा साइड में स्थित पेट्रोल पंप पर की गई आगजनी रही। जब यह आगजनी हुई, तब दोनों तरफ की भीड़ वहां जमा थी।

सी.ए.ए. विरोधी धरना स्थल के टेंट में जो आग लगी थी, उसका विडियो साक्ष्य उपलब्ध है, जबकि आक्रामक नारेबाजी के बीच उस पर पत्थरबाजी भी की जा रही थी। धरना स्थल के नजदीक स्थित घर, दुकानें तथा एक गोदाम को भी उस दिन दोपहर बाद आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस को चाहिए कि वह इस बात की जांच करे कि आगजनी के लिए कौन जिम्मेदार था।

विडियो में जिन लोगों को साफ़ तौर पर पहचाना जा सकता है, क्या उनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए हैं? हमारे सर्वे दलों को बताया गया था कि भाजपा का जगदीश प्रधान, जो मुस्तफ़ावाद का पूर्व विधायक था, तथा जो 2020 के चुनाव में हार गया था, चाँद बाग तथा अन्य क्षेत्रों में हमले करवाने में शामिल था। क्या उसकी भूमिका की कोई जांच की गई है?

23 फरवरी को हिंसा हो जाने के बाद दूसरे दिन हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्यों सी.ए.ए. समर्थक भीड़ को सड़क पार कर के मुस्लिम इलाके में जाने दिया गया? मोहन नर्सिंग होम के मालिक के खिलाफ क्यों मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उसको हमला करने के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था?

चाँद बाग के आस पास का इलाका

24 फरवरी की शाम तक चाँद बाग के इर्द गिर्द के सारे क्षेत्र की घेराबंदी हो गई थी। सिग्नेचर ब्रिज को पुलिस ने बंद कर दिया था, जबकि हिन्दुत्ववादी भीड़ ने अन्य रास्तों को घेर लिया था। एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जा रहा था। पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। मेन रोड पर तथा चाँद बाग से जुड़े खजुरी खास में मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था।

असल में इस क्षेत्र में केवल गली नंबर 4, 5 और 29 वे तीन गलियाँ हैं जहां मुस्लिम आबादी रहती है। 25 फरवरी को इन गलियों में हमले शुरू किए गए। डरे हुए परिवारों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उसने भीड़ को तितर बितर करने तथा हिंसा को शांत करने के कोई प्रयास नहीं किए। पुलिस के एक छोटे से समूह ने आकर मुस्लिम परिवारों को बताया कि उनके घरों में तो आगजनी होनी ही है। बेहतर ये होगा कि अगर जान बचानी है तो वे उनको उस क्षेत्र से बाहर निकालने में मदद कर सकते थे। अधिकतर परिवारों ने यही बेहतर समझा। मुसलमानों के कुल 52 घरों में आग लगा दी गई। भीड़ को यह ठीक ठीक पता था कि किन घरों में आग लगानी थी। उदहारण के लिए, 5 नंबर गली में एक अकेले हिन्दू घर को

अंकित शर्मा का परिवार बृंदा कारत के साथ।

छोड़ दिया गया था, 29 नंबर की गली में केवल मुस्लिम घरों में आगजनी की गयी। आगजनी के किसी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने गोविन्द एंटरप्राइज के मालिक की पहचान की है, जो भीड़ का नेतृत्व करने वालों में से एक था। उसको भी गोलीबारी करते हुए देखा गया था। लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

यह सब 25 फरवरी को दोपहर बाद घटित हुआ था। कुछ घंटों के बाद शाम के वक्त ख़ुफ़िया ब्यूरो का एक स्टाफ अंकित शर्मा मारा गया था। उसकी मौत को मीडिया में तथा पुलिस वार्ताओं में काफी स्थान मिला था। उसका परिवार हिंसा स्थल से कुछ गलियां छोड़कर ही रहता है। अंकित शर्मा के परिवार ने हमारी टीम को बताया था कि उस दिन वह लगभग पांच बजे सुरक्षित घर पहुँच गया था, और अपनी मोटर साइकिल खड़ी कर दी थी। उसकी मां ने बताया कि उसके बाद वह स्थानीय लड़कों को हिंसा से रोकने के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद वह जिन्दा वापस नहीं आया। उसका शव नहर से मिला था, जिस पर 12 घाव थे।

हमारी टीम की मुलाक़ात अंकित शर्मा के पिता से नहीं हो पायी, जिन्होंने आप पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाया गया है कि हुसैन ने अपने घर की छत पर हथियार, बम तथा पत्थर जमा करके रखे थे, तथा उसने भीड़ को भड़काया था। उस कारण अंकित शर्मा की मौत हुई थी।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लेकिन हुसैन के घर पर, जो मुख्य सड़क के कोने पर स्थित है, 24 फरवरी की शाम को हमला किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में यह भी बताया गया है कि हुसैन ने पुलिस को अपरान्ह 2 बजे के बाद से 12 दफे सहायता के लिए याद किया था। उसके घर पर हमला कई घंटों तक चला था, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि वह दंगाइयों की बड़ी भीड़ के कारण वहां नहीं पहुंच पाई थी।

ताहिर हुसैन को आखिरकार रात साढ़े ग्यारह बजे बचाया जा सका था जब उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उसने अपने घर की चाबी पुलिस को दे दी थी, जहां पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह 25 फरवरी को पुलिस को सूचित करके वह अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर वापस गया था। लेकिन घर के बाहर विरोधी भीड़ इकठ्ठा थी, इसलिए वह खाली हाथ वापस लौट आया था।

उपरोक्त विवरण उस आख्यान पर हैरान कर देने वाली रोशनी डालती है जिसमें बताया गया है कि हुसैन ने हथियार तथा आग लगाऊ सामान इकठ्ठा कर रखा था, तथा वह अंकित

शर्मा की मौत के लिए जिम्मेदार था। इससे स्पष्ट है कि केवल एक निष्पक्ष जांच ही सच्चाई को सामने ला सकती है।

इसके अतिरिक्त अंकित शर्मा के भाई का वॉल स्ट्रीट जर्नल में (26 फरवरी) छपा बयान है कि 'जय श्री राम' का नारा लगाने वाली भीड़ ने उसके भाई की जान ली थी। हालांकि बाद में वह अपने बयान से पीछे हट गया था, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि उसमें जो छपा है वह रिकार्डेड इंटरव्यू पर आधारित है (रिपब्लिक वर्ल्ड, 2 मार्च, 2020) । जब हमारी टीम ने उनके परिवार से मुलाकात की थी, तब उन्होंने इस बात को दुहराया नहीं था। उन्होंने केवल यही कहा था कि हिंसक भीड़ उस क्षेत्र में बेख़ौफ़ घूम रही थी।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जिस गली में अंकित शर्मा रहता था, उसी गली में एक हिन्दू ने अपने एक मुस्लिम पड़ोसी को उसके बीमार बेटे के साथ कई दिनों तक शरण दी थी। नफ़रत एवं जहर के बीच ऐसी मानवता तथा साहस यही दिखाता है कि दोनों समुदायों के आम लोगों के बीच एकजुटता की भावना अभी भी प्रचलित है।

जिस दिन अंकित शर्मा की जान ली गई उस दिन यूपी से जुड़े करावल नगर क्षेत्र में चार लोगों को जान से मारा गया था। मोहम्मद शाहबाज, जो पेंटिंग का काम करता था, और सुलेमानी जो भवन निर्माण का काम करता था, उन दोनों को हिंसक भीड़ ने मार डाला था, जिसमें यूपी के लोग शामिल थे। जेनरेटर किराये पर उठाने वाले मोहसिन अली को रोका गया, तथा उसकी कार को उसके समेत आग के हवाले कर दिया गया था। मोनिश नाम के दिहाड़ी मजदूर को भी एक भीड़ द्वारा मार दिया गया था। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि लोनी (यूपी) का भाजपा विधायक नन्द किशोर गुज्जर, करावल नगर के अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इस हिंसा में शामिल था।

अन्य क्षेत्रों में हिंसा का फैलाव – कर्दमपुरी

हिंसा के निशाने पर मुख्यतः सी.ए.ए. विरोधी धरना स्थल थे। कर्दमपुरी भी उनमें से एक था। यहाँ मुख्यतः मुस्लिम लोग बसते हैं, और इस पर दो तरफ से हमले हुए थे। एक भीड़ तो करीबी कबीरनगर कॉलोनी से आई थी, और दूसरी मुख्य सड़क से आई थी। 24 फरवरी को सांप्रदायिक नारे लगाती हुई भीड़ ने महिलाओं के नेतृत्व वाले धरना स्थल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।

कर्दमपुरी वही कुख्यात इलाका है जहां 24 फरवरी को 'राष्ट्रगान वाली घटना' हुई थी। पुलिस ने पांच युवकों को – फैजान, वसीम, रफ़ीक, कौसर अली तथा मोहम्मद फरहान को जमीन पर गिराकर उनकी पिटाई की, तथा उनको राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया (ऑल्ट न्यूज़, 25 फरवरी, 2020) । उनमें से एक – फैजान की गंभीर चोट के कारण मौत हो गयी। हमारी टीम ने उसकी मां किस्मतुन से तथा अन्य युवकों से मुलाकात की थी।

इस क्षेत्र के बहुत से युवक गांधीनगर क्षेत्र में स्थित छोटी कपड़ा इकाइयों में काम करते हैं। सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहती है, इसलिए उनमें से बहुत से लोग अपने घर पर ही

थे। उन्होंने सी.ए.ए. विरोधी धरना स्थल पर, जहां उनकी माएं तथा बहनें धरने पर बैठीं थीं, भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बारे में सुना। चाँद बाग की तरह ही यहां भी भीड़ कर्दमपुरी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। इस हमले को रोकने के लिए स्थानीय लोग यहां भी इकठ्ठा हुए। दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हमलावरों की तरफदारी की, तथा सी.ए.ए. विरोधी धरना स्थल पर आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए।

किस्मतुन वहीं धरना स्थल पर उपस्थित थी, जब वहां पत्थरबाजी होने लगी। महिलाएं तितर बितर होने लगीं। वसीम तथा फैजान अपनी मां को लाने के लिए उधर की तरफ दौड़े। उनको भीड़ ने पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की गई तथा उनको जमीन पर लिटा दिया गया। रफ़ीक को, जो काम से घर वापस आ रहा था, भी उसी तरह पकड़ कर पीटा गया।

पुलिस ने उनके साथ मारपीट की तथा उनको राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आज़ादी वाले नारे के लिए उनका मखौल उड़ाया। जब भीड़ ने रफ़ीक को दूर घसीटना चाहा, तो पुलिस ने हॉस्पिटल ले जाने के बहाने पाँचों को एक वैन में डाला, और थाना ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। बाद में उनको छोड़ दिया गया। गहरी चोट के कारण बाद में फैजान की मौत हो गई। इस तरह फैजान की मौत को तो पुलिस-हिरासत में हुई हत्या कही जानी चाहिए।

24 फरवरी को मोहम्मद फुरकान की मौत तब हो गई जब धरना स्थल पर उसकी छाती और जांघ में गोली लगी। चश्मदीद गवाहों का दावा है कि गोलियां पुलिस द्वारा चलाई गई थी। मृतक के भाई द्वारा उन चश्मदीदों के नाम पुलिस को बताए गए थे, लेकिन एफ.आई. आर. में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं दिया गया है। इसके विपरीत फुरकान की मौत के लिए चार मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए नामित किया गया है।

कर्दमपुरी में घुसने का प्रयास करती भीड़ को हटाने की बजाय पुलिस भी उन लोगों पर पत्थरबाजी करने लगी जो कॉलोनी की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े तथा गोलीबारी भी की।

हमारी टीम ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की, जो घायल हुए थे। 14 वर्षीय फैजान अपने घर लौट रहा था, जब वह भीड़ में फंस गया था। कर्दमपुरी रोड मार्किट के पास वह भीड़ पुलिस कार्यवाही से बचकर भाग रही थी। फैजान को जलन सी महसूस हुई तथा वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसको स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने हमारी टीम को बताया कि - "उसको काफी खून बह रहा था। मैंने खून का बहना रोकने के लिए सब कुछ संभव किया। उसको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां गोली को बाहर निकाल लिया गया। वह कई महीनों तक घूम फिर नहीं सका था।"

24 फरवरी की हिंसा के बाद भी पुलिस हमलावर भीड़ को तितर बितर करने में कामयाब नहीं हुई, जिसके कारण अगले दिन मौजपुर तथा कर्दमपुरी के बीच के क्षेत्र में और मौतें हुई। मुदस्सिर नाम का रद्दी वाला, जो मुस्तफ़ावाद स्थित अपने घर से 24 फरवरी की सुबह काम के सिलसिले में बाहर निकला, तो कर्दमपुरी में घिर गया। वह वहीं रुक गया।

फैजान, वसीम, रफ़ीक, कौसर अली, मोहम्मद फरहान – पांच युवकों को पुलिस द्वारा कर्दमपुरी में राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए। चोटों के कारण जिस फैजान की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, वह बांई ओर लेटा हुआ है, और उसका चेहरा कैमरे की तरफ नहीं है।

लेकिन जब दूसरे दिन घर जाने के लिए वह वहां से जाने लगा तो भीड़ ने उसे पकड़ कर मार दिया। 25 फरवरी को कर्दमपुरी से जुड़े क्षेत्र में इश्तियाक खान तथा मुबारक हुसैन को पीट पीट कर मार डाला गया। उसी दिन मौजपुर रोड के पास दीपक की भी जान ले ली गयी थी। अमान को भी 25 फरवरी को मार दिया गया था।

अशोक नगर में मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया था तथा उसके ऊपर केसरिया झंडा फहरा दिया गया था। गोकुलपुरी स्थित एक नजदीकी मस्जिद में 25 फरवरी को आगजनी की गयी थी। पुलिस की मदद से भीड़ ने मस्जिद के निकट तमाम लोगों के साथ मारपीट की, तथा 6 से 8 एलपीजी गैस के सिलिंडर मस्जिद के अन्दर फेंक दिए गए तथा मस्जिद में आग लगा दी गयी। मस्जिद के अन्दर स्थित एक मदरसा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों को आग से बचा लिया गया। अधिकतर उनमें से बिहार से थे। 25 फरवरी की रात को गोकुलपुरी टायर मार्किट में तथा नजदीक स्थित मुस्लिम दुकानों में आगजनी तथा लूटपाट की गयी। दुकानदारों ने एक से अधिक बार आगजनी किए जाने के बारे में बताया।

मुस्तफ़ावाद तथा नजदीकी क्षेत्र

मुस्तफ़ावाद एक अन्य धरना स्थल था, जिस पर हमला किया गया। फारुकिया मस्जिद के नजदीक एक स्थल पर महिलायें धरने पर बैठी थीं। 24 फरवरी को उस धरना स्थल पर नजदीकी कॉलोनी बृजपुरी की भीड़ ने हमला किया। उस कॉलोनी में मुख्यतः हिन्दू आबादी रहती है। अगले दिन दोपहर बाद लुटेरी भीड़ फिर वापस आयी। अबकी बार उनके साथ पुलिस भी थी। चश्मदीदों ने साफ़ तौर पर बताया है कि मस्जिद पर किए गए हमले में पुलिस ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया, तथा आंसू गैस भी छोड़ी गई। हमारी टीम को बताया गया कि गैस सिलिंडर का प्रयोग कर के मस्जिद जलाती भीड़ का साथ पुलिस ने दिया था।

हमारी टीम ने 85 वर्षीय मौलवी अब्बास से मुलाकात की, जिसके सिर पर चोट आई थी, उन्हें बचाते हुए 21 वर्षीय जावेद के हाथ जल गए थे। हमले में जावेद के हाथ और पैर जख्मी हो गए थे। जाकिर और महताब नाम के दो युवकों को मस्जिद के पास मार डाला गया

अशफाक हुसैन, उम्र 22 वर्ष, पुत्र आगाज़ हुसैन, निवासी मुस्तफ़ावाद, मृत्यु 25 फरवरी

अशफाक की शादी उसकी मृत्यु से मात्र दस दिन पहले हुई थी।

उसकी बीस वर्षीया पत्नी इद्दत के तीन महीनों तक एक कमरे तक सीमित रहेगी। उसके नजदीक फर्श पर उसकी शादी का एल्बम पड़ा हुआ है। अशफाक की मां हम लोगों को शादी के फोटोग्राफ दिखाते दिखाते रो पड़ती है, और कुछ बोल नहीं पाती हैं। वे लोग शिया समुदाय से हैं। आगाज अपने बेटे के बारे में तथा उस अभागे दिन के बारे में बताते हैं:

अशफाक बिजली का काम अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान से करता था। रोहित शर्मा नाम का युवक उसका बिज़नस पार्टनर तथा दोस्त है। आगाज़ बताते हैं कि हिन्दू मुस्लिम का कोई भी मुद्दा यहाँ पहले कभी नहीं रहा है। उन लोगों को होली की सजावट का एक ठेका मिला हुआ था, और वे लोग उसमें व्यस्त थे। अशफाक की इस क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा थी।

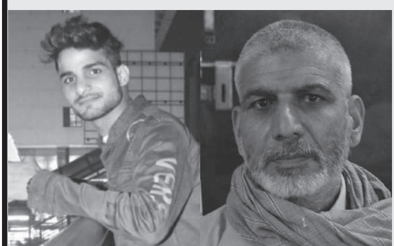

अशफाक हुसैन, आगाज़ हुसैन

25 फरवरी को वह किसी काम से बृजपुरी गया हुआ था। वापस आते समय उसने महिलाओं के धरना स्थल पर हमला करती भीड़ को देखा। वह दौड़ कर वहां पहुंचा, जहां भीड़ से उसका सामना हो गया। उसको बुरी तरह मार गिराया गया – एक गोली उसके सिर में लगी तथा तीन उसके सीने में। उसकी नाक तथा गर्दन पर धारदार हथियार से चोटें आईं। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृतक घोषित कर दिया गया।

उसके परिवार को उसकी मौत के बारे में शाम को पता चल पाया। उसके छोटे भाई मुदस्सिर ने पूरे क्षेत्र में फ़ैले दहशत के वातावरण का वर्णन किया। लोग अपने दुःख तथा गुस्से का इजहार करने के लिए घरों से निकलकर गली में इकट्ठा होने लगे थे। आगाज ने, जो कि मौत की खबर से टूट गया था, यह महसूस किया कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो उस क्षेत्र में रहने वाले 20 हिन्दू परिवारों के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए उसने हर आदमी से शांति बनाए रखने की अपील की। वह अपनी गली के घर घर में सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए गया। उस क्षेत्र में दो छोटे मंदिर भी हैं। उसने कुछ लोगों को मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा दिया। उसने भयानक और हिंसक बदले की कार्यवाही को होने से रोक लिया।

क्या खूब असाधारण रूप से साहसी बाप और इंसान निकला वह व्यक्ति, जिसका नाम आगाज है।

प्रेम सिंह, उम्र 30 वर्ष, पुत्र श्रीमती नाथू देवी, पत्नी का नाम सुनीता, मृत्यु 25 फरवरी।

25 वर्षीय सुनीता आठ महीनों की गर्भवती है। उससे सहानुभूति रखने वाली पड़ोस की महिलाएं तथा उसकी ननदें, और दुखी सास नाथू देवी उसको घेर कर बैठे हैं। नाथू देवी विधवा हैं और बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यूपी के गांव में खेत मजदूर का काम किया था। वह अपने बेटे की मौत की सुनकर दिल्ली आई है। सुनीता की मां भी विधवा हैं। सुनीता उस घर की अब तीसरी विधवा है। उसकी तीन बेटियाँ हैं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी तीन साल की है।

दुःख की मारी, दुर्बल और कमजोर सुनीता बताती है कि 25 फरवरी को प्रेम सुबह आठ बजे बच्चियों के लिए दूध लाने के लिए घर से निकला था। वह रिक्शा चालाक था। जब वह घर नहीं लौटा तो सुनीता ने सोचा कि बाहर हल्ला गुल्ला के कारण वह कहीं रुक गया होगा। लेकिन जब वह रात तक वापस नहीं आया तो अपने सगे संबंधियों तथा दोस्तों से पता किया गया। दूसरे दिन वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पर गई। वहां उसको बाद में आने को बोला गया। 29 फरवरी को पुलिस ने उससे संपर्क किया तथा शव को दिखाया। वह उसके पति का शव था।

प्रेम सिंह, सुनीता

पर वह हैरान परेशान है। पुलिस ने बताया कि उसके पति की लाश को दो किलोमीटर दूर, मौजपुर चौराहे के नजदीक से बरामद किया गया था। वह वहां क्यों गया होगा? वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकती है।

था। कइयों को गंभीर चोट आई थी। नजदीकी मदरसे में 8 से 11 वर्ष की उम्र के 18 बच्चे तथा 12 अध्यापक आग में घिर गए थे। वे मदरसे की छत से भागकर जान बचा सके थे।

उस दिन 25 फरवरी को भीड़ ने अशफाक हुसैन को मार डाला था, जिसकी दस दिन पहले ही शादी हुई थी। उसके पांच गोलियां लगी थीं – तीन गोलियां छाती में, तथा दो उसके सिर में। उसकी गर्दन तथा नाक पर जख्म थे। यह एक नृशंस हत्या थी।

उसी दिन उस क्षेत्र में भीड़ ने ज़मीर की भी जान ले ली थी। पुलिस और सुरक्षा बलों के नदारद रहने तथा मदद की पुकार का कोई जवाब न पाने की वजह से अल्पसंख्यकों को हमलों और हिंसा का जवाब खुद ही देना पड़ा। इससे हिंसा तीव्र हुई तथा घटनाएँ भी अधिक हुईं।

सांप्रदायिक हिंसा का भयानक चेहरा

लुटेरी भीड़ जिस बृजपुरी क्षेत्र से आई थी, वहां रहने वाले राहुल ठाकुर को मार डाला गया। उसके पिता ने हमारी टीम को बताया था कि वह नारों की आवाज सुनकर बाहर निकला था। वह मुठभेड़ों में फंस गया था, जहां उसको गोली लगी थी।

सर्वे दल ने रिक्शा खींचने वाले प्रेम सिंह के परिवार से मुलाकात की। वह 25 फरवरी को बच्चों के लिए दूध लाने निकला था। जब वह शाम तक वापस नहीं लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसकी तलाश शुरू की। 29 फरवरी को जाकर उसको पता चला कि उसकी मौत हो गई थी। बाद में एफ.आई.आर. के जरिए पता लगा था कि मौजपुर के नजदीक उसकी मौत हुई थी।

तबाही से बचाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने में अक्षम्य देरी करने का एक भयंकर परिणाम यह हुआ कि इससे असामाजिक तत्त्वों को सर्वनाश करने का अवसर प्रदान कर दिया। बृजपुरी के इस क्षेत्र में स्थित अरुण पब्लिक स्कूल को, जिसका मालिक कांग्रेस का पूर्व विधायक भीष्म शर्मा था, पूरी तरह जला दिया गया था।

शिव विहार तिराहा

24 फरवरी से यह इलाका मुठभेड़ तथा हत्याओं का केंद्र बन गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीएए समर्थक भीड़ कोने पर स्थित अनिल स्वीट हाउस पर इकठ्ठा होने लगी थी. पहली हत्या यहाँ 24 फरवरी को हुई। शिव विहार में कढ़ाई का काम करने वाला सलमान जब घर लौट रहा था, तब उसके सिर में गोली लगी। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां 27 फरवरी को उसकी मौत हो गयी। उसके माता पिता को उसकी मौत की खबर सोशल मीडिया से लगी जब किसी ने उसकी तस्वीर को अपलोड किया। उनको यह भी पता नहीं चला कि उस पर हमला कहाँ पर किया गया था। पुलिस ने सलमान के पिता को तिराहे पर पड़े उसके शव का जो विडियो दिखाया था, उसमें अनिल स्वीट हाउस का साइन बोर्ड साफ-साफ देखा जा सकता था।

इस हत्या के बाद भयंकर टकराव हुआ। दो स्कूलों को – राजधानी स्कूल जिसका मालिक मुसलमान था, तथा डीपीआर स्कूल, जिसका मालिक हिन्दू था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जहां के सब रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। हिन्दुओं की कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया. दोनों तरफ से भारी पत्थरबाजी तथा गोलीबारी की गयी। 24 फरवरी की शाम को राहुल सोलंकी को गोली लगी, और उसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। शुरू में उसके पिता ने हिंसा उकसाने के लिए कपिल मिश्रा पर दोषारोपण किया (इंडियन एक्सप्रेस, 26 फरवरी) । बाद में जब हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे को राजधानी स्कूल की छत से गोली मारी गयी थी।

सवाल उठता है कि स्कूलों को क्यों निशाना बनाया गया? हमारी टीम ने पता लगाने की कोशिश की। राजधानी स्कूल की इमारत उस क्षेत्र में सबसे ऊंची है, और इसलिए रणनीति के हिसाब से सबसे अधिक सुविधाजनक मुकाम हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों

ने उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। आखिर में तो, जैसा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जब हिंसा शुरू हो जाती है, तब कुछ भी नहीं बताया जा सकता है।

24 – 25 फरवरी की रात को जब अनिल स्वीट हॉउस पर हमला किया गया तो दुकान के युवा कर्मचारी दिलबर सिंह नेगी ने अपने मालिक के एक गोदाम में शरण ली। लेकिन गोदाम में भी आगजनी की गयी। अन्दर से उसका क्षत विक्षत शव बरामद किया गया। एक और युवक दिनेश अनिल स्वीट हाउस के निकट भीड़ में था। उसके भाई ने नजदीक ही किराये पर एक दूकान ले रखी थी। झगड़े फसाद में उसकी हत्या कर दी गयी। एक और व्यक्ति वीर भान की भी जान ले ली गयी थी। उसके एक नजदीकी रिश्तेदार ने हमारी टीम को बताया कि – हमें आश्चर्य है कि उसको कैसे मार दिया गया। जिस स्थान पर उसे गोली लगी थी, वह स्थान मुसलमानों की भीड़ से 100-150 मीटर की दूरी पर स्थित था। पुलिस में एक रिश्तेदार ने बताया था कि उसकी मौत देशी कट्टे से हुई थी, लेकिन देशी कट्टे की इतनी रेंज नहीं होती है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कैसे यह हुआ होगा।

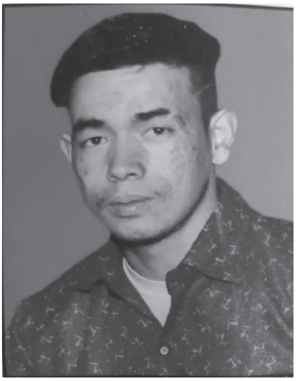

दिलबर सिंह नेगी

आलोक तिवारी नाम का कर्मचारी उस दिन अपने घर पर था. उसकी पत्नी तथा पत्नी के भाई ने हमारी टीम को बताया कि नारे लगाती भीड़ ने उसे यह कहकर बाहर बुला लिया कि मुसलमान लोग उस क्षेत्र की तरफ आ रहे थे, इसलिए सभी लोगों को कॉलोनी की सुरक्षा के लिए इकठ्ठा हो जाना चाहिए। पहले तो आलोक झिझका, लेकिन बाद में वह बाहर चला गया। उस दिन उसकी मौत हो गयी। उसकी पत्नी ने बताया – जो लोग हमारे घर आकर उसको बुलाने की जिद कर रहे थे, उसकी मौत के समय उनमें से कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया था।

जिन बहुत सारे इलाकों में हिन्दू मर्दों को इकठ्ठा किया गया था, वहां हमारी टीम को बताया गया कि व्हाट्सएप्प और फ़ोन के माध्यम से अफवाहें फैलाई गयी थीं। इसलिए यह कहना ठीक होगा कि हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध थी।

शिव विहार

अनिल स्वीट हाउस तिराहे की दूसरी ओर स्थित शिव विहार में मुसलामानों के खिलाफ सबसे अधिक व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। हमारी टीम ने जो जानकारी इकठ्ठा की है, उसके मुताबिक़ 135 दुकान एवं घरों में लूटपाट की गई, 42 घर तथा 23 दुकानों में आगजनी की गई, तथा सात लोगों की जान गई। दो मस्जिदों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया, जिनमें से एक को तो पूरी तरह जला दिया गया। तमाम लोग घायल हुए।

मोहम्मद वकील

इस क्षेत्र में 24 फरवरी की दोपहर बाद से गोलीबारी की आवाज के साथ हिंसा की शुरुआत हुई थी। शाम आठ बजे तक लाठियों, बल्लों, छोटे गैस सिलिंडर, तथा पैट्रोल के पीपे से लैस लगभग दो सौ लोगों की भीड़ ने चुन चुन कर घरों में लूटपाट तथा आगजनी शुरू कर दी। अगर घर किसी हिन्दू का हुआ, तथा किराएदार मुसलमान हुआ, तो सामान को बाहर निकाल कर उसमें आग लगाई गई। अधिकतर लोग उस इलाके से भाग खड़े हुए थे।

दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। शिव विहार श्मशान घाट पुल की ओर से भीड़ आई थी, जो हैलमेट लगाए थी, तथा मुंह को स्कार्फ से ढंक रखा था। वे लोग 'जय श्री राम' तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन लोगों को यूपी से लाया गया था। भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लीडर ने, जो कि कोने के एक मकान में रहता था, उसने कई बार पुलिस से संपर्क किया। लेकिन उससे अपने आप ही निपटने के लिए कह दिया गया। उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था।

शिवविहार में कूलर बनाने की एक फैक्ट्री है, जिसका मालिक एक हिन्दू है, लेकिन उसमें काम करने वाले कांट्रेक्टर तथा मजदूर मुसलमान हैं। नारों को सुनकर डरे हुए मजदूरों ने मदद के लिए अपने कांट्रेक्टर की गुहार की। उसके कहने पर चार पांच पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। हालांकि पुलिस वालों के साथ वहां से निकल पाने के लिए मजदूरों को विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें से एक आफताब सुबह लगभग साढ़े दस बजे पुलिस के साथ निकला। उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। उसके परिवार वालों ने हमारी टीम को बताया कि भीड़ ने उसे पुलिस से छीन लिया था, और मार कर नाले में फेक दिया गया था। गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

शिव विहार के डरे हुए निवासी अपने घरों को सामान सहित छोड़कर भाग खड़े हुए थे। जो रुक गए थे, उनमें से एक मोहम्मद वकील था, जिसकी भू-तल पर दुकान थी। उस क्षेत्र के हिन्दुओं ने उसको एवं उसके परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उसने उनपर विश्वास किया, क्योंकि पहले कभी भी कोई साम्प्रदायिक घटनाक्रम नहीं हुआ था। लेकिन

25 फरवरी को शाम साढ़े चार बजे के लगभग उस क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। भीड़ पहले ही से उस क्षेत्र में घुस चुकी थी, तथा आगजनी एवं लूट शुरू हो चुकी थी। मोहम्मद वकील ने अपनी दुकान को बंद किया तथा पहली मंजिल पर अपने घर चला गया। शाम साढ़े आठ बजे के लगभग भीड़ ने उस गली में प्रवेश किया। उसने अपनी बालकनी से झाँक कर देखा। तभी भीड़ ने उसे देख लिया। उस पर एसिड की बोतलें फेकी गयीं। एसिड की जलन से उसकी दोनों आँखें चली गई। उसकी दुकान में आगजनी की गयी तथा उसको लूट लिया गया। अँधेरे में उसने अपनी दर्द भरी चीख पर काबू किया तथा भीड़ के गुजर जाने का इन्तजार किया। उसके परिवार ने गली में आगे स्थित एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर शरण ली। उस पर भी हमला किया गया तथा मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ तथा आगजनी की गई। परिवार वहां से सुबह तीन बजे बच कर निकल पाया।

25 फरवरी को शिव विहार में दो और जानें गई। मोहम्मद अनवर रेहड़ी पर सामान बेचा करता था। उसके पास बकरियां भी थीं। वह शिव विहार में एक झुग्गी में रहता था। उस शाम भीड़ ने उसे जिन्दा जला दिया था। इसी प्रकार शरीफ खान उस वक्त अपने घर में था जब भीड़ ने उसके घर में आगजनी की। आग में उसकी मौत हो गयी थी।

26 फरवरी को अरशद नाम का पेंटर काम से वापस लौट रहा था। उसको भीड़ ने शिव विहार में पकड़ लिया तथा मौत के घाट उतार दिया। उसका परिवार पहले से ही वहां से जा चुका था। इसलिए अरशद के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में उसको पता ही नहीं लगा। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, और तब एक हफ्ते बाद पता चला कि उसको मार दिया गया था।

26 फरवरी तक तो शिव विहार की मुस्लिम बहुल गलियां परित्यक्त युद्ध क्षेत्र जैसी लग रहीं थीं। परिवार वहां से भाग खड़े हुए थे, और उन्होंने नजदीक के चमन पार्क में शरण ली थी। जब दिल्ली सरकार ने राहत कैंप शुरू किए तो ये परिवार ईदगाह राहत कैंप में शिफ्ट हो गए थे।

शिव विहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे कई हिन्दू परिवारों से हमारी टीमों ने मुलाक़ात की। उन्होंने बताया कि वे बहुत डर गए थे, लेकिन वे सुरक्षित रहे। अधिकतर मामलों में हिन्दू परिवारों को मुस्लिम परिवारों की तरह घर छोड़कर भाग खड़े नहीं होना पड़ा था। हमारी टीम ने विक्रम सिंह बघेल से मुलाकात की, जिसके घर पर हमला किया गया था। वह घर पर नहीं था, तथा उसके परिवार को छत के रास्ते बच कर निकल जाना पड़ा था। उसकी दुकान में लूटपाट की गई थी।

27 फरवरी को भी भीड़ हंगामा करती रही। उस दिन जमालुद्दीन मंसूरी, जो अपने गांव गया हुआ था, वापस लौट कर आया था। उसके साथ उसका भाई निजामुद्दीन भी था। जैसे ही वे शिव विहार पहुंचे, उन पर हमला किया गया। निजामुद्दीन को बाहों और जांघों में कई फ्रैक्चर हो गए। जमालुद्दीन के सिर पर लोहे की छड़ से वार किए गए। उनको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने बाद में उनको अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों के बाद जमालुद्दीन की चोटों के कारण मौत हो गई।

दूसरे दिन एक और व्यक्ति की मौत हुई। कूड़ा बीनने वाला अयूब कूड़ा बीनने बाहर निकला हुआ था। उस दौरान उसको पकड़ कर मौत की नींद सुला दिया गया था।

इस प्रकार शिव विहार में आठ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जब भीड़ ने उस क्षेत्र में चार दिनों तक कब्ज़ा जमा रखा था।

जौहरीपुर पुलिया

जौहरीपुर पुलिया उस सड़क पर स्थित है जहां से भीड़ शिव विहार में घुसी थी। 24 फरवरी की शाम से शुरू करके 26 फरवरी तक, गंगा विहार सहित पुलिया के इर्द गिर्द, हिन्दुत्ववादी नारे लगाती और हंगामा मचाती भीड़ द्वारा भारी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस क्षेत्र में भागीरथी विहार नामक बड़ा नाला खुले में बहता है। जब हमारी टीम ने मृतकों के परिवारों से मुलाक़ात करना शुरू किया, तब ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आए, जिनसे पुलिस तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों की भूमिका के बारे में गंभीर सवाल पैदा होते हैं।

24 फरवरी की शाम को पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वह भीड़ आते जाते लोगों को रोक कर उनकी धार्मिक पहचान जांच रही थी, और मुसलमानों के साथ मारपीट कर रही थी। पुलिस में इस बात की रिपोर्ट की गई। एक मामले में मोटर बाइक पर सवार एक हिन्दू व्यक्ति को भीड़ द्वारा उसकी धार्मिक पहचान के लिए रोका गया। उसको बाइक से धक्का दिया गया तो वह नीचे गिर पड़ा। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो उसकी बाइक नदारद थी। वह गायब हुई मोटर बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया। उसने वहां बताया कि 'जय श्री राम' एवं 'हर हर महादेव' के नारे लगाती भीड़ आगे बढ़ रही थी, तथा मुसलामानों के साथ मारपीट कर रही थी (एफआईआर संख्या 104/20) । पुलिस ने कहा कि अभी वे कुछ नहीं कर सकते थे, और उससे अगले दिन आने के लिए कहा। दूसरे दिन भीड़ और अधिक संख्या में इकट्ठा थी। वे लोगों को पहचान के लिए रोक रहे थे, तथा इस तरह पहचाने गए मुसलमानों के साथ मारपीट कर रहे थे।

लोगों को मार डालने के विवरण एक प्रकार की खौफनाक पुनरावृत्ति को जाहिर करते हैं। 25 फरवरी को शाम लगभग साढ़े चार बजे भीड़ ने मुर्सलिन को तब मार डाला जब वह मोटर बाइक से जा रहा था। उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया तथा शव को नाले में फेक दिया गया। 25 फरवरी को ही शाम लगभग साढ़े सात बजे के आसपास मोहम्मद को घर जाते हुए पुलिया के पास रोक कर मार डाला गया तथा लाश को नाले में फेक दिया गया। उसी दिन शाम आठ बजे मुशर्रफ को उसके घर से खींचकर मार डाला गया तथा शव को नाले में फेक दिया गया। रात साढ़े नौ बजे आमीन को बृजपुरी पुलिया पर मारकर नाले में फेक दिया गया।

26 फरवरी को सुबह साढ़े दस भूरे लाल को तब पीट पीट कर मार डाला गया जब वह बृजपुरी पुलिया से गुजर रहा था। उसके मृत शरीर को नाले में फेक दिया गया था। 26 फरवरी को ही रात सवा नौ बजे भागीरथी विहार जाते समय हमजा को मार डाला गया तथा

मुशर्रफ, उम्र 34 वर्ष, निवासी भगवती विहार, मृत 25 फरवरी, पत्नी का नाम मल्लिका

30 वर्षीया मल्लिका तीन बच्चों की मां है। सबसे छोटा लड़का तीन साल का है। वह एक प्रवासी मजदूरिन है, और मां बाप से संपर्क छूटे बहुत समय गुजर चुका है। उसका बेटा उसकी गोद में था, और जब भी उसकी आंखें भर आती थीं, बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से मां के आंसू पोछ देता था।

उसका पति मुशर्रफ ड्राईवर था। वे एक हिन्दू मकान मालिक के घर में तीसरी मंजिल पर रहते थे। अन्य किराएदार भी वहां रहते थे जो हिन्दू मुसलमान दोनों थे। 24 फरवरी को उसके इलाके में सडकों पर 'जय श्रीराम' का जयकारा लगाती भीड़ जमा होने लगी थी। मकान मालिक ने मुस्लिम परिवारों को घर के अन्दर ही बने रहने की सलाह दी।

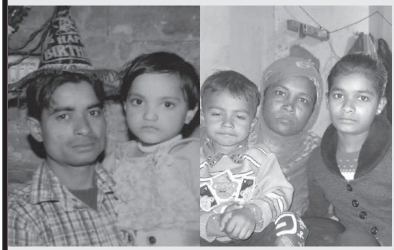

मुशर्रफ, मल्लिका

25 फरवरी की शाम को भीड़ उनकी गली में घुस आई। वह भीड़ मुसलमानों की तलाश में घर घर जाने लगी। मल्लिका ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। लेकिन नकाबपोश लोगों के एक दल ने, जो हेलमेट पहने हुए थे, मर्दों को कमरों से बाहर आने को कहा।

मल्लिका ने अपने पति को कपड़ों के ढेर में छिपा दिया था। लेकिन भीड़ ने उसको ढूंढ निकाला। उस पर लोहे की छड़ से वार किया गया। वह चिल्लाया। उसको बाहर खींच लिया गया तथा उसके साथ मारपीट की गई। उसको सीढ़ियों से धकेल दिया गया। यह अंतिम बार था जब मल्लिका ने अपने पति को देखा था।

दूसरे पुरुष किराएदार किसी तरह बच कर निकल गए थे। मल्लिका की पड़ोसी सपना ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने मल्लिका की मांग में सिंदूर भरा तथा माथे पर बिंदी लगा दी, ताकि वह हिंदू दिख सके। आधी रात के लगभग मल्लिका ने दो अन्य महिलाओं तथा बच्चों के साथ न्यू मुस्तफाबाद में एक दोस्त के यहां जाने का प्रयास किया। रास्ते में भीड़ ने उसको रोक लिया। उन्होंने उसके बच्चे को छीन कर यह देखा कि उसका खतना हो रखा था क्या? बहरहाल, उसका खतना नहीं हुआ था, और इस तरह उसको एक हिन्दू परिवार मान लिया गया। लेकिन यह कल्पना करना ही कितना डरावना है कि किसी बच्चे की जननेन्द्रिय के आधार उसकी जिंदगी और मौत का सौदा किया जाए।

मल्लिका को दो दिन बाद मुशर्रफ का कीचड़ से सना शव गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मुर्दाघर से मिला। उसको निर्दयता के साथ मार डाला गया था, तथा शव को बृजपुरी के नाले में फेंक दिया गया था।

हाशिम अली, उम्र 19 वर्ष, आमिर खान उम्र 24 वर्ष, दोनों पुत्र बाबू खान, मृत्यु 26 फरवरी।

बाबू खान दर्जीगिरी से अपनी जीविका कमाते हैं। उनके दोनों बेटे आमिर तथा हाशिम, जीन्स बनाने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे। आमिर को जब ड्राईवर की अच्छी नौकरी मिल गयी तो वह अपनी पत्नी समीना तथा छोटी बेटी के साथ गाजियाबाद शिफ्ट कर गया। उसकी बड़ी बेटी दिल्ली में ही दादा दादी के पास बनी रही, जो एक नजदीकी स्कूल में जाती थी। 23 फरवरी को इतवार के दिन हाशिम, आमिर की बेटी को उसके माता पिता से मिलाने गाजियाबाद ले गया। बाबु खान बताते हैं कि जब पता चला कि सडकों पर काफी हंगामा था, तो उन्होंने बेटों से फ़ोन पर गाजियाबाद में ही रुकने के लिए बोला। तीन दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने टीवी पर बताया कि सब कुछ ठीक ठाक था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने क्षेत्र का दौरा कर के सुरक्षा का आश्वासन दिया था, तब बाबू खान ने बेटे हाशिम से घर लौट आने के लिए बोल दिया, हालांकि स्कूल अभी बंद थे। 26 फरवरी को आमिर अपने भाई हाशिम को बैठाकर मोटर साइकिल से घर वापस लौट रहा था। हाशिम ने फ़ोन पर बाबू खान को बताया था कि वे लोग गोकुलपुरी के नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया।

हाशिम, आमिर और पत्नी, बाबू खान

हिन्दुत्ववादी भीड़ ने पुल पर उनकी बाइक को रोका, उसको आग के हवाले किया, उनको घसीटकर ले जाया गया, तथा मार डाला गया। उनके शवों को नाले में फेंक दिया गया। दूसरे दिन बाबू खान अपनी बेटी के साथ दयालपुर थाने बेटों की खोज खबर के लिए गए। वहां से उनको गोकुलपुरी थाने भेज दिया गया। आखिर में उनको गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया। वहां उसने अपने बेटों की बुरी तरह क्षत विक्षत लाश देखी, जिनको केवल कपड़ों से पहचाना जा सका। बाबू खान का कहना है कि - गरीब होने के कारण हम लोगों को आसानी से निशाना बना लिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी तरह संतानों की मौत का दुःख झेले। किसी को ऐसा दुःख न झेलना पड़े – चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

अपनी सास असगरी की बगल में बैठी हुई समीना, मातम की वजह से बोल नहीं पा रही थी। उसकी दोनों बेटियां अपने पापा के बारे में उससे पूछती रहती हैं। वह शून्य में देखते हुई कहती है कि – पहले तो वह कभी भी अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब वह हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए हैं।

शव को नाले में फेक दिया गया। थोड़ी देर बाद, लगभग साढ़े नौ बजे अकील अहमद को, जो लोनी से पैदल आ रहा था, मारकर शव को नाले में फेक दिया गया था। और फिर 26 फरवरी को ही रात पौने दस बजे के आस पास, जब हाशिम अली एवं आमिर अली, दोनों भाई मोटर बाइक से नोएडा से वापस लौट रहे थे, उनको पुलिया पर रोक लिया गया, तथा दोनों को मारकर उनके शवों को नाले के हवाले कर दिया गया।

इन सभी नौ लोगों के शव काफी दिनों के बाद बरामद किए जा सके। घबराये हुए उनके परिवार वाले उनको पहचान तक नहीं पा रहे थे। उनके शव बुरी तरह क्षत विक्षत थे, और उन पर तमाम घाव थे। कुछ की पहचान उनके कपड़ों से की गई, कुछ की टूटे हाथ में पहनी अंगूठी से, और किसी की टांग पर रहे चोट के निशान से। कुछ ऐसे भी थे जिनकी पहचान शरीर के अंगों की डीएनए जांच से की जा सकी।

अब यदि भीड़ इतनी बेहूदगी से उन्माद में आकर, पुलिस स्टेशनों के इतने नजदीक, सार्वजनिक स्थलों तथा मुख्य सड़कों पर लूट, आगजनी तथा हत्याओं को अंजाम दे सकती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाएगी।

25 फरवरी को देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों तथा पुलिस के अफसरों के साथ उत्तर पूर्व दिल्ली का दौरा किया था। अगली शाम वे दुबारा वहां गए। तब उन्होंने प्रेस को बताया कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में थे (इंडिया.कॉम, 26 फरवरी, 2020)। सवाल पैदा होता है कि वहां के हालात किस के नियंत्रण में थे? पुलिस के समर्थन से हिन्दुत्ववादी भीड़ के? वास्तविकता तो यह है कि उस समय जब वे उस क्षेत्र में उपस्थित थे, तभी शिव विहार तथा जौहरीपुर पुलिया पर लूटपाट तथा हत्या जारी थी।

पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि – 25 की देर शाम तक अधिकतर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया था, तथा हिंसा में कमी आ गयी थी....25/26 की रात से किसी बड़ी हिंसा की वारदात की खबर नहीं आई थी (पुलिस हलफनामा, पैरा 65) । लेकिन शिवपुरी एवं बृजपुरी पुलिया के आस पास की घटनाएं इस सफ़ेद झूठ की पोल खोल कर रख देती है। जैसा कि यहां ऊपर वर्णन किया गया है, हिंसा और हत्या का क्रम अगले दो दिनों तक जारी रहा था।

कुछ अन्य मामले

जो लोग मारे गए, उनमें अकबरी नाम की एक महिला भी थी। वह 85 वर्ष की थी। गढ़ी मेंदू गाँव में जहां वह रहती थी, वहां केवल दो ही मुस्लिम परिवार रहते थे। 25 फरवरी को उसके घर में लूटपाट और आगजनी की गयी। ऐसे में उसके परिवार के लोग तो बच कर भागने में सफल हो गए, अकबरी वहीं जलकर मर गई। गाँव की दूसरी तरफ मुसलमानों के 24 परिवार रहते थे। उनमें से हर एक के घर में आगजनी की गई थी।

इरफ़ान करतार नगर घोंडा का रहने वाला था। वह दूध लाने गया हुआ था। उसको

एक भीड़ ने घेर लिया, तथा तलवार से उस पर हमला किया गया। उसकी मां की आँखों के सामने यह घटनाक्रम हुआ। उसने घटना के लिए जिम्मेदार आरएसएस/भाजपा के स्थानीय नेताओं की शिनाख्त की है।

परवेश एक सामाजिक कार्यकर्ता था, और उत्तरी घोंडा में रहता था। 25 फरवरी को वह भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय भाजपा नेताओं की उपस्थिति में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चश्मदीद गवाहों ने उन नेताओं की शिनाख्त की है।

मारे गए लोगों में शामिल 15 वर्षीय नितिन पासवान सबसे कम उम्र का है। वह हिन्दू बहुल गोकुलपुरी इलाके में रहता था। उसका बाप रेहड़ी पर सामान ढोता है, तथा मां घरेलू काम। 26 फरवरी को कर्फ्यू के दौरान घर के पास से चाऊमीन लाने के लिए वह बाहर निकला। एक बार तो वह सुरक्षित वापस लौट आया। लेकिन दुबारा जब वह फिर बाहर निकला, तब चाहे तो उसे आंसू गैस का गोला लगा, या उसको गोली लगी – उसके परिवार को पक्की तरह मालूम नहीं है। उसके बाप ने हमारी टीम को बताया कि चश्मदीदों ने बताया था कि पुलिस ने उसके बेटे को मार डाला था। एफआईआर में उसके बयान को लेकिन शामिल नहीं किया गया है।

हिंसा की हद

अदालत में दाखिल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक़ कुल 53 लोगों की जानें गई थी, जिनमें से 40 मुसलमान थे, तथा 13 लोग हिन्दू थे। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार मरने वालों की तादाद 54 थी, जिनमें से 41 लोग मुसलमान थे। जिस मौत का पुलिस लिस्ट में हवाला नहीं दिया गया है, वह सिकंदर की है। वह ऑटो रिक्शा चालक था। 27 फरवरी की सुबह वह खजूरी चौक के पास सिग्नेचर पुल के नीचे रोड पर अपना रिक्शा चला रहा था। उसको पकड़ा गया तथा पीट पीट कर मार डाला गया। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस ने मृतकों की सूची में उसका नाम शामिल क्यों नहीं किया है?

जहां तक घायलों का सवाल है, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 581 लोगों को चोटें आई थीं, जिनमें से 108 पुलिस वाले थे। अधिकतर लोग पत्थरबाजी से घायल हुए थे। 473 आम नागरिकों में से, जो घायल हुए हैं, 15 महिलाएं तथा एक बच्चा शामिल था। इनमें से 9 महिलाएं और वह बच्चा मुस्लिम थे। 473 की सूची में लगभग 253 लोग मुसलमान थे। यह लेकिन कम करके आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। हमारी टीमों को पता चला था कि बहुत सारे मुस्लिम घायल लोग अपना नाम शामिल करवाने से डर रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले, अंदाजे से उनको दंगाई करार देकर उनकी पकड़ धकड़ कर रही थी। इसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं है कि तमाम घायल मुसलमान युवक खुद की चोटों को रिपोर्ट करने से कतरा रहे हों।

एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। हमारी टीम ने शादाब आलम के पिता से मुलाकात की, जो एक मेडिकल दुकान पर काम करते थे, जिसका मालिक एक हिन्दू श्री

नितिन पासवान, उम्र 15 वर्ष, पुत्र राम सोहाग, मृत्यु 26 फरवरी।

दिल्ली हिंसा का सबसे कम उम्र का बलि का बकरा बना – नितिन। वह अपने परिवार के साथ गोपालपुरी में किराए के कमरे में रहता था। वह एक स्थानीय सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ता था। उसके पिता राम सोहाग के पास शहर में एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए एक हाथगाड़ी है। उसकी मां एक घरेलू कामगार है।

26 फरवरी को नितिन, पास के फेरी वाले से चाऊमीन खरीदने के लिए घर से निकला। वह लौटकर आया तथा अपने भाई गोविन्द के साथ चाऊमीन का मजा लिया। चाऊमीन जब स्वादिष्ट लगी तो थोड़ी और चाऊमीन लाने के लिए दोबारा निकला। उस समय दोपहर के तीन बज रहे थे। जब वह अबकी बार वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्तों से संपर्क किया गया। 5 बजे तक भी जब वह नहीं लौटा तो रिपोर्ट लिखाने के लिए गोकुलपुरी थाने जाया गया। थाने में उनको आसपास के अस्पतालों में खोजने के लिए कहा गया। राम सोहाग बताते हैं कि उस बड़े अस्पताल में उसको सब जगह ढूंढा गया। तब एक भली नर्स ने तीसरी मंजिल पर इमरजेंसी रूम में देखने के लिए बोला। वहां नितिन अचेत अवस्था में एक बेड पर पड़ा हुआ था। जब उसको आवाज लगाई गई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर खून था। उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था। पता चला कि आंसू गैस का एक गोला उससे टकराया था।

नितिन, राम सोहाग

नितिन की बाद में उस दिन मौत हो गई। तब से उसके शोकाकुल पिता अपने बेटे की मौत की वजह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब सड़क पर कोई भीड़ नहीं थी, तब पुलिस ने आंसू गैस क्यों छोड़ी थी? उनको पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी गई।

घई था। शादाब आलम को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। श्री घई ने हमारी टीम को बताया कि जब भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो उन्होंने अपनी दुकान के शटर गिरा दिए और अपने मुस्लिम कर्मचारियों को सुरक्षा दे दी। पुलिस वापस लौट कर आई और कुछ भी सुनने से इंकार कर दिया, मुस्लिम कर्मचारियों की पहचान की, और घई की धमकियों के बावजूद उन्हें निकाल कर ले गए। उन्हें दयालपुर थाना के हाजत में ले जाकर बंद कर दिया गया। घई ने अपने कर्मचारियों को छोड़ देने के लिए अगले हफ्ते कई बार थाने जाकर पुलिस से गुहार लगाई। वास्तव में वे अवैध रूप से बीस अन्य लोगों के साथ थाने में बंद थे। उन्हें हिरासत

में पीटा गया। अवैध तरीके से हिरासत में एक सप्ताह तक रखे जाने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। चार महीने के बाद मई महीने में आखिर उन्हें जमानत मिली। हजारों मुस्लिम युवाओं को बिना किसी कारण के पुलिस के द्वारा उठाया गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि घायल मुस्लिम युवा अपनी चोटों की रिपोर्ट करने से डरते थे।

कई मुसलमान, जिनको गंभीर चोटें आई थी, अल हिन्द नाम के नजदीकी अस्पताल में ले जाए गए थे, जिसमें ऐसे मामलों का इलाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनको सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट करने के प्रयासों को विफल कर दिया गया था – क्योंकि मुख्य सडकों को हिन्दुत्ववादी भीड़ ने घेर रखा था, जहां से वे एम्बुलेंस तक को नहीं गुजरने दे रहे थे। इसी कारण 25 फरवरी की रात को दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जेंट पिटीशन दाखिल किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को ये निर्देश जारी किए थे कि वह बेहतर अस्पतालों में पीड़ितों को पहुंचवाना सुनिश्चित करे। उस वक्त अल हिन्द हॉस्पिटल के डॉक्टर अनवर के अनुसार 22 ऐसे पीड़ित थे जिनको गंभीर चोट आई थी।

घायलों में एक खुर्शीद था, जो 37 साल का कारपेंटर था, जिससे हमारी टीम की बाद में मुलाक़ात भी हुई। वह घर लौट रहा था, और जब वह फारूकी मस्जिद के नजदीक पहुंच पाया था, तब उसको भीड़ ने पकड़ लिया था। मुसलमान होने की उसकी पहचान करने के बाद मारपीट शुरू कर दी गई। पुलिस ने बंदूक के बट से उस पर वार किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। उसको अल हिन्द हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने वहां कहा कि उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए उसको किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए। उसको गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया। उसके सिर पर चोट आई थी। उसके माथे पर 15 टांके लगे थे। उसको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।

हमारी सर्वेक्षण टीमों को पता चला कि 171 पीड़ितों का अल हिन्द अस्पताल में इलाज किया गया था। ज्यादातर को कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि उनके मामले पुलिस में दर्ज नहीं हैं। इससे यह संकेत मिलाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के घायलों की संख्या, पुलिस रिकॉर्ड में दिखाई गई संख्या से कहीं अधिक हो सकती है।

इसी प्रकार संपत्ति के नुकसान का जहां तक सवाल है, पुलिस रिकॉर्ड में इतना कम दर्ज है कि एकदम से चौंका देने वाला है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुओं के 14 और मुसलमानों के 50 घर, हिन्दुओं की 42 तथा मुसलमानों की 173 दुकानों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि ये त्रुटिपूर्ण आंकड़े भी यह दिखाते हैं कि हिंसा के निशाने पर मुख्यतः मुसलमानों की संपत्तियां रहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद ये आंकड़े स्पष्ट रूप से नुकसान को बहुत कम कर के दिखाते हैं, क्योंकि केवल अकेले शिवविहार में ही मुसलमानों के 177 घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था।

इसके अतिरिक्त जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें कुछ चकरा देने वाली खामियां

हैं। खजूरी ख़ास एवं करावल नगर थाना क्षेत्रों में घरों और दुकानों को पहुंचे नुकसान के आंकड़ों का हिन्दू एवं मुस्लिम श्रेणियों में ब्रेकअप नहीं किया गया है। यहां जम कर हिंसा हुई थी, तथा 42 प्रतिशत घर एवं 31 प्रतिशत दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। यह एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जहां मुसलमानों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिस तो दोषपूर्ण आंकड़ों के आधार पर बेशर्मी से अदालत को गुमराह कर रही है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 13 मस्जिदों तथा 6 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन ये आंकड़े संदेहास्पद मालुम पड़ते हैं। 9 जून को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि 2 मंदिरों को तथा 11 मुसलमानों के पूजा स्थलों (8 मस्जिदें, 2 मदरसे, तथा 1 दरगाह) को क्षति पहुंची थी (आदित्य मेनन तथा शादाब मोइज़ी, दी क्विंट, 29 जून, 2020) । हमारे सर्वेक्षण के अनुसार 14 मस्जिदों को क्षतिग्रस्त किया गया था। पुलिस हलफनामे में क्षतिग्रस्त मंदिरों का जो विवरण दिया गया था, उसके अनुसार हमारी टीमों की जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया था।

इस तरह कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है, वह अनिवार्य रूप से यह है कि काफी हद तक हिंसा एकतरफा थी। दोषपूर्ण पुलिस रिकार्ड्स की भी मानें तो भी ज्यादा संख्या में मुसलमान लोग मारे गए अथवा घायल हुए, अधिक संख्या में मुसलमानों के घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं, तथा मुसलमानों के पूजास्थल भी अधिक संख्या में क्षति ग्रस्त हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी कहानी गढ़ ली है जिसके मुताबिक हिन्दुओं पर हमला करने का मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था, और उनकी इस योजना के परिणाम स्वरूप ही हिंसा हुई थी।

गृह मंत्रालय की भूमिका

दिल्ली की साम्प्रदायिक हिंसा के पीछे आपस में जुड़े हुए दो पहलुओं का सम्मिश्रण रहा है : पहला केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का राजनैतिक साम्प्रदायिक एजेंडा, तथा दूसरा दिल्ली पुलिस की निहायत ही संदिग्ध भूमिका, जो गृह मंत्रालय के इशारों पर काम कर रही थी। चश्मदीद गवाहों के विस्तृत विवरण, जिनके आधार पर इस रपट को तैयार किया गया है, यह दिखाते हैं कि हिन्दुत्ववादी दंगाइयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पुलिस ने सहायता प्रदान की। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की इस पक्षपातपूर्ण भूमिका की कोई जांच नहीं की जा रही है।

अमित शाह के गृह मंत्रालय की भूमिका बड़ी हद तक हिंसा की बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेदार रही। 11 मार्च, 2020 को अमित शाह ने संसद को सूचित किया था कि वह दिल्ली के उच्च्य पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि जब हिंसा में वृद्धि हो रही थी, तब 24 फरवरी से ही कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया गया था? आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया? दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को तथा रैपिड एक्शन फ़ोर्स को भी अपर्याप्त संख्या में तथा वो भी देरी से बुलाया गया था। नीचे दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल सूची प्रस्तुत की जा रही है:

पुलिस एवं केन्द्रीय बलों की जो संख्या तैनात की गई

22 फरवरी	450
23 फरवरी	1393
24 फरवरी	1399
25 फरवरी	4291
26 फरवरी	4635
27 फरवरी	4756
28 फरवरी	4248

बताया गया है कि पुलिस ड्रोन का प्रयोग कर रही थी। उनकी मदद से तो उत्तर पूर्व दिल्ली के सभी हिंसाग्रस्त इलाकों की लगातार मोनिटरिंग की जा सकती थी। पुलिस को तो विभिन्न स्थानों पर भीड़ के जमा होने की रियल टाइम में जानकारी होनी चाहिए थी। तब फिर क्यों पुलिस झटपट भीड़ को तितर बितर करने में असफल रही? क्यों पुलिस अथवा केन्द्रीय पुलिस बलों को उस महत्त्वपूर्ण वक्त पर तैनात नहीं किया गया? जब उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, तब पुलिस बल संख्या में अपर्याप्त रहा, कमान श्रृंखला नदारद रही, तथा गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध ली थी। ऐसा क्यों हुआ? चार दिनों के भीतर क्षेत्र की पुलिस हेल्पलाइन को लोगों द्वारा 13,200 बार मदद की गुहार लगाई गई थी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार :-

हिंसा के चार दिनों के दौरान, अर्थात 23 से 26 फरवरी के बीच, पुलिस कण्ट्रोल रूम को की गयी सहायता गुहार संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी – 23 (रविवार) की 700 से 24 को 3,500, फिर सबसे अधिक 25 को 7,500, जो 26 को घटकर 1500 पर आ गई थी। यह संख्या उन दिनों के दंगों की भीषणता में आए उतार चढ़ाव से मेल खाती है (एनडीटीवी, 29 फरवरी, 2020) ।

दिल्ली फायर सर्विस ने 218 कॉल्स को अटेंड किया था-

> दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि 25 फरवरी मंगलवार का दिन दंगों के हिसाब से सबसे बुरा दिन था, और उस अकेले दिन आगजनी की 89 घटनाएं हुई। 26 फरवरी (बुधवार) को जहां आगजनी की 57 वारदातें हुई, वहीं सोमवार (24 फरवरी) को 23 ऐसी घटनाएं हुई। आधी रात से सुबह बृहस्पतिवार (27 फरवरी) आठ बजे तक आगजनी की 14 वारदातें हुई (हिंदुस्तान टाइम्स 28 फरवरी, 2020) ।

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े, जो प्रभावपूर्ण ढंग से गृह मंत्री के उन दावों की पोल खोल कर रख देती है, जिनमें यह बताया गया था कि उस मारकाट को 36 घंटों के भीतर समाप्त कर दिया गया था, आगजनी के सूचित मामलों पर आधारित हैं। लेकिन देश की

राजधानी दिल्ली में संकट कालीन गुहारों का पुलिस द्वारा फौरी तौर पर संज्ञान लेने में असफल होना, जबकि उनके पास सभी तरह के साधन उपलब्ध थे, आपराधिक लापरवाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्पष्टतया राजधानी की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा होने दिया। तब भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्रालय की ओर से घटनाक्रम के बारे में उनको शांत रहने तथा उदासीन बने रहने के निर्देश थे।

इस सम्बन्ध में उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र में 22 से 28 फरवरी के बीच पुलिस और केन्द्रीय बलों की तैनाती का तौर तरीका बहुत कुछ जाहिर कर देता है। 22 फरवरी को 450 की संख्या में पुलिस बल तैनात था, जो कि 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले 14 थाना क्षेत्रों में सामान्यतः तैनात रहता है, जहां की आबादी 26 लाख से ऊपर है।

अगले दिन, अर्थात 23 फरवरी को, कपिल मिश्रा के उकसाने वाले भाषण से कई घंटे पहले, सी.ए.ए. के समर्थक लोग जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सी.ए.ए. विरोधी धरना स्थल के नजदीक इकठ्ठा होना शुरू हो गए थे, जो चिंताजनक था। जैसा कि इस रिपोर्ट में पूर्व में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस के हेड क्वार्टर तथा गृह मंत्रालय को तनावपूर्ण स्थिति के बारे में चेतावनी भरे अलर्ट कम से कम छः बार जारी किए, ताकि आसन्न हिंसा को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा सके। नतीजतन, पुलिस बलों की तैनाती को 450 से बढ़ाकर 1393 कर दिया गया, ताकि सी.ए.ए. समर्थक तथा विरोधियों के बीच झड़प को रोका जा सके। लेकिन, कपिल मिश्रा के धमकी भरे भाषण के तुरंत बाद स्थिति में तेजी से गिरावट आ गई, तथा दोनों गुटों के बीच झड़पें शुरू हो गई। 23 फरवरी को चिंतित लोगों ने 700 बार के लगभग पुलिस हेल्पलाइन के यहाँ मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला – क्योंकि किसी भी तरह के प्रभावी कार्यवाही करने के लिए बहुत कम संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था।

हालांकि गृह मंत्रालय को अग्रिम रूप से सतर्क कर दिया गया था, मगर 26 फरवरी को उन्होंने केवल छः अतिरिक्त लोगों को ड्यूटी पर तैनात करना ही उचित समझा। इस तरह पुलिस बल की संख्या 1393 से बढ़ाकर 1399 कर दी गई। ऐसा इसके बावजूद किया गया था कि साम्प्रदायिक हिंसा शुरू हो चुकी थी, तथा शाम 4 बजे के लगभग पूरे उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह थी कि 23 फरवरी को धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई? दूसरी बात यह कि 26 लाख की आबादी पर और 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 1399 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर के गृह मंत्रालय ने यही जाहिर किया कि धारा 144 लागू करने की न तो उसके पास जरूरी इच्छा शक्ति थी, और न ही मदद के लिए लगाई गई गुहार पर कोई कार्यवाही की जा सकती थी। संक्षेप में, उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र में देर से लागू की गयी धारा 144 पूरी तरह से एक तमाशा बन कर रह गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 24 फरवरी को 13 लोगों के मारे जाने, जिनमें एक पुलिसकर्मी

भी शामिल था, तथा 150 से अधिक लोगों के घायल हो जाने के बावजूद, जिनमें दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे, और जिनको गंभीर चोटें आयीं थीं, दंगाइयों द्वारा धारा 144 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करना जारी रहा, जबकि पुलिस ने केवल 3,500 सहायता कॉल्स का प्रत्युत्तर देना ही उचित समझा।

25 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को हिंसाग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी कमी के बारे में गृह मंत्रालय को अवगत कराने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यह खबर पीटीआई की एक रिपोर्ट के जरिए सार्वजनिक हो गई थी (न्यूज़ नेशन, तथा दी हिन्दू, 25 फरवरी, 2020)। बाद में उस दिन शाम को पटनायक को उत्तर पूर्व दिल्ली की जिम्मेदारी से कार्य मुक्त कर दिया गया। इसके बदले, स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस एस.एन. श्रीवास्तव को रात लगभग साढ़े नौ बजे यह काम सौंपा गया। तो क्या गृह मंत्रालय द्वारा पटनायक को हटाया जाना इस तथ्य से जुड़ा हुआ था कि उनके द्वारा अपर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की शिकायत की गई थी?

25 फरवरी को पुलिस एवं केन्द्रीय बलों की तैनाती को 1399 से बढ़ाकर 4,291 कर दिया गया था। अदालत में दाखिल पुलिस के हलफ़नामे से पता चलता है कि 24 व 25 फरवरी के बीच की उन क्षेत्रों में रातभर आगजनी, झड़पें तथा हमले जारी रहे थे। इसलिए, अधिकारियों को यह बात पता थी कि सुरक्षा बलों की संख्या में तीन गुना वृद्धि के बावजूद जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना संभव नहीं था। तब फिर सेना की तैनाती क्यों नहीं की गई? 25 फरवरी को 29 लोगों ने जान गंवाई, तथा तमाम लोग घायल हुए। अगर सेना को भेजा गया होता, अथवा और अधिक संख्या में केन्द्रीय बलों की तैनाती की गई होती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। साढ़े सात हजार ऐसी आपातकालीन कॉल्स थीं जिनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, जबकि आगजनी एवं घरों, दुकानों तथा धार्मिक स्थलों का विध्वंस बिना रुके जारी रहा।

इसी प्रकार, 26 फरवरी को सुरक्षा बलों की तैनाती में 4,291 से 4,636 की मामूली वृद्धि की गई थी, जबकि 1500 आपात काल्स बिना जवाब रहीं तथा आठ और लोगों ने जान गंवाई। बाद में 27 फरवरी को 121 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया।

कम संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर के गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दिल्ली पुलिस न तो धारा 144 को कायदे से लागू कर पाए, और न ही आपात कॉल्स का प्रत्युत्तर दे पाए। इसका नतीजा यह निकला कि लुटेरी भीड़ छुट्टा घूमती रही। इस तरह यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि गृह मंत्रालय ने न तो हिंसा को शुरू होने से रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम किए और न ही हिंसा पर काबू पाने की प्रभावी कार्यवाही की गई। क्या यह अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को जारी रखने के व्यापक षड्यंत्र की ओर इशारा नहीं करता है?

पुलिस हलफनामे का संलग्नक 'एच', ख़ुफ़िया विभाग से पुलिस को की गई कॉल्स की संख्या बताता है। 23 फरवरी को ख़ुफ़िया विभाग से पुलिस केन्द्रों को 39 कॉल्स मिली थीं, जिनमें विभिन्न स्थानों पर भीड़ के जमा होने के विवरण थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 24

फरवरी को, जब हिंसा अपने चरम पर थी, ख़ुफ़िया विभाग की केवल 6 कॉल्स को दर्ज किया गया था। फिर 25 फरवरी को केवल एक कॉल, और उसके बाद कोई कॉल नहीं। ख़ुफ़िया विभाग ने क्यों कोई रिपोर्ट नहीं भेजी? या फिर पुलिस केन्द्रों ने जानबूझकर ख़ुफ़िया विभाग द्वारा भेजी गई रपटों को पंजीकृत नहीं किया? या तो यह ख़ुफ़िया विभाग की बहुत भारी असफलता थी, या फिर हिंसा को जारी रहने देने की शैतानी चाल थी, ताकि उपद्रवी हिन्दुत्ववादी भीड़ के कारनामों के बारे में सूचनाओं को दबाया जा सके।

चौंकाने वाली बात यह भी है कि बढ़ती हुई हिंसा के बावजूद क्षेत्र में कर्फ़्यू नहीं लगाया गया। 25 फरवरी की सुबह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से कर्फ़्यू लगाने की तथा क्षेत्र छोड़ने वालों को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की थी। लेकिन देर शाम को ही कर्फ़्यू लगाया गया, और वह भी केवल मौजपुर, करावल नगर, चाँद बाग और जाफ़राबाद के चार क्षेत्रों में। सवाल यह पैदा होता है कि कर्फ़्यू लगाने में विलम्ब क्यों हुआ?

उधर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को यह बताकर गुमराह किया कि 25 फरवरी की शाम तक स्थिति को काबू में कर लिया गया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यह झूठ था। विभिन्न इलाकों में 27 फरवरी तक हत्या और हिंसा का खेल जारी रहा था, तथा उसके बाद तक घटनाओं की रपट आती रही थीं।

28 फरवरी की हिंसा का एक दृष्टान्त यहां प्रस्तुत है। नईम नाम का गारमेंट फैक्ट्री का एक कर्मचारी घर से वापस आ रहा था। उसको विजय पार्क पर भीड़ ने रोक लिया। उन्होंने उसे खींचकर एक कार में डाला तथा दयालपुर में एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया। गन्दी जुबान में गालियाँ देते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। नईम का कहना है कि उसकी जान केवल इसलिए बच गई क्योंकि पुलिस की एक गाड़ी उधर से गुजरी। पुलिस ने उसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसको नहीं पता कि एफआईआर दर्ज है कि नहीं। बहरहाल, उसका कोई बयान नहीं लिया गया है।

हालांकि हिन्दुत्ववादी ताकतों की तरफदारी करने में दिल्ली पुलिस की स्पष्ट भूमिका रही है, तथा अदालत में दाखिल पिटीशन में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन अमित शाह की निगरानी में गृह मंत्रालय की भूमिका की पर्याप्त जांच नहीं हुई है। हजारों की संख्या में मदद की गुहार लगाती कॉल्स का कोई जवाब न देना, अपर्याप्त संख्या में तथा देरी से सुरक्षा बलों की तैनाती का किया जाना, आर्मी बुलाने की मनाही, धारा 144 को सख्ती से लागू करने की अनिच्छा, कर्फ़्यू लागू करने में देरी तथा उसको भी कुछ ही इलाकों तक सीमित कर देना – यह सब भारत के गृह मंत्री के इरादों तथा उद्देश्यों के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं।

वर्ष 2002 में गुजरात में जब अमित शाह राज्य के गृहमंत्री थे, तब जनसंहार हुआ था। उस दौरान, जैसा कि तमाम रपटों ने रेखांकित किया है, और उससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि भारत के मानवाधिकार आयोग ने रिकॉर्ड किया है, पुलिस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को तीन दिन से अधिक जारी रहने दिया था, तब उसके बाद सेना को तैनात किया गया था। क्या इसी तरीके को उत्तर पूर्व दिल्ली में भी अपनाया गया है? क्या इसी वजह से पुलिस की

तैनाती कम संख्या में की गई थी? क्या यह सी.ए.ए. विरोधी मुहिम का समर्थन करने के लिए अल्पसंख्यकों को सबक सिखाना था? क्या यह उनके संघर्ष को हमेशा के लिए दबा देने तथा शांत कर देने के मकसद से था?

इस आलेख में विभिन्न इलाकों के जो विवरण रिपोर्ट किए गए हैं, वे सब उसी दिशा की ओर इंगित करते हैं। ये सब सवाल एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई जांच बैठाने की मनाही कर दी है, और ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को प्रचारित किया जा रहा है जिनमें हिंसा के लिए उसी हिंसा के मुख्य शिकार – अल्पसंख्यक समुदाय को जिम्मेदार बताया जा रहा है।

खंड तीन
उपसंहार

षडयंत्र के पीछे का षडयंत्र

इससे पहले कि उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की आग के शोले शांत हो पाते, सत्ता के गलियारों में षडयंत्र की खिचड़ी पकने की रूपरेखा का उजागर होना शुरू हो गया था। 6 मार्च को ही, जब किसी जांच की शुरुआत तक नहीं हुई थी, गृह मंत्रालय द्वारा बेइंसाफी की इबारत का लिखा जाना प्रारम्भ कर दिया गया था।

इस प्रकार 6 मार्च को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल में कार्यरत एक इंस्पेक्टर ने यह शिकायत दर्ज करवाई कि एक 'अनाम' मुखबिर ने उसको बताया था कि दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा इसलिए हुई थी, क्योंकि उमर खालिद और विभिन्न संगठनों के उसके सहयोगियों ने मिलकर एक पूर्व नियोजित षडयंत्र की रचना की थी। जाहिर तौर पर यहां यह सवाल पैदा होता है कि नारकोटिक्स सेल का इससे क्या लेना देना था? उस तथाकथित मुखबिर ने यह भी बताया था कि – इस षडयंत्र में यह शामिल था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के 24 और 25 फरवरी के भारत भ्रमण के दौरान लोगों को सी.ए.ए. के विरोध में भड़काया जाए तथा उनको सडकों पर उतारा जाए। दर्ज शिकायत में कहा गया कि – लोगों को हथियार, बम, एसिड बोतलें तथा पत्थर इकठ्ठा करने के लिए कहा गया था, और 24 फरवरी को महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ को सडकों पर जमा करके सड़क जाम कर दिया गया, तथा हिंसा शुरू कर दी गई। इस शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पर एफआईआर संख्या 59/2020 दर्ज कर ली गई। इसी एफआईआर को आधार बनाकर बाद में सी.ए.ए. विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ षडयंत्र रचने की पूरी दास्तान को अंजाम दिया गया, जिसमें अंततः 17 सितम्बर को स्पेशल जज की अदालत में चार्ज शीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 15 लोगों को नामजद किया गया है। तीन अन्य को संदेह के घेरे में रखा गया, तथा उनको गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में दो अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरक चार्जशीट का दाखिल किया जाना अभी बाकी है। इस आलेख के लिखने तक एक के अलावा, जो जमानत पर रिहा है, सभी 17 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिनमें इंडियन पीनल कोड के तहत दंगा, हत्या, चोट पहुंचाना, षडयंत्र आदि शामिल हैं, तथा आर्म्स एक्ट के तहत अन्य अपराध शामिल हैं।

दंगा भड़काने के आरोप में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची :
मीरन हैदर, सफूरा जगर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तनहा (जामिया मिलिया इस्लामिया)।
नताशा नरवाल, देवांगना कलिता (पिंजरा तोड़)।
इशरत जहां (पूर्व कांग्रेस कौंसिलर)।
ताहिर हुसैन (निलंबित आप कौंसिलर)।
खालिद सैफी (यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कैंपेन)।
उमर खालिद (जेएनयू, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट)।
शर्जील इमाम (मुस्लिम स्टूडेंट्स जेएनयू)।
गुल्फिशा फातिमा खातून (एमबीए स्टूडेंट, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी)।
तस्लीम अहमद, सलीम मालिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शादाब अहमद (उत्तर पूर्व दिल्ली के स्थानीय लोग)।

इसके अलावा गैर कानूनी एवं आतंकी कार्यों में लिप्त होना, आतंकी कार्यों तथा षडयंत्र के लिए चंदा उगाहना आदि जैसे आरोप में क्रूर यू.ए.पी.ए. एक्ट के तहत जोड़ दिया गया है।

अमित शाह ने किस प्रकार एक निष्पक्ष जांच में टंगड़ी फंसाई

यह विलक्षण कहानी कहाँ से पैदा हुई कि छात्रों और कार्यकार्ताओं के एक ग्रुप ने सांप्रदायिक हिंसा के इस भीषण कांड को अंजाम दिया है? इसे समझने के लिए हमें देश की राजधानी को हिलाकर रख देने वाली इस हिंसा के बारे में संसद में हुई चर्चा पर गौर करना होगा। 11 मार्च को, दिल्ली में हुए सांप्रदायिक कत्लेआम के मात्र दो हफ़्तों के बाद, गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में एक लंबा बयान जारी किया – क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था तथा पुलिस उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

शाह ने पूरी तरह से एक अलग ही राग का आलाप पेश कर दिया, जिसमें परेशान करने वाले सारे सवालों को दर किनार कर दिया गया – कि किस वजह से यह कत्लेआम हुआ, कि इसका मिजाज कैसा था, और कि सुरक्षा बल इसे रोकने में क्यों असफल रहे। शाह के अनुसार, विरोधी दलों के नेताओं के भाषणों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह कर दिए जाने के फलस्वरूप हिंसा पैदा हुई। शाह ने हिंसा पर नियंत्रण के लिए 2,600 लोगों को गिरफ्तार कर लेने के लिए तथा 700 एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस की पीठ थपथपाई। इस तरह इससे पहले कि कोई जांच हो पाती, गृहमंत्री ने उसके निष्कर्षों को जाहिर कर दिया। बाद की जांच का काम केवल यह बचा रह गया कि वे इस वृत्तांत के समर्थन में दलील जुटाएं।

अमित शाह ने भाजपा नेताओं के व्यापक रूप से रिकॉर्ड किए गए उन भाषणों को खारिज कर दिया जिनमें तथाकथित देशद्रोहियों को गोली मार देने का आह्वान किया गया था, अथवा कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिन्दुओं

के घरों में घुसकर बलात्कार तथा हत्या करने वाले थे। उसके बाद अमित शाह ने अपने हिसाब से तय किये गए 'नफरती' भाषणों को गिनाना शुरू किया। अमित शाह के मुताबिक़ कांग्रेस के नेताओं ने 14 दिसम्बर, 2019 को एक रैली में नफरती भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों को सडकों पर उतरने के लिए उकसाया था। इस प्रकार शाह ने केवल यह कहानी ही नहीं गढ़ी कि विरोधियों ने ही वास्तव में हिंसा का उकसावा किया था, बल्कि इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि गृहमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं भाजपा सांसद परवेश वर्मा के नफरती भाषणों को भुला दिया गया। पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के उस कुख्यात भाषण को दर किनार कर दिया गया, जिसमें उसने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बगल में खड़े होकर सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़क पर उतर कर कार्यवाही करने की धमकी दी थी। कपिल मिश्रा के उस भाषण को व्यापक रूप से ठीक ही यह माना जाता है कि उत्तेजक हिंसा शुरू करने में उस भाषण ने एक चिंगारी का काम किया था।

हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वयं अमित शाह ने ही सांप्रदायिक नरसंहार फूट पड़ने के दो हफ्ते पहले, दिल्ली विधान सभा चुनावों के लिए भाजपा के चुनाव अभियान का नेतृत्व करते हुए जहरीली सांप्रदायिक नफ़रत को फैलाने की हरी झंडी दी थी। इस प्रचार अभियान के दौरान जहरीले एवं विघटनकारी भाषणों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी, जिसमें ठाकुर एवं वर्मा के भाषण भी शामिल थे।

अमित शाह ने बिना किसी साक्ष्य के यह दावा किया कि विदेशों से भारी धन मिला, तथा विरोधी दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भड़काया था, जिसके कारण सी.ए.ए. का विरोध करने के लिए वे गुमराह हो गए। इस तरह कहानी को पूरी तरह पलट दिया गया। अमित शाह ने दिल्ली जनसंहार को भोंड़े ढंग से दंगे में तब्दील कर दिया, जिस दंगे को सरकार विरोधी तत्त्वों ने एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने डिज़ाइन किया और नेतृत्व दिया था। इसके साथ ही अमित शाह ने सरकार को कर्मठ, सक्रिय, एवं न्यायप्रिय होने का, लेकिन साथ ही दंगाइयों से निपटने में कठोर होने का तमगा प्रदान कर दिया।

इस रूपरेखा के तहत निर्देशित होकर दिल्ली पुलिस ने ब्यौरा जुटाने का काम शुरू कर दिया। दो एसआईटी बनायी गई – एक डीसीपी राजेश देव के नेतृत्व में, और दूसरी डीसीपी जॉय तिरकी के नेतृत्व में। दोनों ही भाजपा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखते थे। 15 दिसम्बर, 2019 की जामिया हिंसा की जांच का जिम्मा देव के पास था। उसको चुनाव आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी से उस समय हटा दिया था, जब एक जांच के सिलसिले में 'राजनैतिक निहितार्थ' वाले उसके बयान के लिए चेतावनी दी गई थी। उसके उस बयान का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों पर बुरा असर पड़ सकता था (इंडियन एक्सप्रेस, 5 फरवरी, 2020) । यह तबकी बात है जब उसने रिपोर्टरों को यह बताया था कि 1 फरवरी को शाहीन बाग में महिलाओं के धरने पर कपिल गूजर नाम के जिस बंदूक धारी ने गोलीबारी की थी, वह आम आदमी पार्टी का सदस्य था।

उपसंहार

तिरकी उस जांच से जुड़ा हुआ था, जो जेएनयू कैंपस पर 5 जनवरी, 2020 की रात को हुई हिंसा से संबंधित थी, जब नकाबपोश, जिनमें से बहुत से लोग आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से जुड़े हुए थे, कैंपस में घुसे थे, वहां तोड़फोड़ की थी, तथा जिन्होंने छात्रों पर हमला किया था, जिनमें छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष भी शामिल थी। 10 जनवरी को, असली अपराधियों को पकड़ने की बजाय तिरकी ने नौ लोगों को संदिग्धों की श्रेणी में चिन्हित किया, जिनमें आईशी घोष भी शामिल थी, जिसके सिर में हमले के दौरान गंभीर चोट आई थी। तिरकी ने छात्रों के चार वाम संगठनों – एसएफआई, एआईएसएफ, एआईएसए, तथा डीएसएफ को भी हमले के लिए जिम्मेदार करार दिया (इंडियन एक्सप्रेस, 11 जनवरी, 2020) ।

इन वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पुलिस की जांच केवल एक दिशा में ही जा सकती थी। फरवरी, 2020 के दिल्ली के सांप्रदायिक जनसंहार के पीछे दिल्ली पुलिस जिस 'षड्यंत्र' की बात करती है, उसका एक संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है, जो छः महीनों से अधिक की जांच के बाद सितम्बर, 2020 में दाखिल चार्ज शीट पर आधारित है।

सी.ए.ए. / एन.आर.सी. विरोधी आन्दोलन षडयंत्र का हिस्सा

चार्ज शीट में दावा किया गया है कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का षडयंत्र सी.ए.ए. / एन.आर.सी. के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ, जिनको कैबिनेट की स्वीकृति 4 दिसम्बर को मिली थी, तथा 9 और 11 दिसम्बर, 2019 को संसद के दोनों सदनों ने उनको पास कर दिया था। इन विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य केंद्र जामिया मिलिया विश्वविद्यालय तथा उसके इर्दगिर्द वाले इलाके थे। 13 दिसम्बर से शुरू होकर पुलिस एवं छात्रों के बीच झड़पें हुईं, जिनमें 15 दिसम्बर को कैंपस के भीतर छात्रों के ऊपर पुलिस का बर्बर हमला शामिल था। पुलिस ने इन घटनाओं से संबंधित कई एफआईआर दर्ज की, लेकिन जामिया कैंपस में अपनी खुद की अवैध एंट्री, बेकसूर छात्रों के साथ मारपीट, तथा छात्रों के साथ – महिलाओं सहित - बदसलूकी के मामलों पर पर्दा डाल दिया गया (दी प्रिंट, 11 अगस्त, 2020) । पुलिस ने दावा किया कि दिसम्बर के दौरान भी उत्तर पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे।

जनवरी में शाहीन बाग के अलावा दिल्ली में 23 स्थानों पर सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनकारियों ने धरने शुरू कर दिए थे। चार्जशीट में खुल्लमखुल्ला यह बताया गया है कि सांप्रदायिक हिंसा शुरू होने से पहले ही 'सी.ए.ए. /एन.आर.सी. विरोधी आन्दोलन' के खिलाफ विभिन्न तारीखों में 14 एफआईआर दर्ज की गई थी। जैसा कि सामान्यतः पुलिस द्वारा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, इन एफआईआर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि का दावा किया गया है।

इस आख्यान में इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि हर समुदाय से तथा जिंदगी के हर क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों ने, तथा दर्जनों संगठनों ने, जिनमें

राजनैतिक दल, ट्रेड यूनियन, महिला एवं छात्र संगठन शामिल थे, राजधानी में तमाम विरोध प्रदर्शनों में हिस्सेदारी की थी। विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। इसको षडयंत्र करार देना सनक पर आधारित विकृति है। पुलिस ने अपने नैरेटिव में विरोध प्रदर्शनों के व्यापक प्रभाव क्षेत्र की अवहेलना भी की है।

उत्तर पूर्व दिल्ली में दर्ज की गई एफआईआर

तथाकथित षडयंत्र से संबंधित चार्जशीट में 22 फरवरी के बाद कुल मिलाकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के दौरान एवं उनके बाद 751 एफआईआर दर्ज की गई है। इनको उत्तर पूर्व दिल्ली के 11 थाना क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। पांच थाना क्षेत्रों – गोकुलपुरी, जाफ़राबाद, करावल नगर, खजुरी खास तथा दयालपुर - में 516 एफआईआर दर्ज की गयी है, जिनसे जाहिर होता है कि वे सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। ये एफआईआर भीड़ द्वारा की गई आगजनी, लूटपाट, बर्बर मारपीट, तथा हत्या की दुखभरी कहानी बयान करती हैं, हालांकि उनको पुलिस की विशिष्ट निष्प्राण शैली में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने लेकिन यह महसूस किया है कि इन एफआईआर में उन्होंने जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था, उसको पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। कई मामलों में लोगों ने यह शिकायत की है कि गवाहों के नाम चाहे तो छोड़ दिए गए थे, अथवा बदल दिए गए थे, या फिर बुनियादी तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है अथवा बदल दिया गया है।

सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित केवल ये ही एफआईआर नहीं है जिनको इस क्षेत्र में दर्ज किया गया है। अलग से कई अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। लेकिन षडयंत्र से संबंधित चार्जशीट एक जैसी प्रतीत होती हैं। इस तथ्य का एक महत्त्वपूर्ण नतीजा यह निकल सकता है कि इन सभी 751 एफआईआर में रिकॉर्ड किए गए आपराधिक मामलों के वास्तविक दोषी व्यक्ति बिना किसी दण्ड के छूट जाएंगे, क्योंकि जांच में तो यही पाया गया है कि कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी.ए.ए. विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया था, और वे ही सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। इससे होगा यह कि बाकी के सभी मामले स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

वो 'साजिश'

जिस 'साजिश' का 'खुलासा' किया गया है उसका सारांश इस प्रकार है :-

अभियुक्तों ने जामिया को-ऑर्डिनेशन समिति, पिंजरा-तोड़, एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ़ जामिया तथा अन्य की मदद से, तथा कुछ अभियुक्तों जैसे कि ताहिर हुसैन एवं इशरत जहाँ के प्रभाव का इस्तेमाल करके सी.ए.ए. / एन.आर.सी. के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को संगठित किया तथा उनको उकसाया। बाद में इन धरनों को तेज करके चक्का जाम में तब्दील कर दिया गया। और आखिर में ट्रम्प के भारत दौरे के समय हिन्दुओं पर चौतरफा हमला करने के लिए हथियारों एवं गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, तथा अधिकतर

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एकजुट किया गया, ताकि व्यापक स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया जा सके, जिसको फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सके।

साजिश की इस थ्योरी के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू बड़े स्पष्ट पता चलते हैं :-

पहला – सी.ए.ए./एन.आर.सी. विरोधी व्यापक आन्दोलन को सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ना

इसको दिल्ली पुलिस की कल्पना की उड़ान कहा जाना चाहिए, हालांकि गृहमंत्री ने पार्लियामेंट में पहले ही इसकी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी। इस आन्दोलन ने निःसंदेह मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में एकजुट किया था, लेकिन यह केवल उन तक सीमित नहीं रहा था। अन्य समुदायों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने इन विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। और यह आंदोलन संविधान, उसमें निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, कानून के राज्य, तथा कानून के सामने बराबरी के सिद्धांत के पक्ष में था। इसलिए इस आन्दोलन को हिन्दू विरोधी करार देना, और इस के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक हिंसा को उकसाया जाना आवश्यक मानना बहुत भारी भूल होगी। इसके बावजूद, चार्जशीट में पुलिस ने जो कहानी गढ़ी है, वह बिलकुल यही करती है। इस कहानी में अज्ञात गवाहों से यही कहलवाया गया है, उनके 'भेदी बयानों' में सभी अभियुक्तों के मुंह से, तथा पुलिसकर्मियों की गवाहियों में एक समान शब्दों का इस्तेमाल कराया गया है।

इस प्रक्रिया में, यू.ए.पी.ए. के तहत दाखिल चार्जशीट के 'भेदी बयानों' में बृंदा करात, सलमान खुर्शीद, योगेन्द्र यादव, कविता कृष्णन, प्रशांत भूषण, राहुल रॉय तथा अन्य तमाम राजनीतिज्ञों का नाम लिया गया है कि उन्होंने धरनों में उपस्थित जनता को संबोधित किया था, या कि उन्होंने एकजुटता बैठकों में भाग लिया था। एक दूसरी चार्जशीट के भेदी बयान में सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी तथा अन्य को ऐसे नेताओं की श्रेणी में डाला गया है, जिन्होंने सीलमपुर में सी.ए.ए. विरोधी धरने में 'भड़काने वाले भाषण' दिए थे।

'देल्ही प्रोटेस्ट सॉलिडेरिटी ग्रुप' नाम के एक व्हाट्सएप्प ग्रुप को साजिश का हिस्सा बताया गया है, हालांकि इसके सदस्य समाज के विभिन्न तबकों से तथा जन-संगठनों से संबंधित रहे हैं –जिनमें सीपीआई(एम) तथा सीआईटीयू शामिल हैं। इस ग्रुप का प्रयोग लोगों को तमाम विरोध प्रदर्शनों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता था, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अवैधानिक हो अथवा साजिशन हो, और अपराधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तीस महिला संगठनों को शामिल करके जो 'महिला एकता यात्रा' बना था, उसका नाम तथा मैमूना मोल्लाह (ऐडवा), एनी राजा (महिला फेडरेशन) जैसी नेत्रियों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

किसी आन्दोलन में शिरकत करना संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकार होता है, और इस शिरकत को सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ देना एकजुटता तथा असहमति का अपराधीकरण करना होता है। यह तो मोदी सरकार की तानाशाहीपूर्ण सोच का ही नतीजा

है कि सरकार के खिलाफ हर विरोध को राष्ट्र-विरोधी तथा अपराधिक कार्यवाही की श्रेणी में रख दिया जाए।

दूसरा – सी.ए.ए. विरोधी आन्दोलन के लिए चंदा जुटाने को 'आतंकी वित्त-पोषण' से जोड़ना

पुलिस की थ्योरी का यह दूसरा हिस्सा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि धरनों को आयोजित करने तथा जारी रखने के लिए जो 1.62 करोड़ रुपयों का चंदा इकठ्ठा किया गया था, वह अपराधिक कार्यवाही है। पहली बात तो यह है कि इस चंदे के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तथा यह मनगढ़ंत बात है। जैसा कि हर वो व्यक्ति जो सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करता है, यह जानता है (जिसमें संघ परिवार तथा भाजपा भी शामिल है) कि सभी सार्वजनिक गतिविधियों में खर्चा होना होता है। उसके लिए विभिन्न लोगों से संपर्क किया जाता है। सार्वजनिक गतिविधियों को चलाने के लिए समर्थकों से चंदा इकठ्ठा करने में कुछ भी गलत नहीं होता है। अगर चंदा इकठ्ठा करके हथियार एवं अवैध सामान खरीदा गया हो तो उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। अगर बात सही साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा इकठ्ठा किये गए चंदे की बात को अपराधिक कृत्य कहा जाता है, तब उसको फर्जी आरोप ही कहा जाएगा, जिसके कोई मानी नहीं होते हैं।

तीसरा – भाजपा नेताओं के द्वेषपूर्ण भाषणों को पूरी छूट

साजिश वाली चार्जशीट का तर्क है कि हिंसात्मक घटनाओं की पूरी श्रृंखला की शुरुआत दिसम्बर, 2019 से हुई थी, जब नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ था। इस तरह तो किसी भी निष्पक्ष जांचकर्ता का यह फर्ज बनता है कि दिल्ली में हुई अन्य घटनाओं का भी जायजा लिया जाए, जिन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तथा हिंसा उकसाने की साजिशों में अपना योगदान दिया हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई है। दिल्ली विधान सभा के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के विभिन्न नेताओं द्वारा सार्वजनिक तौर पर दिए गए निहायत ही भड़काने वाले बयानों के कई दृष्टान्त उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध बयानों का हवाला इस रिपोर्ट में दिया गया है।

पुलिस द्वारा सितंबर में दाखिल की गयी साजिश वाली चार्जशीट में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है कि कपिल मिश्रा ने मना किया है कि उसने भड़काने वाला कोई भाषण दिया था, और उसके द्वारा यह दावा किया गया है कि वह तो डीसीपी सूर्या से यह बातचीत कर रहा था, कि अगर सडकों को मुक्त नहीं किया गया तो वह तथा उसके समर्थक लोग धरने पर बैठ जाएंगे। इसके बावजूद कि विडियो रिकॉर्ड उपलब्ध है, इस धुले पुछे विवरण को पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है, और इस प्रकार हिंसा उकसाने के उसके स्पष्ट बयान के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उपसंहार

इन सुविख्यात मामलों के अलावा तमाम हिन्दुत्ववादी गुट पहले से मुसलमानों के खिलाफ घृणा से भरा सक्रिय प्रचार कर रहे थे, जिसकी तीव्रता दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ गई थी। इस तरह के नए बनाए गए गुटों द्वारा फेसबुक तथा व्हाट्सएप्प पर ख़ास तौर पर, हिन्दुओं को एकजुट करने की मुहिम चलायी थी। इनमें से कुछ गुटों के बारे में कुछ एफआईआर/चार्जशीट में जिक्र भी किया गया है, लेकिन उनको आत्मरक्षक गुट बताया गया है, जबकि रिकार्ड्स में उनके हिंसक इरादे बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने सारा दोष तथाकथित 'अर्बन नक्सलों' एवं 'जेहादी तत्त्वों' पर डाल दिया है।

किस प्रकार 'साक्ष्य' को गढ़ा गया

इस 'साजिश' के लिए सामग्री जुटाने में दिल्ली पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें दर्जनों लोगों से पूछताछ की गयी, बयान रिकॉर्ड किये गए, मोबाइल नंबर इकठ्ठा किये गए, सोशल मीडिया ग्रुप्स की बातचीत की जांच की गई, इत्यादि। लेकिन इस मेहनत के नतीजे के रूप में जो अजीब 'साक्ष्य' प्रकट हुए हैं, उनको किसी निष्पक्ष जांच में शायद ही स्वीकार किया जाए। इस अजीबोगरीब साक्ष्य के कुछ नमूने यहां प्रस्तुत हैं :-

गुमनाम 'संरक्षित' गवाह

चार्जशीट से ऐसा प्रतीत होता है कि 15 अभियुक्तों के 'भेद खोलने वाले बयान' तथा दर्जनों पुलिसकर्मियों के बयानों के अलावा पुलिस 39 गुमनाम 'संरक्षित गवाहों' के ऊपर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भरोसा कर रही है। यह तिकड़म पुलिस को यू.ए.पी.ए. जैसे सख्त कानून के कारण उपलब्ध है। इस कानून की धारा 44 के अंतर्गत मामले की सुनवाई कर रही अदालत को यह हक़ हासिल होता है कि वह गवाहों की पहचान को जाहिर न करने की अनुमति प्रदान कर दे, तथा यदि आवश्यक हो तो अदालत की कार्यवाही को बंद कमरे में कर सकती है।

हालांकि अधिकतर गुमनाम गवाहों ने अपने बयान अदालत के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन कुछ बयानों को पुलिस के सामने धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया है, जो अदालत में मान्य नहीं होंगे। लेकिन महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इनकी गवाही की सुनवाई प्रक्रिया बंद कमरे में की जा सकती है। हालांकि अभी पक्के सबूत उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन बचाव पक्ष के कुछ वकीलों ने यह आरोप लगाया है कि इन गुमनाम गवाहों को कड़ी कानूनी कार्यवाही की धमकी पहले ही दी जा चुकी होगी, अगर वे पुलिस द्वारा चाहे गए बयान देने से आनाकानी करते हैं तो। यह आशंका इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कुछ लोगों द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में यह शिकायत की गई थी कि पुलिसकर्मियों द्वारा थाने में उनके साथ मारपीट की गई और उनको बयान देने के लिए बाध्य किया गया था।

अभियुक्तों के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए इन गुमनाम गवाहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। वे अभियुक्तों की पहचान करेंगे, उनको कुछ निश्चित स्थानों पर उपस्थित होना

बताएंगे, उनके वित्तीय लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, उनकी योजना प्रक्रिया की जानकारी देंगे, तथाकथित तौर पर हिंसक कार्यवाहियों में प्रयुक्त करने के लिए एसिड तथा बोतलों की खरीद बताएंगे, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाएंगे, व्हाट्सएप्प ग्रुप जैसे माध्यम से संपर्क व्यवस्था चलाने की बात करेंगे, आदि आदि, जो कि झूठे दावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। इनके अतिरिक्त जिन अन्य गवाहों के नाम बताए गए हैं उनमें से अधिकतर खुद पुलिसकर्मी हैं। इसलिए ये गुमनाम गवाह ही इस साजिश वाले केस के आधार स्तम्भ हैं।

बयानों के लिए उत्पीड़न एवं हिंसा का प्रयोग

पता चला है कि बहुत से युवकों को, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय से थे, पुलिस थानों में बुलाया गया था, वहां उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया था – कभी कभी तो देर रात तक, और फिर उनसे पहले से लिखे हुए कबूल नामों पर दस्तखत करने के लिए कहा गया (उदाहरण के लिए देखें दी वायर, 2 सितम्बर, 2020)। कुछ ने मना कर दिया, और कुछ दवाब में आकर राजी हो गए। ऐसा केवल साजिश वाली चार्ज शीट में ही नहीं हुआ है, बल्कि तमाम अन्य मामलों में भी हुआ है। कई मामलों में लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई, और फिर अपराधिक मामलों में फंसा दिया गया – केवल इसलिए क्योंकि वे मुसलमान थे। उदाहरण के लिए :-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 16 मार्च को दर्ज (डायरी संख्या 2875/आईएन/2020) एक शिकायत के अनुसार, मुस्तफ़ावाद निवासी 27 वर्षीय शादाब आलम को पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया तथा उसके साथ कई बार मारपीट की गयी। उसको चार दिनों तक (24 से 28 फरवरी, 2020) दयालपुर थाने में रखा गया था। उसके बाद 28 फरवरी को उसको फ़र्जी आरोप लगाकर दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 57/ 2020 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चश्मदीदों ने अपनी गवाही में बताया था कि वह दंगों में शामिल नहीं था। उसने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे तब पकड़ा था जब हिन्दू और मुस्लिम कर्मचारियों के एक गुट से उनके नाम पूछे जा रहे थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 17 मार्च को दर्ज एक अन्य शिकायत में (डायरी संख्या 2901/आईएन/2020) चाँद बाग निवासी 25 वर्षीय अतहर खान ने बताया कि 16 मार्च को एक कमरे में उसके साथ सादे कपड़े पहने चार अज्ञात लोगों द्वारा लाठी एवं थप्पड़ों से बुरी तरह मारपीट की गयी। वह कमरा क्राइम ब्रांच के एसीपी कार्यालय, जो चाणक्यपुरी थाने के सामने स्थित है, के इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह के ऑफिस के पीछे स्थित है। उन लोगों ने उसको गालियां दी, उसको गद्दार कहा, तथा उससे पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया। उसको जब आठ बजे शाम को छोड़ा गया, तो बयान दर्ज करने के लिए दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। अब वह यू.ए.पी.ए. कानून के अंतर्गत एक मुलजिम है।

मुसलमानों को निशाना बनाने अथवा उनकी शिकायतों की अनदेखी करना, शिव विहार

निवासी 60 वर्षीय हाशिम अली के मामले से बखूबी जाहिर होता है (स्क्रॉल.इन, 15 नवम्बर, 2020)। उसने थाना करावल नगर पर यह बताते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई कि 25 फरवरी को उसके दो घरों, एक दरजी की दुकान तथा कुछ अन्य सामानों में आगजनी की गयी थी। उसने भीड़ में शामिल तीन हिन्दू पड़ोसियों की पहचान की थी। उसकी एफआईआर को दो गली छोड़कर रहने वाले नरेश चंद की एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया, जिसने यह शिकायत की थी कि उसके घर में भीड़ ने आगजनी की थी, तथा कीमती सामानों को लूट लिया था। बाद में पुलिस ने हाशिम अली को पकड़कर पूछताछ की और उसको उसकी ही एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया, जिसे कि नरेश चंद की एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया था। हाशिम अली को 15 मई तक जेल में रहना पड़ा, तब उसे जमानत मिल पायी।

24 वर्षीय मोटर मैकेनिक शाहरुख़ खान की दोनों आंखों की रोशनी तब चली गई जब वह उस इलाके से गुजर रहा था, जहां भीड़ द्वारा गोलीबारी की जा रही थी। जब वह 5 मार्च को शिकायत दर्ज कराने के लिए जाफ़राबाद थाने पर गया (सरकार से मुआवजा पाने की उम्मीद से), उसके साथ मारपीट की गई तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उससे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए गए, जिनको वह पढ़ समझ नहीं सकता था (दी हिन्दू, 1 जुलाई, 2020)। वह इकबालिया बयान निकला, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि वह उस दंगाई भीड़ का हिस्सा था, जिसने अमान को मार डाला था। पुलिस द्वारा दर्ज की गयी चार्जशीट में नौ अन्य अभियुक्त भी हैं, जिसमें पिंजरा तोड़ की देवांगना कलिता, तथा नताशा नरवाल शामिल हैं, जो मुख्य साजिश मामले में भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख़ ने कहा है कि वह उन अन्य लोगों को नहीं जानता है, ना ही कभी उसने पिंजरा तोड़ का नाम सुना है। इसके बावजूद उसको सह-साजिश कर्ता बना दिया गया है।

एक जैसे बयान

एफआईआर अथवा चार्जशीटों में यह झूठापन साफ़ साफ़ झलकता है। न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाते हुए तथा कानून का विध्वंश करते कुछ उदाहरण (देखें स्क्रॉल.इन. 19 जुलाई, 2020) यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं :-

इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंकित शर्मा की मौत से संबंधित चार्ज शीट में, जो कि दयालपुर थाने पर दर्ज एफआईआर संख्या 65/20 पर आधारित है, चार 'इकबालिया' बयान हूबहू एक जैसे हैं।

हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत से संबंधित चार्ज शीट में, जो कि दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 60/20 पर आधारित है, सात 'गवाहों' ने एक जैसे बयान दिए हैं।

थाना जाफ़राबाद की एफआईआर संख्या 50/20 से संबंधित चार्ज शीट में 'गवाहों' के दस बयान एक जैसे हैं।

दिलबर नेगी की मौत से संबंधित चार्जशीट (एफआईआर संख्या 39/20 थाना

गोकुलपुरी) में 12 में नौ इकबालिया बयान शब्दशः एक जैसे हैं (इंडियन एक्सप्रेस 2 जुलाई, 2020)।

थाना दयालपुर पर एफआईआर संख्या 84/20 से संबंधित चार्ज शीट में, शाह आलम की मौत के सिलसिले में 6 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको गोली लगी थी। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास तीन चश्मदीद गवाह हैं, तथा अभियुक्तों के इकबालिया बयान हैं। मीडिया जांच में लेकिन पाया गया है कि अभियुक्तों ने न केवल अपनी भागीदारी को नकार दिया है, बल्कि तीन चश्मदीद गवाहों (सभी हिन्दू) ने भी अभियुक्तों को पहचानने से इंकार किया है। उनका कहना है कि पुलिस का केस मनगढ़ंत है।

प्राथमिकी के पैटर्न में भी समानता

विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत से ही उनका छल - कपट जाहिर हो जाता है। यह पूरी तरह से नियोजित और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक समान विवरण से परिपूर्ण था। उदाहरण के लिए, यदि मुसलमानों को निशाने पर लेना हो, तो पहले उन पर हथियारबंद भीड़-हिंसा का इल्जाम लगाया जाएगा, तत्पश्चात उनके खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी, जिनमें यह जाहिर किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति को ही क्यों पकड़ा गया था।

- दर्जनों मामलों में एफआईआर दर्ज करने में एक समान पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लोगों को (अधिकतर मुसलमान) पकड़ कर उन पर आरोप मढ़ दिया गया है। दूसरे मामलों में पहले तो किसी को नामजद नहीं किया गया है, बाद में जांच के बाद आवश्यक रूप से किसी मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
- उदाहरण के लिए दयालपुर थाने पर दर्ज एफआईआर संख्या 66, 67, 69, एवं 70 में दिए गए नैरेटिव का एक जैसा पैटर्न है – कि पुलिसकर्मी क-ख-ग स्थान पर तैनात है, उसको किसी चीज के पीछे छिपा हुआ अथवा जल्दी से गायब होता एक संदिग्ध व्यक्ति दिखलाई देता है, वह उस व्यक्ति को धर दबोचता है, जिसके पास हथियार पाया जाता है. इसी तौर तरीके से मोहम्मद शोएब, शाहरुख़, अतहर तथा फैज अहमद को गिरफ्तार किया गया था।
- इस क्षेत्र के विभिन्न थानों में दर्ज 21 एफआईआर का विश्लेषण करने पर उनमें दिए गए घटनाक्रम के विवरण में विलक्षण समानताएं नजर आती हैं। हालांकि यह तो हो सकता है कि कुछ मामलों में समानताएं हों, मगर ऐसे मामलों की संख्या ही अधिक है, घटनाक्रम में भी समानताएं बहुत अधिक हैं, तथा निष्कर्ष भी एक जैसे हैं – जो वास्तविक नहीं हो सकते हैं। ये वो एफआईआर हैं, जिनमें नाम नहीं दिए गए हैं, और जिनमें पुलिस द्वारा बिना किसी कारण, मनमाने ढंग से लोगों को

पकड़ कर फंसा दिया गया है। अब चूंकि ऐसे मामलों को स्थानीय स्तर पर संभाला जा रहा है, तथा गिरफ्तार किए गए लोग गरीब तथा कमजोर हैं, जिनको कोई कानूनी सहायता प्राप्त नहीं है, इसलिए वे लोग अब दंगाई दुनिया के हिस्से करार दे दिए गए हैं, जिनको एक लम्बे तथा मंहगे कानूनी संघर्ष का सामना करना होगा।

यह उस पुलिस बल के कारनामों का प्रतिफल है जिसका पहले से ही सांप्रदायीकरण हो चुका है, तथा जिसको खुद गृहमंत्री द्वारा संसद में दिए गए उनके भाषण के जरिए दिशा निर्देश प्रदान कर दिया गया है।

पीड़ित परिवारों की शिकायतों का दर्ज नहीं किया जाना

नितिन पासवान की मौत 26 फरवरी को पुलिस के आंसू गैस के गोले से हुई थी - चश्मदीदों ने यह गवाही में बताया है। उसके पिता राम सोगारथ ने पुलिस को ऐसा बयान दिया है। लेकिन एफआईआर में इसका हवाला नहीं है। परिवार को अभी तक चार्जशीट प्रदान नहीं की गई है, इसलिए उनको यह मालुम नहीं है कि नितिन की मौत का अभियुक्त कौन है।

मोहम्मद फुरकान की मौत कर्दमपुरी में पुलिस की गोलीबारी में हुई थी। लेकिन एफआईआर संख्या 53/20 पूरी तरह गलत घटनाक्रम पर आधारित है। इस एफआईआर में बताया गया है कि फुरकान का भाई इमरान स्कूटर पर था, और उसने जब फुरकान को पुल के नजदीक देखा तो उसको आवाज देकर बुलाया। भाई की आवाज सुनकर जैसे ही वह मुड़ा, वैसे ही वह जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने उसको उठाकर जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाया। इमरान पीछे-पीछे बाइक पर था। उसने अपने भाई को जमीन पर गिरते हुए तो देखा था, लेकिन उसको यह पता नहीं लग पाया था कि गोली किस तरफ से चली थी। जबकि इमरान के अनुसार सचाई यह है कि वह वहां उपस्थित ही नहीं था। उसको जब यह सूचना मिली कि उसके भाई को गोली लगी थी, तथा वह हॉस्पिटल में था, तो वह सीधे वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर पता लगा कि उसके भाई की गोली लगने से मौत हो गयी थी। वह सदमे में था। उस समय पुलिस ने एक मजमून लिखा और उससे दस्तखत करने को कहा। उसने दस्तखत कर दिए। उन्होंने उसे बताया कि बिना उसकी मर्जी के वह गवाह बन गया था, और पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं थी। आश्चर्य की बात यह है कि एफआईआर से जुड़ी चार्ज शीट में फुरकान की मौत के लिए चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है – अनवर हुसैन, कासिम, मोहम्मद इमरान, तथा खालिद अंसारी। इस प्रकार चार बेकसूर लोगों को फुरकान की हत्या के लिए नामजद किया गया है, जबकि चश्मदीदों के अनुसार उसको पुलिस की गोली लगी थी। इसके अलावा, चार में से तीन को – अनवर हुसैन, कासिम और खालिद अंसारी को एफआईआर संख्या 54/20 में भी नामजद किया गया है, जो दीपक की मौत से संबंधित है। इस तरह उनको मनगढ़ंत बयान के आधार पर दो हत्याओं के सिलसिले में अभियुक्त बना दिया गया है।

महरूफ अली के मामले में एफआईआर संख्या 66/20 में यह बताया गया है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। उसका भाई हारुन अली चश्मदीद गवाह है, जिसने यमुना विहार क्राइम ब्रांच के डीसीपी को संबोधित अपने बयान में बताया है कि हालांकि उसने भाई के हत्यारों की शिनाख्त कर दी थी, लेकिन उनके नाम न तो एफआईआर में शामिल किये गए हैं और न ही मामले से जुड़े किसी अन्य दस्तावेज़ में। जिन लोगों के नाम उसने बताये हैं, उनमें राम सिंह, लव कुमार, बॉबी, लाला, मोहित, अभिषेक तथा कुछ अन्य शामिल हैं। उसने बताया है कि सोनू ने वो गोली चलायी थी, जिससे उसके भाई की मौत हुई थी। लेकिन उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। बाद में अदालत के हस्तक्षेप से उनके नाम शामिल किये गए थे, लेकिन उन सभी को जमानत दे दी गयी है।

हिन्दू कट्टरपंथी गैंग ने तो केवल 'प्रतिकार' किया था

घटनाक्रम के एक अजीब ट्विस्ट में, 125 सदस्यों के 'कट्टर हिन्दू एकता' के माध्यम से संपर्क साधे हुए एक व्हाट्स एप्प ग्रुप को, जिसने कम से कम नौ मुसलमानों की मौत को अंजाम दिया था, पुलिस द्वारा मुस्लिम हिंसा का केवल प्रतिकार करने वाला ग्रुप करार दिया गया है। यह हिंसा तथाकथित रूप से एक योजनाबद्ध साजिश के तहत सी.ए.ए. विरोधी आन्दोलन के जरिए फैलाई जा रही थी। थाना गोकुलपुरी में एफआईआर संख्या 102,103 एवं 104/20 पर आधारित चार्ज शीट दाखिल की गयी है, तथा नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 25 और 26 फरवरी को भागीरथी विहार के नजदीक ये हत्याएं हुई थी। चार्ज शीट के मुताबिक़ यह गैंग दो दिनों तक इधर उधर घूमता फिरता रहा। वे लोग सक्रिय रूप से दंगा फैलाने में तथा एक भिन्न धर्म को मानने वाले समुदाय – अर्थात मुसलमानों पर हमला करने में शामिल रहे। दंगों के दौरान उन्होंने कई लोगों पर हमला कर के उनको मौत की नींद सुला दिया था। उनके काम करने का ढंग था – वे लोगों को रोकते थे, उनसे उनका नाम पता पूछकर तथा पहचान पत्र देखकर उनकी धार्मिक पहचान करते थे, और तब उनको बार बार 'जय श्री राम' कहने के लिए बाध्य करते थे। ऐसे व्यक्ति जो 'जय श्री राम' का उद्घोष करने से मना करते थे, तथा मुस्लिम पहचान के होते थे, उन पर बुरी तरह हमला किया जाता था, तथा भागीरथी विहार के मुख्य गंदे नाले में उनको फेक दिया जाता था। व्हाट्सएप्प चैट के रिकॉर्ड में लोगों को मार डालने का तथा गोला बारूद से लैस होने का खुल्लम खुल्ला दावा किया गया है। हालांकि निसार अहमद नामक एक चश्मदीद ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें उन लोगों की पहचान की गयी थी, लेकिन उस गैंग में शामिल बहुत से लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसने आरोप लगाया है कि भाजपा काउंसिलर कन्हैया लाल भी वहां उपस्थित था, लेकिन उसका नाम अभियुक्तों में शामिल नहीं किया गया है।

हिंसा में पुलिस की भूमिका

इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में पुलिस की

सीधी भागीदारी की कई मिसालें दी गयी हैं। चश्मदीदों के विवरण के अतिरिक्त विडियो एवं फोटोग्राफी आधारित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनमें एक विडियो ऐसा भी है जिसमें मुस्लिम समुदाय के घायल युवकों के एक ग्रुप को देश भक्ति साबित करने के लिए पुलिस द्वारा राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया गया है। उनमें से फैजान नामक युवक की पुलिस की मारपीट में आई चोटों से बाद में मौत भी हो गयी थी।

लेकिन इन सभी साक्ष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कानून के स्पष्ट उल्लंघन के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है। उल्टे, पुलिस ने अपने हलफनामे में यह बताया है कि 'अभी तक' की जांच में पुलिस की ऐसी किसी भूमिका की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। यह केवल बेशर्मी के साथ पुलिसकर्मियों को क्रिमिनल आरोपों से बचाने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि यह पूरे नैरेटिव को एक ख़ास मकसद को पूरा करने की दिशा में ले जाने की मुहिम भी है। अगर पुलिसकर्मी भी हिन्दू कट्टरवादी भीड़ के साथ पत्थरबाजी करने में शामिल थे, अगर वे भी मुसलमानों के साथ मारपीट कर रहे थे, अगर वे भी सांप्रदायिक गालियां बक रहे थे, तो उनको भी जांच के तहत लाया जाना चाहिए। लेकिन इससे आधिकारिक आख्यान में खलल पड़ सकता है – कि हिंसा शुरू करने के लिए तथा उसको जारी रखने के लिए मुख्यतः सी.ए.ए. विरोधी आन्दोलनकारी लोग जिम्मेदार थे। इसलिए ही पुलिस की भूमिका पर गैर कानूनी तरीके से पर्दा डाला जा रहा है।

इस साजिश की थ्योरी के एक अन्य आयाम के रूप में एक ऐसा काल्पनिक आख्यान गढ़ा गया है कि किसी भी अन्य साक्ष्य का चार्जशीट में कोई हवाला शामिल नहीं किया गया है जो भले ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो, या सीसीटीवी फुटेज अथवा ड्रोन फुटेज में उपलब्ध हो। यह बड़ा ही अजीब वाकिया है, क्योंकि हिंसा के थम जाने के शुरूआती दिनों में केंद्र सरकार ने बड़े जोर शोर से उन विडियो फुटेज साक्ष्यों की उपलब्धता को खूब प्रचारित किया था। यह घोषणा की गई थी कि अपराधियों को उन वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जाएगा, तथा चेहरे की पहचान कर सकने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी – हालांकि उसकी वैधता तथा उपयोगिता- दोनों ही आज सवालों के घेरे में है। छः महीनों के बाद भी इस सबका कुछ भी अता पता नहीं है।

छांट छांट कर फुटेज का इस्तेमाल

व्यक्तिगत स्तर पर अथवा मीडिया कैमरों में रिकॉर्ड किये गए वीडियो को इकठ्ठा करने के पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, हालांकि इनको सोशल मीडिया पर तथा न्यूज़ मीडिया वेबसाइट पर खूब प्रसारित किया गया है। इनमें हिंसा में लिप्त भीड़ के वीडियो हैं, जिनमें विभिन्न हथियारों का प्रयोग, आगजनी, लूटपाट, घरों और दुकानों में तोड़फोड़, उकसाने वाली तथा उग्र नारेबाजी शामिल हैं। ये सब साक्ष्य ही तो हैं। पुलिस ने इस उपलब्ध सामग्री के आधार पर क्यों नहीं उचित कानूनी कार्यवाही की है? इसके बजाय उन्होंने विडियो

फुटेज का छांट छांट कर इस्तेमाल किया है।

गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस द्वारा अदालतों को दी गयी जानकारी के अनुसार (पुलिस एफिडेविट 13 जुलाई), कुल 1,430 गिरफ्तारियां हुई थी. लेकिन गिरफ्तारियों का समुदायों के हिसाब से विवरण नहीं दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लेकिन 7 जून की प्रेस वार्ता में बताया था कि कुल 1,303 लोगों की गिरफ्तारियों में से 683 मुसलमान थे, तथा 620 हिन्दू (हिंदुस्तान टाइम्स, 7 जून)। 22 सितम्बर को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जुलिओ रिबेइरो के पत्र के जवाब में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारियों की संख्या 1,571 बताई, तथा दावा किया कि दोनों समुदायों के करीब करीब बराबर संख्या में लोगों को गिरफ्त में लिया गया था। असल में दिल्ली पुलिस का प्रयास यह दिखाने का है कि गिरफ्तारियों के मामले में कोई पक्षपात नहीं किया गया है। लेकिन एक सीधा सा तथ्य यह है कि मृतकों में से 76 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तथा 80 प्रतिशत संपत्तियां, जिनको नुकसान पहुंचा है, मुसलमानों की पायी गई हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि गिरफ्तारियों में भी उन्हीं की संख्या ज्यादा होगी। असल में भाजपा की ओर से राजनैतिक दवाब की वजह से तमाम हिन्दू दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

वास्तविकता यह है कि पुलिस ने जो संख्या बतायी है, गिरफ्तारियां उससे कहीं अधिक संख्या में की गई हैं। 12 मार्च को अमित शाह ने संसद में बताया था कि 2,647 लोगों को हिरासत में लिया गया था (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 12 मार्च)। इसी प्रकार, पुलिस के हवाले से पीटीआई ने 3,400 का आंकड़ा बताया था (इकोनॉमिक टाइम्स, 14 मार्च)। वे कौन लोग थे तथा कितने समय तक उनको हिरासत में रखा गया? पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41सी के प्रावधानों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुए पुलिस कण्ट्रोल रूम के बाहर हिरासत में लिए गए लोगों की लिस्ट लगाने से मना कर दिया था, जिसमें गिरफ्तार करने वाले का नाम तथा अपराध का विवरण भी शामिल होता है. इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल किया गया एक पिटीशन (डबल्यूपी 570/20) अभी भी लंबित है। इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों को कानूनी प्रक्रिया का जामा पहना दिया गया है, तथा इन वैधानिक नियमों के उल्लंघन के लिए आज तक किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

पक्षपात पूर्ण अभियोजन

कानूनी प्रक्रिया पर दवाब बनाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा बेशर्मी के साथ उप राज्यपाल के माध्यम से अदालतों में विभिन्न मामलों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में सीधे हस्तक्षेप किया गया है। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के उस निर्णय को उलट दिया जिसमें 29 जुलाई को कहा गया था कि - आपराधिक न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों

के मद्देनजर तथा जांच एवं अभियोजन के बीच स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली कैबिनेट ने होम डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के लिए देश के सर्वोत्तम संभव वकीलों का एक निष्पक्ष पैनल बनाया जाए (दी वायर, 29 जुलाई)। लेकिन दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल के निर्णय को अदालत में चुनौती देने के बजाय स्वीकार कर लिया है। अभियोजन का नेतृत्व अब भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे, जो दिल्ली पुलिस के प्रत्येक अनुचित अपराधिक कृत्य का बचाव करेंगे।

मुआवजा

दिल्ली सरकार ने मृत्यु होने, घायल होने तथा संपत्ति के नुकसान के सम्बन्ध में एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। शुरू में दिल्ली सरकार ने मृतकों के निकटतम संबंधियों को घोषित दस लाख में से एक लाख की रकम प्रदान की। लेकिन बाकी के नौ लाख रुपयों की रकम का अभी तक कम से कम चार परिवारों को भुगतान नहीं किया गया है, जिनमें मृतक मोहम्मद अनवर, मोहम्मद शाहबाज, अकीब तथा मुर्सलिन के परिवार शामिल हैं। गंभीर रूप से घायलों को भी पूरी धन राशि अभी नहीं मिल पाई है। उदाहरण के लिए, मोहम्मद वकील की एसिड हमले में दोनों आँखें चली गयी थीं। उसको गंभीर चोट के लिए पांच लाख रुपये मिलने चाहिए थे, मगर उसको केवल 1.80 लाख रुपये ही मिल पाए हैं। विनोद को ब्रह्मपुरी में मार दिया गया था, तथा उसके बेटे के सिर में चोटें आयी थी। उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आधिकारिक सूची में सिकंदर की मौत को शामिल नहीं किया गया है, और उसके परिवार को मुआवजे की मनाही कर दी गई है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। जहां तक संपत्तियों के नुकसान का मामला है, तो अधिकतर प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिला है.

निष्कर्ष

दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा तथा उसके बाद के दौर से संबंधित यह रपट निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची है :

1. यह कोई दंगा नहीं था : इस सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगे का नाम देना सही बात नहीं है। दंगा असल में एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें दोनों पक्ष बराबर से हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन जैसा कि इस रपट के भाग 2 में निर्णायक रूप से दर्शाया गया है कि आक्रामक कार्यवाही हिन्दुत्ववादी भीड़ की तरफ से की गयी थी, तथा दूसरे पक्ष ने मुख्यतः हमलों से खुद को बचाने का सब तरह से प्रयास किया था। केवल यही नहीं कि अल्पसंख्यक समुदाय को सबसे अधिक नुकसान सहना पड़ा है, बल्कि आक्रामक कार्यवाही भी पूरी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के बहुतायत वाले इलाकों पर केन्द्रित रही थी। हिन्दुत्ववादी भीड़ ने उन इलाकों को चुना जहां महिलाओं के धरना प्रदर्शन चल रहे थे।

2. पुलिस की भूमिका : पुलिस के कारनामों की वजह से ही 23 से 27 फरवरी के बीच पांच दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा जारी रही, बल्कि छठे दिन भी कुछ वारदातों को अंजाम दिया गया। लगभग सभी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा हिन्दुत्ववादी भीड़ का साथ देने से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। लेकिन डीसीपी एवं एसीपी को आई गंभीर चोटों तथा रतन लाल की मौत की आड़ में, जो कि पूरी तरह निंदनीय हैं, पुलिस बेशर्मी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ तथा हिन्दुत्ववादी भीड़ की हिंसक कार्यवाहियों के समर्थन में अपनी खुल्लमखुल्ला पक्षपातपूर्ण भूमिका को तथा हिंसा फैलाने में अपने सक्रिय योगदान को छिपाने की कोशिश कर रही है।
3. पुलिस की तैनाती में अमित शाह की भूमिका : उपरोक्त पहलुओं के अतिरिक्त सांप्रदायिक हिंसा के शुरू होने तथा जारी रहने के पीछे एक अन्य कारण यह था कि केन्द्रीय बलों अथवा सेना की तैनाती हद दरजे तक अपर्याप्त रही थी। इसके लिए अमित शाह का गृह मंत्रालय सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अमित शाह अथवा गृह मंत्रालय ने इस बाबत अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि 23 फरवरी से लेकर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं की थी। वर्ष 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली की कुल जनसंख्या लगभग 26 लाख है। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के दौर में पुलिस बलों की तैनाती मात्र 1,393 से 4,756 के बीच रही (इस रपट के भाग दो में एफआईआर संख्या 59/20 का हवाला दिया गया है)। पर्याप्त बलों की तैनाती न कर के गृह मंत्रालय ने डरे हुए लोगों द्वारा पुलिस से मदद के लिए की गई लगभग तेरह हजार गुहार बिना कार्यवाही के ही पड़ी रह गई थी। जैसा कि आरोप लगाया गया है कि 'जिहादी भीड़' हंगामा करने पर आमादा थी, तब फिर 'हिंदुत्व की पक्षधर' होने का दावा करने वाली केंद्र सरकार विध्वंस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब क्यों रही? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि गृह मंत्रालय को यह भलीभांति पता था कि हिन्दुत्ववादी भीड़ उपद्रव मचाने में मशगूल थी और इसलिए उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही से गुरेज किया गया। यह राजनैतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर दिल्ली को जलने देने की साजिश की तरफ ही इशारा करता है।
4. राजनैतिक एजेंडा : यह रिपोर्ट दिल्ली के चुनाव में भाजपा की हार के बाद के इसके राजनैतिक एजेंडा को, सी.ए.ए. विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के इसके इरादे को, तथा असहमति के सभी स्वरों को, ख़ास कर अल्पसंख्यकों के स्वरों को सबक सिखाने को रेखांकित करती है। एक उद्देश्य यह भी था कि सी.ए.ए. विरोधी आंदोलन को दानवी प्रकृति का घोषित कर दिया जाय तथा सभी विरोधियों को अपराधी। इतना सब कुछ तो कार्यकर्ताओं के ग्रुप को यूएपीए कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके तथा साजिश की थ्योरी को गढ़ के साफ तौर पर

जाहिर हो जाता है। यह अपने आप में एक हास्यास्पद सी बात होती, अगर इसके परिणाम इतने सख्त न हुए होते। इसके अलावा यह एक सांप्रदायिक विभाजन करने का भी प्रयास है, जो कि भाजपा के एजेंडा का अभिन्न हिस्सा है।

5. न्याय की विनाशलीला : इस हिंसा ने यह साबित कर दिया है कि किस प्रकार भाजपा, राजसत्ता में रहते हुए न्याय प्रक्रिया का ध्वंस कर सकती है, तथा बेशर्मी के साथ हिंसा भड़काने में सीधी हिस्सेदारी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने के बावजूद अपने तथा संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करती है। इन मामलों में न्याय के विनाश के लिए अदालतों पर जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है वह वाकई गहरी चिंता का विषय है।
6. अधिकतर लोग अमन चैन चाहते थे : हालांकि यह बात सही है कि सैकड़ों लोग भीड़ हिंसा में शामिल थे, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि लोगों का बहुसंख्यक हिस्सा हिंसा से गहरे तक परेशान था, और उसने हिंसक गतिविधियों में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी। इसके साथ, ऐसे भी बहुत से दृष्टांत हैं जहां हिन्दुओं ने अपने मुसलमान पड़ोसियों को अथवा मुसलमानों ने अपने पड़ोसी हिन्दुओं को बचाया था।
7. मुआवजा :प्रभावित परिवारों की पीड़ा तमाम तरह से अभी भी जारी है, जिसमें पूरे मुआवजे का बहुत अधिक देरी से मिल पाना शामिल है। आप पार्टी की सरकार ने मुआवजे की शुरूआती क़िस्त देने के बाद पीड़ितों की सुध नहीं ली है।

न्याय के लिए आवश्यक रूप से किये जाने वाले कार्य

दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा की स्वतंत्र जांच के लिए यह जरूरी है कि वह जांच हाईकोर्ट के एक ऐसे सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हो, जिनका संविधान की मर्यादा की रक्षा करने में निष्पक्षता का निर्विवाद रिकॉर्ड हो।

उसमें गृह मंत्रालय की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए कि हिंसा पर काबू पाने के लिए जानबूझकर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती में देरी क्यों हुई।

हिंसा उकसाने तथा उसमें भागीदारी के लिए भाजपा के नेताओं पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए, तथा उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

हिंसा में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच तथा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

जैसा कि दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया था कि अभियोजन के लिए वकीलों के एक निष्पक्ष पैनल का चुनाव किया जाना चाहिए।

हिंसा पीड़ितों को जान माल की उनकी वास्तविक क्षति के आधार पर पूरा मुआवजा तथा राहत प्रदान की जानी चाहिए।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1
मृतकों की सूची

24 फरवरी, 2020

1. आकिब, उम्र 18 वर्ष, पिता के साथ चूड़ियों का कारोबार, भजनपुरा के नजदीक उस पर हमला किया गया। परिवार में माता, पिता तथा दो भाई बहन।
2. आफताब, उम्र 21 वर्ष, यूपी के बिजनौर से, शिव विहार की एक कूलर फैक्ट्री में मजदूर, शिव विहार के पास रात में उसके ऊपर हमला किया गया।
3. दिलबर सिंह नेगी, उम्र 21 वर्ष, उत्तराखंड का रहने वाला। रेस्टोरेंट में वेटर का काम, शिव विहार तिराहे पर जलाकर मार डाला गया।
4. फैजान, उम्र 24 वर्ष, पेशा दर्जीगिरी, पुलिस द्वारा पहले कर्दमपुरी पुलिया पर, तथा बाद में ज्योति नगर थाने में पिटाई की गई। परिवार में विधवा मां तथा भाई बहन हैं।
5. फ़िरोज़ अहमद, उम्र 38 वर्ष, पेशा दर्जीगिरी, करावल नगर के पास मारपीट, परिवार में पत्नी और चार बच्चे।
6. मोहम्मद फुरकान अंसारी, उम्र 30 वर्ष, फेरीवाला, चश्मदीदों के अनुसार कर्दमपुरी पुलिया पर पुलिस की गोली से मौत। परिवार में पत्नी तथा दो बच्चे।
7. नरेश सैनी, उम्र 32 वर्ष, सब्जी विक्रेता, ब्रह्मपुरी घोंडा में घर के पास रात में गोली से मौत, परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे।
8. राहुल सोलंकी, उम्र 26, छात्र, शिव विहार तिराहे पर मारा गया, परिवार में माता – पिता तथा भाई बहन।
9. रतन लाल, उम्र 53 वर्ष, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, चाँद बाग में पत्थरबाजी में चोट से मौत। परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे।
10. सलमान, उम्र 24 वर्ष, दैनिक वेतन पर कढ़ाई का काम, शिव विहार तिराहे पर गोली लगने से मौत, परिवार में मां, पिता, भाई और बहन।
11. शाहबान, उम्र 25 वर्ष, कारीगर तथा वेल्डर, चाँद बाग में गोली से मौत, परिवार में माता पिता और भाई बहन।
12. शाहिद खान, उम्र 22 वर्ष, ऑटो ड्राइवर, चाँद बाग में गोली लगने से मौत,

परिवार में गर्भवती पत्नी।

13. विनोद कुमार, उम्र 42 वर्ष, डीजे की दुकान चलाता था, ब्रह्मपुरी में मारपीट, परिवार में पत्नी एवं बेटा।

25 फरवरी, 2020

1. आमीन, उम्र 17 वर्ष, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, फैक्ट्री मजदूर, गंगा विहार पुलिया भागीरथी नाले के पास मारा गया था।
2. आस मोहम्मद, उम्र 30 वर्ष, निवासी शक्ति विहार, रेहड़ी पर रद्दी माल का संग्रहण, गंगा विहार नाले के नजदीक मारा गया. परिवार में पत्नी के अतिरिक्त तीन बच्चे हैं।
3. अकबरी, उम्र 85 वर्ष, मृतकों में अकेली महिला. गढ़ी मेंदू स्थित घर में आगजनी के कारण दम घुट कर मौत।
4. आलोक तिवारी, उम्र 32 वर्ष, कार्डबोर्ड फैक्ट्री में मजदूरी, शिव विहार तिराहे के नजदीक गोली लगने से मौत, परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे।
5. अमान, उम्र 17 वर्ष, स्कूल छात्र, जाफ़राबाद में गोली का शिकार, परिवार में माता पिता और भाई बहन।
6. अंकित शर्मा, उम्र 26 वर्ष, ख़ुफ़िया ब्यूरो में इंस्पेक्टर, खजुरी में मृत्यु, परिवार में माता पिता एवं भाई बहन।
7. अशफाक हुसैन, उम्र 22, इलेक्ट्रीशियन, बृजपुरी पुलिया के निकट गोली से मौत, परिवार में माता पिता, पत्नी एवं भाई।
8. बब्बू, उम्र 32, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, खजुरी फ्लाईओवर पर पत्थरबाजी का शिकार, परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे।
9. दीपक, उम्र 34 वर्ष, झिलमिल में फैक्ट्री वर्कर, कर्दमपुरी में मारपीट तथा गोलीबारी का शिकार, परिवार में पत्नी एवं दो बच्चे।
10. दिनेश, उम्र 35 वर्ष, शिव विहार तिराहे पर गोली मारी गई। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।
11. जमील, उम्र 26 वर्ष, दैनिक मजदूरी, बृजपुरी पुलिया के निकट हमला में मौत, परिवार में पत्नी एवं दो बच्चे हैं।
12. मारूफ, उम्र 22 वर्ष, इलेक्ट्रीशियन, सुभाष मोहल्ला, घोंडा में स्थित अपने घर के निकट गोली लगने से मौत। परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं।
13. महताब, उम्र 22 वर्ष, दैनिक मजदूरी, बृजपुरी के नजदीक मारपीट की गयी, तथा जलाकर मार डाला गया। परिवार में मां तथा भाई बहन हैं।
14. मोहम्मद अनवर, उम्र 58 वर्ष, मुर्गे का व्यवसाय, शिव विहार के पास मारपीट की गई तथा जला कर मार डाला गया। परिवार में एक बेटी तथा उसके बच्चे हैं।

15. मोहम्मद शाहबाज़, उम्र 24 वर्ष, रंगाई पुताई का काम, करावल नगर में पुश्ता रोड के पास मारा गया। परिवार में माता पिता एवं भाई बहन हैं।
16. मोहम्मद युसूफ, उम्र 53, पेशा कारपेंटर, गंगा विहार पुलिया के निकट मारा गया। परिवार में पत्नी के अलावा सात बेटा बेटी।
17. मोहसिन अली, उम्र 22 वर्ष, जनरेटर ऑपरेटर, खजुरी पुश्ता रोड पर मारपीट के बाद जला कर मार डाला गया। परिवार में गर्भवती पत्नी है।
18. मोनीश, उम्र 25 वर्ष, दैनिक मजदूर, यमुना विहार में मौत। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।
19. मुबारक हुसैन, उम्र 28 वर्ष, पेशा दैनिक मजदूरी, कर्दमपुरी के पास गोली से उड़ा दिया गया। परिवार में माता पिता तथा तीन छोटे भाई हैं।
20. मुदस्सिर खान, उम्र 35 वर्ष, पेशा कबाड़ इकठ्ठा करना, कर्दमपुरी में गोली लगने से मौत। परिवार में पत्नी के अलावा आठ बच्चे हैं।
21. मुर्सलिन, उम्र 30 वर्ष, कूड़ा बीनना, गंगा विहार पुलिया पर मारा गया। परिवार में पत्नी एवं दो बच्चे हैं।
22. मुशर्रफ, उम्र 34 वर्ष, ड्राइवर, भागीरथी विहार स्थित अपने घर पर मार डाला गया, लाश को नजदीकी नाले में फेंक दिया गया। परिवार में पत्नी एवं तीन बच्चे हैं।
23. परवेश, उम्र 48 वर्ष, प्रॉपर्टी डीलर एवं सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तर घोंडा में मस्जिद के नजदीक अपने घर में गोली मारी गयी। परिवार में पत्नी और बच्चे हैं।
24. प्रेम सिंह, उम्र 30 वर्ष, रिक्शा चालक, कर्दमपुरी में मारा गया। परिवार में पत्नी एवं चार बच्चे हैं।
25. राहुल ठाकुर, उम्र 25 वर्ष, छात्र, बृजपुरी में गोली लगने से मौत। परिवार में माता पिता तथा भाई हैं।
26. शरीफ खान, उम्र 90 वर्ष, करावल नगर, शिव विहार स्थित मकान में आग लगने से दम घुटकर मौत। परिवार में पुत्र एवं उसके परिवार हैं।
27. सुलेमानी, उम्र 45 वर्ष, भवन निर्माण वर्कर, करावल नगर पुश्ता रोड पर मारा गया। परिवार में मां के अलावा चार भाई बहन हैं।
28. वीर भान, उम्र 40 वर्ष, छोटी फैक्ट्री का मालिक, शिव विहार तिराहे पर गोली लगने से मौत। परिवार में पत्नी के अतिरिक्त तीन बच्चे हैं।
29. जाकिर, उम्र 27 वर्ष, पेशे से वेल्डर, बृजपुरी के निकट मारा गया। परिवार में दो बच्चे एवं पत्नी हैं।

26 फरवरी, 2020

1. अकील अहमद, उम्र 26 वर्ष, कारपेंटर, गंगा विहार पुलिया पर मारा गया।

परिवार में तीन बच्चे तथा पत्नी हैं।

2. आमिर, उम्र 28 वर्ष, दर्ज़ीगिरी, गंगा विहार पुलिया पर मारा गया। परिवार में तीन बच्चे तथा पत्नी हैं।
3. अरशद रजा, उम्र 22 वर्ष, यहां वहां पेंटिंग का काम, पुश्ता रोड, करावल नगर में मारा गया था। परिवार में माता पिता तथा भाई बहन हैं।
4. भूरे अली, उम्र 30, दैनिक मजदूरी, गंगा विहार पुलिया पर मारा गया। परिवार में दो बच्चे हैं। पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है।
5. हमजा, उम्र 25 वर्ष, दुकान पर नौकरी, गंगा विहार पुलिया के नजदीक मारपीट की गयी, तथा गोली मार दी गई। परिवार में माता पिता तथा भाई बहन हैं।
6. हाशिम अली, उम्र 24 वर्ष, दर्ज़ीगिरी, गंगा विहार पुलिया पर मारा गया।
7. इरफ़ान, उम्र 25 वर्ष, दैनिक मजदूर, करतार नगर घोंडा में स्थित अपने मकान में मारा गया। परिवार में दो बच्चे तथा पत्नी हैं।
8. नितिन, उम्र 15 वर्ष, स्कूल छात्र, गोकुलपुरी में पुलिस के आंसू गैस के गोले के लगने से मौत। परिवार में माता पिता तथा भाई हैं।

27 फरवरी, 2020

1. इश्तियाक खान, उम्र 24 वर्ष, मोटर-वाइनडर, कर्दमपुरी में गोली लगने से मौत। परिवार में दो बच्चे तथा पत्नी हैं।
2. जमालुद्दीन मंसूरी, उम्र 30 वर्ष, शिव विहार में मारा गया था। परिवार में तीन बच्चे तथा पत्नी हैं।
3. सिकंदर, उम्र 30 वर्ष, दैनिक मजदूरी, खजुरी फ्लाईओवर पर मारा गया था। परिवार में तीन भाई बहन हैं।

28 फरवरी, 2020

1. अयूब, उम्र 60 वर्ष, कूड़ा बीनना, शिव विहार में मारा गया। परिवार में केवल एक बेटा है।

अनुलग्नक 2

दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों के सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा का विश्लेषण

दिल्ली एकजुटता राहत एवं पुनर्वास समिति

सर्वेक्षण का कवरेज

सर्वेक्षण में कुल 402 परिवारों को शामिल किया गया। सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों की सबसे बड़ी संख्या करावल नगर / शिव विहार क्षेत्र (198 परिवार) और खजूरी खास / चाँद बाग क्षेत्र (108) से थी। हिंसा पीड़ितों का ज्यादा बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से था। यह

बात सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संरचना में भी परिलक्षित होती है: सर्वेक्षण में शामिल 93 प्रतिशत से अधिक परिवार मुस्लिम थे।

तालिका 1: सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्या, इलाके के आधार पर

इलाका	परिवार जिनका सर्वे किया गया
करावल नगर/शिव विहार	198
खजूरी खास/चाँद बाग	108
मुस्तफ़ावाद	29
गोकलपुरी/बृजपुरी	17
पुराना गरही मेंदू गाँव	21
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	8
अन्य इलाके	21
कुल	402

तालिका 2: सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्या, धर्म के अनुसार

धर्म	सर्वे किए गए परिवार	प्रतिशत
मुस्लिम	375	93.3
हिन्दू	27	6.7
कुल	402	100

व्यवसाय

इस सर्वेक्षण में 1,842 व्यक्तियों के बुनियादी विवरणों को लिया गया। इनमें से 1,042 व्यक्ति (57 प्रतिशत) जो 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के थे। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने से पहले ही इन घरों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। सर्वेक्षण में शामिल कामकाजी उम्र के व्यक्तियों में से 81 प्रतिशत महिलाएं और 40 प्रतिशत पुरुषों के पास ऐसा रोजगार नहीं था कि जिससे उन्हें कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। जिनके पास कुछ रोजगार था उनमें भी ज्यादातर विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार से जुड़े थे। कामकाजी उम्र में लगभग 35 फीसदी पुरुष और 10 फीसदी महिलाएं किसी न किसी स्वरोजगार में लगी हुई थीं। इनमें सबसे बड़ी संख्या दुकानदारों (16 प्रतिशत पुरुषों और 5 प्रतिशत महिलाओं) की है। दुकानों में किराने का सामान, भोजनालयों, बेकरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, कपड़ों की दुकानें और प्रिंटिंग वर्कशॉप शामिल हैं। ड्राइवर, ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलाने वालों के रूप में कई पुरुष स्व-नियोजित थे। एक अन्य महत्त्वपूर्ण श्रेणी रेहड़ी-पटरी वाले स्ट्रीट वैंडर्स (7 प्रतिशत पुरुषों, 1 प्रतिशत महिलाओं) की है। कामकाजी उम्र के लोगों में जो सिलाई के काम में लगे थे, उसमें महिलाओं एवं पुरुषों का

अनुपात एक समान (लगभग 4 प्रतिशत) था। इनमें से अधिकांश स्व-नियोजित थे। महिला दर्जी मुख्य रूप से अपने घरों से ही सिलाई का काम करती थीं।

लगभग 10 प्रतिशत पुरुषों और 4 प्रतिशत महिलाओं का काम अनियमित तौर पर नियुक्त मजदूर के रूप में था। केवल 10 प्रतिशत कामकाजी उम्र के पुरुषों और 1 प्रतिशत कामकाजी उम्र की महिलाओं के पास नियमित नौकरी थी। इनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र की नौकरियां थीं, इसके साथ ही इसमें दुकान सहायक, सेल्सपर्सन और फैक्ट्री कर्मचारी का काम भी शामिल था।

हमारे समाज में विधवाएं विशेष रूप से लाचार एवं कमजोर समूह हैं। सर्वेक्षण में 36 विधवाओं की जानकारी एकत्र की गई। उनमें से 26 की आयु 60 वर्ष से कम थी, और 6 की आयु 30 वर्ष से कम थी। इनमें से केवल 28 प्रतिशत महिलाएँ किसी भी आर्थिक गतिविधि में कार्यरत थीं और उनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं।

तालिका 3: अलग-अलग व्यावसायिक श्रेणियों में कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत, पुरुषों और महिलाओं की आयु 15-59 वर्ष

श्रेणी	महिला	पुरुष
स्व-रोजगार	10	35
नियमित मजदूर	2	10
अनियमित मजदूर	4	10
गैर-मजदूर : छात्र	3	5
गैर-मजदूर : बेरोजगार	81	40

व्यावसायिक संपत्ति का विनाश

सर्वेक्षण के लिए लिए गए परिवारों में से कुल 46 प्रतिशत परिवारों ने अपने व्यवसायों से संबंधित संपत्ति के जलाने या तबाह करने की सूचना दी। ऐसी संपत्ति के विनाश से हुए नुकसान का औसत अनुमानित मूल्य 3.7 लाख है। जिन परिवारों ने अपने व्यवसायों से संबंधित संपत्ति के नुकसान की सूचना दी, उनमें से 20 प्रतिशत ने अपनी दुकानों को खो दिया, 15 प्रतिशत लोगों की अपनी रेहड़ी या ठेला आदि नष्ट कर दिया गया, 4 प्रतिशत लोगों का अपना कारखाना या कार्यशाला नष्ट कर दिया गया, और 5 प्रतिशत लोगों के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (जैसे कि गोदामों) को तबाह कर दिया गया। 2 प्रतिशत मामलों में, माल को लूटने / जलाने के कारण नुकसान हुआ था। जिन लोगों के दुकान नष्ट हुए उनके नुकसान का औसत अनुमानित मूल्य 3.8 लाख रुपए, जिनकी फैक्ट्रियों / वर्कशॉप का नुकसान हुआ उनका अनुमानित औसत मूल्य 7.4 लाख, 40,444 रुपए उन लोगों के नुकसान हुए जिन्होंने अपनी रेहड़ी या ठेला आदि गाड़ियां खो दीं, इसके साथ ही जिनका गोदाम या भंडार नष्ट कर दिया गया उनका औसत नुकसान 10 लाख रुपए और 2.2 लाख

उन लोगों के जिनके माल लूट / नष्ट कर दिए गए। खजूरी खास / चाँद बाग क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 55 प्रतिशत परिवारों के साथ व्यावसायिक संपत्ति का सबसे अधिक विनाश हुआ। औसतन यह नुकसान 6.3 लाख रुपये का था। गोकलपुरी, बृजपुरी, मुस्तफाबाद, विजय पार्क, कबीर नगर, बाबरपुर और पुराना गरही मेंडू गाँव में व्यावसायिक संपत्तियों का व्यापक विनाश हुआ। शिव विहार में, 33 प्रतिशत परिवारों की व्यावसायिक संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें औसत नुकसान 2.3 लाख रुपये का था।

तालिका 4: व्यवसाय के प्रकारों के आधार पर सर्वेक्षण के लिए, लिए गए परिवारों की संख्या और प्रतिशत, जिन्होंने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खो दिए हैं और नुकसान का औसत अनुमानित मूल्य (रुपए में) है।

व्यवसाय के प्रकार	परिवारों की संख्या	परिवारों का प्रतिशत	औसत नुकसान
दुकान	79	20	3,82,437
फैक्ट्री/वर्कशॉप	16	4	7,41,875
रेहड़ी-पटरी	62	15	40,444
अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान	22	5	9,90,318
माल लूट/तबाह	7	2	2,20,643
कुल	186	46	3,65,169

तालिका 5: उन परिवारों का अनुपात जो अपने व्यवसायों को खो चुके हैं और इलाके के आधार पर नुकसान का औसत मूल्य

इलाका	परिवारों का अनुपात	औसत नुकसान
करावल नगर/शिव विहार	33	2,31,909
खजूरी खास/चाँद बाग	55	6,29,742
मुस्तफ़ावाद	55	2,04,688
गोकलपुरी/बृजपुरी	71	1,75,450
पुराना गरही मेंदू गाँव	52	2,69,455
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	100	6,27,625
अन्य इलाके	71	1,55,150

घरों की तबाही

हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों का था। ये मजदूर आम तौर पर किराए के कमरे में रहते थे और विभिन्न प्रकार के मैनुअल लेबर(शारीरिक श्रम), कारीगर का काम या बहुत छोटे व्यवसायों (जैसे रेहड़ी-पटरी विक्रेता

और ई-रिक्शा चालक) में लगे हुए थे। सर्वेक्षण में शामिल सभी परिवारों में से केवल 81 प्रतिशत परिवारों के लिए निवास के प्रकार के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। उनमें से 43 प्रतिशत अपने घरों में रहते थे जबकि 39 प्रतिशत किराए के मकानों में रहते थे। अधिकांश किरायेदार गरीब थे और मकान मालिकों के साथ किराए की व्यवस्था अनौपचारिक थी। उनमें से बड़ी संख्या में ईदगाह राहत शिविर में रह रहे थे, क्योंकि दिल्ली में उनके रिश्तेदार नहीं थे जिनके घरों में वे हिंसा के बाद शिफ्ट हो सकते थे।

तालिका 6: स्वामित्व और किराए के घरों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत

श्रेणी	प्रतिशत
मकान मालिक	43
किरायेदार	39
अनिर्दिष्ट	19

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में शामिल 53 प्रतिशत मकान मालिकों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। घरों का विनाश शिव विहार में सबसे अधिक था, जहां सर्वेक्षण टीम ने उन 74 परिवारों की गणना की जिनके स्वयं के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। खजूरी खास / चाँद बाग इलाके में 60 फीसदी मकान मालिकों के 44 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुराना गरही मेंदु गांव में 9 घरों या सर्वेक्षण की गणना में शामिल 69 प्रतिशत घरों को नष्ट कर दिया गया था।

तालिका 7: सर्वेक्षण घरों के बीच किराएदारों का प्रतिशत, रिहायशी इलाके के आधार पर

इलाका	किराएदार
करावल नगर/शिव विहार	38
खजूरी खास/चाँद बाग	33
मुस्तफ़ावाद	43
गोकलपुरी/बृजपुरी	50
पुराना गरही मेंदू गाँव	40
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	50
अन्य इलाके	75
कुल	39

तालिका 8: मकान मालिकों की संख्या और प्रतिशत जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, और औसत नुकसान की सूचना जो दी गई

इलाका	मकान मालिकों की संख्या जिनके घरों का नुकसान हुआ	मकान मालिकों का प्रतिशत जिनके मकान का नुकसान हुआ	कुल नुकसान (लाख रुपए)
खजूरी खास/चाँद बाग	44	60	16.3
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	1	20	-
करावल नगर/शिव विहार	74	60	8
गोकलपुरी/बृजपुरी	3	38	2.5
मुस्तफ़ावाद	0	0	-
अन्य इलाके	1	12	-
पुराना गरही मेंदू गाँव	9	69	7.1
कुल परिवार	132	53	10.5

घरेलू संपत्तियों का नुकसान

लगभग 47 प्रतिशत परिवारों ने लूटपाट और गृहस्थी के सामानों को नष्ट करने की सूचना दी, लगभग 30 प्रतिशत ने आभूषणों के नुकसान की सूचना दी, और लगभग 36 प्रतिशत ने महत्त्वपूर्ण मात्रा में नकदी की लूट की सूचना दी। शिव विहार में लूटपाट और विनाश अधिक व्यापक था, जहां सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत परिवारों में घरेलू नुकसान की सूचना दी गई थी, 39 प्रतिशत परिवारों ने आभूषणों के नुकसान की सूचना दी थी और 53 प्रतिशत ने नकदी की लूट की सूचना दी थी। बड़ी संख्या में परिवार अपने हुए नुकसान के मूल्य का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। न ही सर्वेक्षण टीम को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त था कि वे नुकसान का सटीक अनुमान लगा सकें। फिर भी उपलब्ध डेटा अभी भी हमें नुकसान के औसत मूल्य के मोटामोटी आंकड़े प्रदान करता है। बताए गए आंकड़ों के अनुसार, एक परिवार द्वारा खोए गए घरेलू सामानों का औसत मूल्य 3.6 लाख रुपए है। इसमें औसतन, फर्नीचर 89,000 रुपए, इसके अलावा परिवारों ने रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाशिंग मशीन आदि, रसोई के उपकरण और अन्य प्रकार की संपत्ति जैसे विद्युत उपकरणों के नुकसान की सूचना दी। लगभग 30 प्रतिशत परिवार ने अपने गहने खो दिए। इन घरों के लिए, खोए गए गहनों का औसत मूल्य 1.8 लाख रुपए प्रति परिवार है। इसी तरह, कुछ घरों में शादी एवं अन्य आगामी जरूरतों के लिए घर पर नकदी रखी गई थी। ऐसे घरों से लूटी गई नकदी औसतन 1.25 लाख रुपए प्रति परिवार है।

तालिका 9: उन परिवारों का अनुपात, जिन्होंने आभूषणों, नकदी और घरेलू सामानों की लूट / विनाश की सूचना दी, इलाके के आधार पर

इलाका	गहने	नगदी	घरेलू सामान
करावल नगर/शिव विहार	39	53	60
खजूरी खास/चाँद बाग	25	25	44
मुस्तफ़ावाद	3	10	10
गोकलपुरी/बृजपुरी	12	29	24
पुराना गरही मेंदू गाँव	38	24	48
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	0	0	25
अन्य इलाके	19	19	19

तालिका 10: उन परिवारों के नुकसान का औसत मूल्य(जैसा उन्होंने बताया), जिनसे गहने या नकदी लूट लिए गए या घरेलू सामान नष्ट कर दिए गए थे

सामान के प्रकार	औसत नुकसान
गहने	1,78,390
नगदी	1,25,554
फर्नीचर	89,220
कुल गृहस्थी के सामान	3,61,450

पुलिस की भूमिका

अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दंगाइयों को रोकने में पुलिस की भूमिका क्या रही यह मीडिया में व्यापक रूप से वीडियोग्राफी सबूत के साथ रिपोर्ट की गई है। जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस दंगाइयों को उकसा रही है या फिर खुद ही दंगाइयों में शामिल हो गई है। कई लोगों ने पुलिस की उदासीनता के बारे में बताया, खासकर तब जब दंगा चल रहा था और वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे थे। हिंसक भीड़ को रोकने और तितर-बितर करने के बजाय पुलिस सक्रियता के साथ उनके लिए रास्ता बनाने की भूमिका निभा रही थी। इसी तरह पीड़ितों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में पुलिसिया पक्षपात को उनकी अनिच्छा में भी देखा गया। सर्वेक्षण के समय तक मात्र 21 प्रतिशत परिवार ही एफआईआर दर्ज करवा पाने में कामयाब हो सके थे। वास्तव में, इनमें से अधिकांश एफआईआर सर्वेक्षण के बाद के दिनों में तब संभव हो सका जब दिल्ली एकजुटता राहत एवं पुनर्वास कमेटी एवं अन्य संगठनों के द्वारा कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए टीम बनाई गई।

अनुलग्नक

तालिका 11: पीड़ित परिवारों का अनुपात जो सर्वेक्षण के समय तक एफआईआर दर्ज करने में कामयाब रहे थे।

इलाका	प्रतिशत
करावल नगर/ शिव विहार	19
खजूरी खास/चाँद बाग	18
मुस्तफ़ावाद	28
गोकलपुरी/बृजपुरी	12
पुराना गरही मेंदू गाँव	29
विजय पार्क/कबीर नगर/बाबरपुर	50
अन्य इलाके	29
कुल	21

तालिका 12: विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों में कामकाजी आयु की आबादी का प्रतिशत, पुरुषों और महिलाओं की आयु 15-59 वर्ष

श्रेणी	उप-श्रेणी	महिला	पुरुष
स्व-रोजगार	रेहड़ी/पटरी विक्रेता	0.7	7.2
स्व-रोजगार	स्क्रेप डीलर	0.2	1.7
स्व-रोजगार	टेक्नीशियन	0	1
स्व-रोजगार	मैनुअल वर्कर	0.9	4.8
स्व-रोजगार	नॉन-मैनुअल वर्कर	0.2	0.9
स्व-रोजगार	दुकान/व्यवसाय:ऑटो-मोबाइल	0	0.9
स्व-रोजगार	दुकान/व्यवसाय:बेकरी	0	1
स्व-रोजगार	दुकान/व्यवसाय:गारमेंट्स/कपड़े	0.4	2.7
स्व-रोजगार	दुकान/व्यवसाय:किराना	1.5	2.4
स्व-रोजगार	दुकान/व्यवसाय:कई तरह के	2.6	8.9
स्व-रोजगार	टेलर:घर आधारित	2.8	0
स्व-रोजगार	टेलर:स्व-रोजगार	0	0.3
स्व-रोजगार	टेलर:अनिर्दिष्ट	0.2	3.1
नियमित मजदूर	फैक्ट्री मजदूर	0.2	2.4
नियमित मजदूर	नियमित मैनुअल वर्कर	0	4.3
नियमित मजदूर	नियमित नॉन-मैनुअल वर्कर	0.7	3.1
नियमित मजदूर	टेलर:काम पर रखा मजदूर	0.9	0.7
अनियमित मजदूर	अनियमित तौर पर रखा मैनुअल वर्कर	0.9	9.4
अनियमित मजदूर	अनियमित तौर पर रखा नॉन-मैनुअल वर्कर	0.2	0.3

अनियमित मजदूर	घर आधारित काम	3.3	0
गैर-मजदूर:छात्र	छात्र	3.1	5.3
गैर-मजदूर:बेरोजगार	गैर-मजदूर	81.2	39.7

अनुलग्नक 3

एकजुटता तथा राहत कार्य

उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा ने जान माल के दुखद एवं व्यापक नुकसान को अंजाम दिया था। जिस क्षेत्र में हिंसक घटनाएं हुई थीं, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में दोनों समुदायों की मेहनतकश जनता, खासकर असंगठित क्षेत्र से, तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवार रहते थे। उनमें से हजारों लोग विभिन्न प्रकार से हिंसा के शिकार बने, तथा व्यापक रूप से दुःख एवं परेशानियों से ग्रस्त हुए। पीड़ित लोगों को राहत, पुनर्वास तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की फौरी जरूरत के मद्देनजर सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो ने अपनी सभी राज्य इकाइयों का राहत फण्ड इकठ्ठा करने का आह्वान किया, तथा आम जनता से उदारतापूर्वक दान देने की अपील की। सभी तबकों से जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई – पार्टी इकाइयों, मजदूर एवं कर्मचारी संगठनों, तथा विभिन्न पेशेवर लोगों से – जिनमें कलाकार, प्रोफेसर, वकील आदि शामिल थे, वह अत्यंत सकारात्मक थी। प्रभावित लोगों के सभी तबकों के बीच राहत कार्यों को पहुंचाने के लिए 'दिल्ली एकजुटता राहत एवं पुनर्वास समिति' की स्थापना की गई, जिससे वजाहत हबीबुल्लाह (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग), हर्ष मंदर (डायरेक्टर, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज), बृंदा करात (सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य) तथा कई अन्य लोग जुड़े। सीपीआई(एम) दिल्ली के राज्य सचिव के.एम. तिवारी उसके संयोजक बनाये गए। समिति ने प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री के वितरण में दिल्ली सरकार का सहयोग भी लिया। इस प्रकृति के स्वैच्छिक प्रयास तो केवल अतिरिक्त राहत ही प्रदान कर सकते हैं। असल जिम्मा तो सरकारों का ही होता है। इस मामले में लेकिन राहत प्रदान करने तथा राहत कैम्प स्थापित करने में दिल्ली सरकार अत्यंत सुस्त रही।

प्रभावित लोगों के बीच एक सर्वेक्षण का किया जाना बहुत जरूरी था, ताकि आगे की कार्यवाही के लिए एक डेटाबेस तैयार हो सके। राहत कार्य के विभिन्न पहलुओं से 250 से अधिक वालंटियर जुड़े रहे। दुर्भाग्य से 24 मार्च से आगे तालाबंदी की वजह से यह कार्य बाधित हो गया। इसके बावजूद स्थानीय वालंटियर लोग राहत कार्य में जुटे रहे। तालाबंदी के समाप्त हो जाने के बाद उन सभी परिवारों से संबंधित एक अन्य सर्वेक्षण भी किया गया, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था। उन परिवारों की समस्याओं को चिन्हित किया गया, तथा उनकी जीविका को केंद्र में रखकर पुनर्वास के एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।

राहत कार्यों की शुरुआत पहली मार्च से हो गई थी। पहले चरण में फौरी जरूरतों – जैसे कि राशन, बर्तन, कपड़े, दवाइयां तथा कानूनी सहायता का इंतजाम किया गया। दूसरे चरण में मृतकों तथा गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी;

तीसरे चरण में जीविकोपार्जन के साधन तथा बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर पुनर्वास के प्रयास किए गए। चौथे चरण में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं, जिसके लिए इस क्षेत्र में एक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो आगामी वर्ष 2021 की शुरुआत से काम करना प्रारम्भ कर देगा।

1,126 परिवारों के कुल 6,130 लोगों तक ये राहत प्रयास सीधे पहुंच पाए हैं। इनमें ईदगाह राहत कैंप के व्यक्ति एवं परिवार शामिल नहीं हैं, जिनको खाना एवं कपड़ा उपलब्ध कराया गया था। बाद में जब सरकार ने राहत वितरण के काम को अपने जिम्मे ले लिया, तब एक ट्रक राहत सामग्री को कैंप के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया था। इस दौरान, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सैकड़ों लोगों की मदद की गई है। उन राजनैतिक दलों से अलग हटकर, जिन्होंने कुछ ही समुदायों को राहत उपलब्ध करवाई थी, सीपीआई (एम) द्वारा किये गए राहत प्रयास बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी प्रभावित लोगों तक क पहुंचाए गए हैं।

राहत दलों ने साप्ताहिक आधार पर ऐसी राशन किट की आपूर्ति की, जिसमें पांच किलो आटा, दो किलो चावल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, एक किलो दाल, सौ ग्राम मसाला, दो सौ ग्राम चाय पत्ती, एक साबुन, तथा एक किलो खाने का तेल शामिल थे। इन राशन किटों को 24 मार्च, तालाबंदी से पहले खजुरी खास, चंदू नगर, शिव विहार, मुस्तफाबाद तथा चमन पार्क में प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया गया था। घर घर जाकर यह राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। इससे प्रभावित परिवारों में आत्म विश्वास भी पैदा हो सका था। इमरजेंसी में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर उन्हें दिए गए। 190 परिवारों को रसोई के बर्तन आदि भी उपलब्ध कराए गए। 100 से अधिक परिवारों को 5 किलो के गैस सिलिंडर, बाल्टी, मग आदि प्रदान किये गए। बड़े स्तर पर नए कपड़ों, चादरों, कम्बलों तथा चप्पलों का वितरण भी किया गया। अधिकतर इन सामग्रियों को महिला एवं युवा संगठनों, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य लोगों की मदद से जुटाया गया था।

आल इंडिया लॉयर्स यूनियन की एक टीम ने ओल्ड मुस्तफाबाद, मानसिंह नगर की गली संख्या 14 में अपना एक कार्यालय स्थापित कर लिया था, जिसने 2 मार्च से शुरू कर के प्रभावित लोगों की लूट, आगजनी, घरों को नुकसान आदि की शिकायतें दर्ज कराने में मदद की। उस टीम ने जान माल के नुकसान के लिए मुआवजा दावे दर्ज करने में भी मदद की। एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में हैबिअस कार्पस पिटीशन भी दाखिल किया गया था।

सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो सदस्यों सीताराम येचुरी, बृंदा करात, प्रकाश करात, सुभाषिनी अली, तपन सेन, तथा हन्नान मोल्लाह के नेतृत्व में टीमों ने मृतकों के परिवारों से मुलाक़ात कर एक-एक लाख रुपये के चेक प्रदान किए। सभी 54 परिवारों से हमारी टीमों ने मुलाक़ात की है, और यदि दिल्ली से बाहर हुए तो उनसे संपर्क किया गया है, तथा उनको मदद पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त, इतनी ही आर्थिक मदद उन दो पीड़ितों को प्रदान की गई है, जिनकी आंखों की रोशनी एसिड हमले में पूरी तरह से चली गई थी। इसके अलावा

सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी और पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात हिंसा पीड़ितों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए। दिल्ली एकजुटता राहत एवं पुनर्वास समिति के वालंटियर राहत सामग्री का वितरण करते हुए।

घायलों के 17 परिवारों को पांच हजार से बीस हजार तक की वित्तीय सहायता दी गई है।

राहत प्रयास तालाबंदी के दौरान भी जारी रहे थे। 2,100 से अधिक लोगों को राशन तथा बच्चों को दूध उपलब्ध कराया गया। सरकारी स्रोतों से दूध मुहैया कराने में भी वालंटियर लोगों ने मदद की। इसके अतिरिक्त, राहत कमेटी ने मुस्तफाबाद के अल हिन्द अस्पताल को जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराईं, जहां हिंसा के दौरान पीड़ितों का इलाज किया गया था। राहत कार्य के दौरान यह जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, तथा बहुतों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था – जैसे कि विधवा पेंशन आदि। क्षेत्र के बहुत से भवन निर्माण कारीगरों ने वेलफेयर बोर्ड में अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया हुआ था। वालंटियर लोग हालांकि तमाम योजनाओं में लोगों को नामांकित कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से प्रक्रिया बड़ी सुस्त बनी रही थी।

हिंसा में बड़ी संख्या में रेहड़ी वालों की गाड़ियां आग में स्वाहा हो गई थीं। पुनर्वास योजना में रेहड़ी वालों की जीविका को पुनर्स्थापित करना शामिल किया गया था, तथा तदनुसार खजूरी खास, करावल नगर, कर्दमपुरी तथा गोकुलपुरी में अभी तक 50 रेहड़ी वितरित की जा चुकी हैं। यह समारोह 9 जुलाई को सीआईटीयू द्वारा आयोजित किया गया था।

हिंसा के दौरान मृतकों के परिवारों का सितम्बर, 2020 में जो दूसरा सर्वेक्षण किया गया था, उसके दो मकसद थे – विधवाओं के लिए जीविकोपार्जन के क्या विकल्प हो

सकते थे, तथा बच्चों की शैक्षणिक जरूरतें क्या क्या थीं। पहले राउंड में पता लगा कि 13 विधवाओं को सिलाई मशीन की जरूरत थी। दो को अपनी छोटी सी खुदरा दुकान शुरू करने में मदद चाहिए थी। 28 प्रभावित परिवारों के 52 बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए सहायता की आवश्यकता थी। इनमें से हर एक को दो वर्षों तक 6,000 रुपये सालाना के हिसाब से वजीफा प्रदान किया जाएगा।

वजीफे की पहली तिमाही की क़िस्त का भुगतान बच्चों को ओल्ड मुस्तफाबाद में 13 अक्टूबर को आयोजित एक समारोह में सीपीआई (एम) की ओर से बृंदा करात ने किया। इस अवसर पर 13 विधवाओं को ऐडवा की ओर से सिलाई मशीन भी प्रदान की गईं। इसी प्रकार, उन परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को, जिनके जीविका कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई थी, एसएफआई तथा डीवाईएफआई की ओर से स्कूल बैग, टिफ़िन बॉक्स, पानी की बोतल, दस दस नोटबुक, तथा लिखने वाली सामग्री की किट प्रदान की गई थी।

पुनर्वासन का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों की पूर्ति के लिए अध्यापकों की एक कमेटी की स्थापना की गई है। ऐडवा, डीवाईएफआई तथा सीआईटीयू जैसे जन संगठन क्षेत्र में अपना काम जारी रखे हुए हैं, तथा वे परिवारों से नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए हैं। स्थानीय युवकों तथा महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। आशा की जानी चाहिए कि इससे क्षेत्र को स्थायी रूप से लाभ मिल सकेगा। इस काम में वालंटियर लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि अनवरत रूप से मदद मिलती रहे। हम इस योजना को वर्ष 2021 के शुरुआत में चालू करने के लिए कृतसंकल्प हैं।